द्वितीय माला, खण्ड १९—अंक १७

२ सितम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

174(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

	पृष्ठ
अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ .	१२३९--६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१२६२--६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४६६	१२६५--८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . .	१२८३--१३१८
स्थगन प्रस्ताव--	
दिल्ली में अतिसार रोग का फलना . . .	१३१९--२२
दो सदस्यों को सजा	१३२२-२३
जानकारी के लिये प्रश्न	१३२३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१३२३
राज्य सभा से सन्देश	१३२४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . .	१३२४
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . .	१३२४--२६
समिति के लिये निर्वाचन . . .	१३२६
प्राक्कलन समिति	१३२६
विधेयक पुरःस्थापित	१३२६-२७
१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और	१३२६-२७
२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . .	१३२७
श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--	
पर विचार करने का प्रस्ताव	१३२७--५७
खण्ड २ से १४ तथा १ . . .	१३४३--५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१३५७--६०
दैनिक संक्षेपिका	१३६१--६७

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९८, ५०० से ५०९, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . . १३६९—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४९७, ४९९, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१९ से ५६० . . . . . . १३९५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ९०३, ९०५ से ९३० और ९३२ से ९५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२–५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८९

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—९३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८९–९३

पारित करने का प्रस्ताव १४९३–९६

दैनिक संक्षेपिका १४९७–१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८९, ५९४ और ५९६ से ५९८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५९० से ५९३, ५९५ और ५९९ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४–७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक——

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६——९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव . . . . . . १५९६——१६१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६१३——१९

अंक १४——गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६६४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१——४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४——६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५——१७२१

स्थगन प्रस्ताव——

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . . . १७२२——२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४–२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५–२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक——

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६——३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव १७३२——४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२–४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक——

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . १७४३——५४

कार्यमंत्रणा समिति——

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका . . . . १७५५——६३

अंक १५—— शनिवार, ३० अगस्त, १९५८——

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . . . १७६५——८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . . . १७९०——१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ . . . १८०५——३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति——

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . . १८३६——३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक——

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . १८३७——५२

खण्ड २ और ३ . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३——५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८——६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १८६८——७४

पृष्ठ

अंक १६—सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन— . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३–४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . . . १९७०—७५

दैनिक संक्षेपिका . . . . १९७६—८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३—२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ७६३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३६ . . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य-संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . २०७४—७७

१. कड्डुम बांध का टूट जाना ; और

२. बरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति——

आठवां प्रतिवेदन . २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि . . . २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य . . . २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक——

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २११३—१७

खण्ड १ और २ . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २१२०—२६

अंक १८——बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० . . . २१६८—९६

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . . . २१९६—९९

राज्य सभा से संदेश . . . २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति . . . २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१९९—२२०५

खण्ड २ से ४ और १ . . . २२०५

पारित करने का प्रस्ताव . . . २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २२०६—१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६—२७

दैनिक संक्षेपिका . . . २२२८—३४

अंक १९—गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८ ९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ . . . २२३५—६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९, ९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१ से ९४६ . . . २२६०—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ . . . २२७२—९८

स्थगन प्रस्ताव— . . . २२९८—२३०३

केरल में स्थिति . . . २२९८—२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . २३०४—०९

खण्ड २, ३ और १—पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८— . . . २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . २३१०—२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद . . . २३२१—४१

दैनिक संक्षेपिका . . . २३४२—४६

अंक २०—शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ . . . २३४७—७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . २३७१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित :	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित :	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्थानीय सड़क योजना

†*७९४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय स्वायत्त-शासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् की सिफारिश के अनुसार एक पृथक स्थानीथ सड़क योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना और कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं ; और

(ग) इस समय इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). संविधान के अधीन राज्यों में हो कर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों को छोड़कर राज्यों की अन्य सड़कों की जिम्मेदारी प्रारम्भिक रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों पर होती है। इसी के अनुसार स्थानीय सड़क योजना के बारे में स्थानीय स्वायत्त-शासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् की सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों के पास भेज दी गयी हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** पहले भी इस प्रकार की एक योजना थी जिसमें केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी सड़कों का एक तिहाई खर्च दिया था। उस योजना का क्या हुआ ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक राष्ट्रीय राजपथों का सम्बन्ध है, हम उनके निर्माण और देखरेख का पूरा खर्च उठाते हैं। जहां तक राज्यों के अन्तर्राज्यिक आर्थिक महत्व की सड़कों का सम्बन्ध है, हम केन्द्रीय सड़क निधि और अन्य निधियों में से कुछ राशियां आवंटित कर देते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

174 (A) L.S.D.—1.

†**श्री हाल्दर :** इस योजना के अधीन कलकत्ते के लिये मंजूर की गयी कुछ सड़कों का निर्माण क्यों आरम्भ नहीं किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसे तो हजारों सड़कें हैं ।

†**श्री हाल्दर :** इन सड़कों की सूची मेरे पास है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह क्यों समझते हैं कि मंत्री महोदय उनके मन की बात जान लेंगे कि वह किन सड़कों का जिक्र कर रहे हैं । इसके अलावा ४०,००० मील लम्बी सड़कें हैं। सब से पहले मंत्री महोदय को ब्यौरे की ये बातें बतायी जानी चाहियें । यदि उन्हें उत्तर न मिले या मसला बहुत महत्वपूर्ण हो तो वह मेरे पास आ ही सकते हैं ।

सेठ अचल सिंह : लोकल रोड स्कीम बनाने के वक्त क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि रोड्ज पानी में न डूब जायें ?

श्री राज बहादुर : इस का पूरा ख्याल रखा जाता है । इंजीनियर्ज का यह फर्ज है कि सरवे के वक्त इस बात का ध्यान रखें लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि नई नई सड़कें बनती हैं और नहरें बन जाती हैं और उन के बनने से कभी कभी पानी रुक भी जाता है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार राज्यों के राजपथों को राष्ट्रीय राजपथों के रूप में अपने हाथ में लेने वाली है, और यदि हां, तो इस वर्ष में ऐसी कितनी सड़कें ली गयी हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** हम राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों के रूप में नहीं लेने वाले हैं। प्रस्ताव यह था कि हम राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई १३,८०० मील से बढ़ा कर १५,००० मील कर दें—और यह अब भी विचाराधीन है । इस योजना के कुछ विशेष प्रस्तवों पर विचार किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न : ।

†**श्री दशरथ देव :** मैं एक प्रश्न पूछ लूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं । सारी गड़बड़ बहुत अधिक केन्द्रीयकरण से ही शुरू होती है । यहां एक स्थगन प्रस्ताव मेरे सम्मुख है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के किसी भाग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है । क्या इस वजह से आपको यहां स्थगन प्रस्ताव लाना चाहिये ? हर चीज के लिये आप केन्द्रीय संसद् का ही मुंह देखते हैं । राज्यों के विधान मंडल-विधान सभायें और विधान परिषदें भी तो हैं । पता नहीं यह हमें किस ओर ले जायेगी । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री दशरथ देव ।** श्रीमन्, केवल एक प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब और नहीं । मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा । प्रत्येक गांव की प्रत्येक छोटी से छोटी सड़क का जिक्र संसद् में नहीं आना चाहिये । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

जहाजों की मरम्मत की सुविधायें

†*७९५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े-बड़े पत्तनों में उपलब्ध जहाजों की मरम्मत की सुविधाओं के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने इस मसले की जांच करली है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन विचार के लिये सरकार को दे दिया गया है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). समिति अब तक अपना काम पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक वह अपना प्रतिवेदन दे देगी।

†**श्री सुबोध हंसदा :** यह जांच कब तक चलेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** इस समिति की नियुक्ति की घोषणा काफी पहले, २२ जनवरी को की गयी थी। लेकिन उसका प्रधान कार्यालय किस स्थान पर होना चाहिये आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण होना शेष था और इसका निर्णय काफी बाद में—अप्रैल, में किया गया। तब से समिति कार्य कर रही है। उसने ऐसे महत्वपूर्ण संगठनों के पास प्रश्नावली भेजी है जिनसे इस मामले में राय ली जा सकती थी, और दौरे का कार्यक्रम भी बनाया है।

†**श्री महन्ती :** इस समिति का अध्यक्ष कौन है, उसकी प्रविधिक अर्हतायें क्या हैं और उसे कितना वेतन मिलता है।

†**श्री राज बहादुर :** भूतपूर्व परिवहन उपमंत्री श्री ओ० वी० अलगेशन इस समिति के अध्यक्ष हैं। स्पष्ट है कि इस मंत्रालय के साथ पिछले पांच वर्षों से उनका सम्बन्ध रहा है और वह समस्या को काफी निकट से जानते हैं और इस विशेष कार्य के लिये वह बहुत ही उपयुक्त हैं।

†**श्री महन्ती :** मंत्री महोदय ने ......

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्यों को बहस में नहीं पड़ना चाहिये। यहां अध्यक्ष की योग्यता के बारे में बहस करना हमारा काम नहीं है।

†**श्री महन्ती :** मैं वह प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनके प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री वें० प० नायर :** इसका प्रधान कार्यालय किस स्थान पर हो इस प्रश्न का निर्णय करने में सरकार को चार महीने कैसे लग गये और क्या अंतिम रूप से इसका कार्यालय मद्रास में ही रखने का निश्चय किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** हम कार्यालय को दिल्ली में ही रखना चाहते थे; लेकिन यहां आवश्यक स्थान ढूंढ़ना संभव नहीं था। इसमें समय लगना जरूरी था। अब इसे मद्रास में ही रखने का निश्चय किया गया है।

†**श्री महन्ती :** मन्त्री महोदय ने अध्यक्ष के वेतन के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

†**श्री राज बहादुर :** मुझे वह संख्या ठीक ठीक याद नहीं है।

†**श्री महन्ती :** क्या वह हमें बाद में किसी समय बता देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ऐसे छोटे-छोटे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा कि किसी समिति के अध्यक्ष का वेतन क्या है। यह विश्व की सबसे बड़ी संसद् है। ४० करोड़ जनता के ५०० प्रतिनिधियों की यह सर्वाधिक लोकतंत्रात्मक संसद् है। क्या मैं ऐसी संसद् का समय किसी समिति के अध्यक्ष के वेतन के बारे में प्रश्न पूछने में ही नष्ट होने दूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती :** श्रीमन् मैं एक निवेदन करूं ? किसी से मेरी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। यदि कोई प्रविधिक समिति नियुक्त की जाय और उसका अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाय जिसके पास भूतपूर्व उपमंत्री होने के अलावा अन्य कोई अर्हता न हो तो निश्चय ही वह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बन जाता है और उसकी ओर संसद् का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिये ।

†**श्री राज बहादुर :** मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यह कोई पूरी तरह प्रविधिक समिति नहीं है। इससे हमें केवल यही बताना है कि जहाज़ों की मरम्मत और अन्य चीजों के लिये क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह मंत्री बनने योग्य थे जिनके अधीन यह प्रविधिक समिति थी, तो क्या वह उसके अध्यक्ष बनने योग्य नहीं हैं ?

†**एक माननीय सदस्य :** वह मंत्री थे ।

†**श्री तंगामिण :** अब तो वह मंत्री नहीं रहे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अपनी अपनी राय की बात है। मैं यहां इसका फैसला नहीं करने बैठा हूं ।

पंजाब में नई रेलवे लाइनें

\+

†*७६६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) पंजाब सरकार ने किन-किन नयी रेलवे लाइनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेने की सिफारिश की हैं;

(ख) क्या इन लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है :

(१) जगाधरी-चंडीगढ़–लुधियाना लाइन;

(२) उना-नांगल लाइन ;

(३) रोपड़-चंडीगढ़ लाइन; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन लाइनों का निर्माण कार्य योजना की अवधि में आरम्भ कर दिया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२५]**

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मद (२) का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और मद (१) और (३) के बारे में २६-१२-१६५६ को मंजूर की गयी जगाधरी–चंडीगढ़–रोपड़–लुधियाना लाइन के यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि उपर्युक्त परियोजना (१) और (३) के सम्बन्ध में उना-गांगल लाइन का निर्माण उचित नहीं है और फिलहाल इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमन्, मैं यह भी बता दूं कि जिन १७ लाइनों का सुझाव दिया गया है उनमें से केवल एक पर फिर से लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ किया गया है — यह है रोहतक-गोहाना-पानीपत लाइन जो लड़ाई के ज़माने में उखाड़ ली गयी थी । इसमें से केवल रोहतक से गोहाना तक की २० मील तक लाइन फिर से बिछायी जायेगी । काम चल रहा है इसके नवम्बर, १६५८ तक पूरे हो जाने की संभावना है जहां तक अन्य लाइनों का सम्बन्ध है, उनमें से केवल तीन के सर्वेक्षण के लिये मंजूरी दी गयी है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच है कि योजना आयोग रेल-पथों के विकास के पूरे प्रश्न पर पुनर्विचार कर रहा है और इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी नयी लाइन का निर्माण नहीं किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है । स्थिति यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन मंजूर की गयी कुछ लाइनों तक को कुछ कठिनाइयों के कारण स्थगित किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** प्रश्न यह है . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कह रहे हैं कि यह एक भिन्न प्रश्न है । हम कुछ निश्चित लाइनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उन लाइनों का निर्माण आरम्भ हुआ है या नहीं । लेकिन उनमें कब तक के लिये एसा तारतम्य स्थापित किया जब रेलवे स्वंयं स्थिति का सामना करने में समर्थ हो जाय और इन पथों को बढ़ाया जाय आदि भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं और नीति से सम्बन्धित हैं ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता :** रोहतक–गोहाना लाइन कब तक पूरी हो जायगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं बता चुका हूं कि यह नवम्बर, १६५८ तक पूरी हो जायेगी ।

गुडीवाडा–भीमावरम् लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

†*७६७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ नवम्बर, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुडीवाड़ा–भीमावरम् लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम कब आरम्भ होगा ;

(ख) वह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस परियोजना की प्राक्कलित लागत कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) सर्वेक्षण-प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी से उसके पूरे होने का समय नहीं बताया जा सकता।

(ग) लगभग २०३२ करोड़ रुपये ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मंत्री महोदय ने बताया कि सर्वेक्षण-प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है । यह सर्वेक्षण-प्रतिवेदन किस प्रकार का है --यातायात का या इंजीनियरिंग का ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : दोनों ही प्रतिवेदन आ गये हैं, लेकिन इनकी वित्तीय आवश्यकताओं का पुनरीक्षित ब्यौरा तैयार किया जा रहा है; वह अभी नहीं आया है। इसीलिये मंजूरी देने का काम रुका हुआ है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस वर्ष बजट में शामिल करने से पहले इनके सम्बन्ध में वित्तीय आवश्यकताओं का हिसाब नहीं लगाया गया था ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : कुछ अन्य बातों के कारण, जो बाद में उठीं, वित्तीय आवश्यकताओं का हिसाब फिर से लगाना पड़ा है और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है । मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि १६५८-५६ के कार्यक्रम में इसको शामिल कर लिया गया है और यदि हमें आवश्यक सामान मिल गया तो इसे आरम्भ कर १६६० तक पूरा कर दिया जायगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मंत्री महोदय ने "कुछ अन्य बातों" का जिक्र किया है। यह "कुछ अन्य बातें" क्या हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी: मार्ग रेखा[1] भाव बढ़ने के सम्बन्ध में और कुछ अन्य बातों के विचार से ।

†श्री वें० प० नायर : फिर वही बात, "अन्य बातों के विचार से" ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस लाइन पर यातायात बहुत अधिक होने के विचार से यह लाइन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी थी और इस वर्ष के बजट में इसके लिये उपबन्ध भी कर दिया गया था। अब इसका पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं--"अन्य बातों के विचार से" ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी: हमें इसकी वित्तीय आवश्यकताओं की सभीक्षा करनी पड़ती है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे --

†अध्यक्ष महोदय : क्या हम जिरह कर रहे हैं ? इसे यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है फिर भी अन्य बातों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : दो या तीन दिन पहले ही बजट पेश किया गया है और यह लाइन उसमें थी । अब 'अन्य बातें' आ गयी हैं-- यह क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में
[1]Alignment

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं ? जब किसी निर्माण-कार्य को कार्यक्रम में शामिल किया जाता है तो उसके ब्यौरे तैयार करने पड़ते हैं और रेलवे द्वारा इसके ब्यौरे तैयार कर लिये जाने के पश्चात् उस पर धन की मंजूरी रेलवे बोर्ड देता है । यह काम हो रहा है और वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में ब्योरेवार प्रतिवेदन मिलते ही मंजूरी दे दी जायगी ।

†**श्री तंगामणि** : गुडीवाड़ा भीमावरम् मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य १९५८–५९ के बजट में शामिल किया गया था । इसे बदलने के कार्य में दी गयी राशि में से इस वर्ष कितनी राशि का उपयोग कर लिया जायगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं बता चुका हूं कि इस के लिये वित्तीय आवश्यकताओं का हिसाब अभी नहीं लगा है और यदि तब तक मंजूरी मिल गयी तो यह कार्य अगले वर्ष आरम्भ करना पड़ेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कई महीने पहले से चल रहा था । क्या वह पूरा हो गया है और क्या रेलवे बोर्ड को प्रतिवेदन मिल गया है और क्या उस पर विचार कर लिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ये सभी प्रतिवेदन मिल चुके हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं कि और आगे कितने वित्त की आवश्यकता होगी । उसकी समीक्षा की जा रही है ।

†**श्री वें० प० नायर** : उसके बिना ही इसे बजट में शामिल कर लिया गया ?

†**श्री रंगा** : क्या इससे हम यह समझें कि सर्वेक्षण का आदेश देते और इसे योजना के प्राक्कलनों में शामिल करते समय सरकार को वित्तीय आवश्यकताओं का कोई ख्याल ही नहीं था ? क्या हमें यह आश्वासन दिया जायगा कि इस योजना को छोड़ दिये जाने की कोई संभावना नहीं है ।

†**श्री जगजीवन राम** : हमें उसका कोई ख्याल न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । जैसा मैं बता चुका हूं, हमने इसे शामिल किया है लेकिन काम शुरू करने के लिये अंतिम रूप से मंजूरी देने से पहले वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में ब्यौरेवार हिसाब लगाना पड़ता है । प्रत्येक परियोजना के बारे में हम इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं और यही अब किया जा रहा है ।

कई माननीय सदस्य **उठे**—

†**अध्यक्ष महोदय** : आंध्र के तीन महारथी प्रश्न पूछ चुके हैं । अगला प्रश्न ।

†**श्री प्रभात कार** : यह सिद्धांत का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: सिद्धांत का प्रश्न क्या है ? वह उसे समझा चुके हैं । एक ओर तो यह दबाव डाला जा रहा है कि प्रत्येक लाइन का निर्माण आरम्भ किया जाना चाहिये । यदि उसे ले लिया जाय और प्रतीक स्वरूप कुछ अनुदान मंजूर कर दिया जाय तो बाद में ब्यौरा तैयार करते समय यह पूछा जाता है कि "आपने ऐसा क्यों किया ?" प्रशासन की यही कठिनाइयां हैं । यदि माननीय सदस्य भी मंत्रियों के पद पर हों तो उन्हें इनका पता लग सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय रेलवे में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†*७९८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारतीय रेलों में काम कर रहे हैं; ग्रौर

(ख) वे किन शर्त्तों के ग्रधीन काम कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) ग्रौर (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है ग्रौर मिलते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस प्रकार के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चतुर्थ श्रेणी के या इसी श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में रेलवे मंत्रालय ग्रौर कुछ ग्रन्य विभागों में भी कार्य कर रहे हैं । उनकी संख्या कितनी है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** यह जानकारी एकत्र की जा रही है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रगट की थी लेकिन गये नहीं ग्रौर इसके फलस्वरूप उनकी नौकरी समाप्त कर दी गयी । क्या उनके ग्रभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ? ग्रपने ग्रभ्यावेदनों में उन्होंने कहा था कि उन्हें यहीं रोक लिया जाय ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इसमें पाकिस्तान के प्रश्न का हवाला है ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** पाकिस्तान सम्बन्धी प्रत्येक बात पूछेंगे ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** यहां काम करने वाले राष्ट्रजनों के बारे में ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ग्रौर उनकी नौकरी की शर्त्तों के बारे में है । माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** विभाजन के पश्चात् कुछ मुसलमान कर्मचारियों ने पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रगट की थी, लेकिन वह गये नहीं । उनकी नौकरियां समाप्त कर दी गयीं थीं । उन्होंने ग्रपने मामले के बारे में ग्रभ्यावेदन दिया था, उस पर विचार किया जा रहा था । मैं जानना चाहता हूं कि उस पर विचार हो रहा है या नहीं ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न उस मसले के बारे में नहीं है । इसका सम्बन्ध केवल उन लोगों से है जो काम कर रहे हैं--ग्रौर उनके काम की शर्त्तों से है । माननीय सदस्य निश्चय ही यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने मुसलमान यहां काम कर रहे हैं ।

†**श्री गोरे :** पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के सम्बन्ध में, चाहे वह रेलवे में काम करते हों या ग्रन्य विभागों में, क्या सरकार की कोई निश्चित नीति है ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** यहां-वहां ऐसी घटनायें होती रहती हैं जिनमें पाकिस्तानी राष्ट्रजन शामिल रहते हैं । फिर भी, क्या सरकारी विदेशी राष्ट्रजनों को नौकर रखना जारी रखे ?

†मूल ग्रंग्रेजी में

इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसलों के बारे में माननीय सदस्य स्थिति जानना चाहते हैं और समग्र सभा को उसके सम्बन्ध में उत्सुकता रहती है ।

†**श्री जगजीवन राम :** भारतीय रेलवे में कुछ विदेशी राष्ट्र-जन हैं । मैं पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों को छोड़ कर अन्य लोगों की बात कह रहा हूं । लेकिन भारतीय रेलवे में विदेशी राष्ट्र-जनों की संख्या बहुत थोड़ी है । इस समय हमारी यह नीति है कि यदि हमें विशेषज्ञों के रूप में विदेशी राष्ट्रजनों की आवश्यकता होती है तो हम आमतौर पर उन्हें रख लेते हैं; लेकिन वह प्रविधिक अधिकारियों के रूप में नहीं, वरन् हमारे अपने अफसरों के सलाहकारों के रूप में रखे जाते हैं । मोटे तौर पर यही वह नीति है जिसका हम पालन कर रहे हैं । लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि भारतीय रेलवे में पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों की ठीक-ठीक संख्या कितनी होगी और इसीलिये मैं इसे ठीक ठीक बता सकने की स्थिति में नहीं हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के भाग (क) का क्या उत्तर है ? यह प्रश्न भारतीय रेलवे में काम करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों की संख्या के बारे में है ।

†**श्री जगजीवन राम :** मुझे पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों की संख्या पता नहीं है, लेकिन यह संख्या बहुत छोटी होगी और किन्हीं श्रेणियों में ही होगी । मुझे संख्या ठीक से पता नहीं है ।

†**श्री गोरे :** क्या इस से मैं यह समझूं कि मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाने का कष्ट नहीं उठाया है कि भारतीय रेलवे में कितने पाकिस्तानी राष्ट्र-जन कार्य कर रहे हैं और क्या उनमें से कोई एक विशेषज्ञ वर्ग का है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जब तक कोई ऐसी वैसी बात न हो तब तक इसका पता करने का कष्ट उठाने का प्रश्न नहीं भी उठ सकता है । शायद इसका पता लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है लेकिन, जैसा मैं कह चुका हूं, जब तक मुझे इसकी जानकारी न मिल जाय और मैं यह देख न लूं कि इनकी संख्या कितनी है, मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि हमारे यहां पाकिस्तानी राष्ट्र-जन हैं या नहीं ।

†**श्री रंगा :** तब हमारे प्रश्न पूछने की जरूरत ही क्या है ? इसलिये क्या हमें यह आश्वासन दिया जायगा कि वह जानकारी एकत्र कर कुछ समय बाद उसे सभा-पटल पर रख देंगे ।

†**श्री जगजीवन राम :** यही जवाब तो हमने दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को उत्तर सुनना चाहिये । संभवतः यह जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है । स्पष्ट है कि उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि यह प्रश्न उठेगा ।

†**श्री गोरे :** मैं यह बतादूं कि जब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय डाकयार्डों और वाणिज्यिक जहाजी बेड़े में कितने पाकिस्तानी राष्ट्र-जन काम करते हैं तो उनका उत्तर था 'हजारों' । इसीलिये मैं जानना चाहता था कि रेलवे में कितने पाकिस्तानी राष्ट्र-जन काम करते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** डाकयार्डों आदि में ३५,००० हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने कहा कि वह जानकारी एकत्र कर रहे हैं । पाकिस्तानी राष्ट्र-जन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी :** उन्होंने कहा, "जब तक कोई ऐसी-वैसी बात न हो जाय तब तक इन आंकड़ों को जमा करने का कष्ट उठाने की क्या जरूरत है" ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बाद में उन्होंने कहा कि वह जमा कर रहे हैं।

†**श्री जगजीवन राम :** उत्तर में ही यह कहा गया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है लेकिन प्रश्न यह था कि यह जानकारी पहले से ही जमा क्यों नहीं कर ली गई। उस समय इसे जमा करने का कोई अवसर ही नहीं था इसीलिये उसे जमा नहीं किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं वास्तव में चकित हूं। माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं और मंत्री महोदय खुद बहुत उत्सुक हैं। यहां छापों के बारे में रोज प्रश्न और स्थगन प्रस्ताव आते हैं प्राकृतिक कारणों की वजह से होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं के अलावा यह पाकिस्तान वाली बात भी है। हम कब तक प्रतीक्षा करें? अब मंत्री महोदय कहते हैं कि "मैं यह आंकड़े जमा कर रहा हूं कि हमारी रेलवे में कितने पाकिस्तानी हैं।" लेकिन उनका यह कथन कि जब तक कोई ऐसी-वैसी बात न हो जाय तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये उचित नहीं था।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं भविष्य के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन मैं यह सपष्ट रूप से कह सकता हूं कि भारतीय रेलवे पर जो बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं उन में किसी में भी किसी भी पाकिस्तानी राष्ट्र-जन का हाथ नहीं था ।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं........

†**अध्यक्ष महोदय :** हम तथ्यों के बारे में बहस कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी :** मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। क्या इस बात के लिये पर्याप्त सावधानी रखी जाती है कि उन के रेलों में पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों को न रखा जाय जो पाकिस्तान की सीमा के निकट पड़ती हैं ?

†**श्री जगजीवनराम :** लोक-हित में मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता ।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं एक निवेदन करूं? जिस समय आपने बड़ी दुर्घटनाओं का उल्लेख करने की कृपा की थी, उस समय मंत्री महोदय ने उस पर आपत्ति करने की कृपा की और यह कहा कि इसमें बड़ी दुर्घटनाओं वाली बात कैसे आ सकती है। लेकिन जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे उस समय उन्होंने यह कहने की कृपा की कि ....

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह क्या तर्क कर रहे हैं ?

†**श्री हेम बरूआ :** मंत्री महोदय ने कहा "यदि कोई ऐसी-वैसी बात हो जाय"। यह "ऐसी-वेसी" बात क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी तक कुछ भी ऐसी-वैसी बात नहीं हुई है । अगला प्रश्न।

कृषि स्नातक[1]

†*७६६. **श्री कोडियान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितने कृषि-स्नातकों की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Agricultural Graduates.

(ख) क्या वर्त्तमान कृषि-कालेजों की क्षमता योजना अवधि के अन्त की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये पर्याप्त होंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) द्वितीय योजना की अवधि (१९५६–६१) में कृषि स्नातकों की कुल आवश्यकता ६,५०० कूती गयी है ।

(ख) जी हां, इसी अवधि में ७,१०० स्नातक तैयार हो जाने का अनुमान है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कोडियान** : इन कृषि कालेजों को चलाने में सरकार ने अब तक कुल कितनी राशि व्यय की है और इस प्रयोजन के लिये राज्य-सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सभी कृषि कालेज राज्य-सरकारों के हैं । उनका खर्च वही अपने कोष से उठाती हैं । जहां तक नये कृषि कालेजों का सम्बन्ध है, सरकार ने अनावर्त्तक व्यय का ७५ फी सदी और आवर्त्तक व्यय का २५ प्रतिशत अंश ऋण के रुप में देने का वादा किया है । कोई राज-सहायता नहीं दी जाती ।

†**श्री वें० प० नायर** : मंत्री महोदय ने कहा है कि कृषि कालेजों से निकलने वाले लोग पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे प्रयोजन के लिये काफी होंगे । यह अनुमान क्या इस बात को ध्यान में रखते लगाया गया है कि बहुत से कृषि स्नातक इस समय किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के स्थान पर उर्वरकों का हिसाब-किताब रखने में लगे हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कृषि-विभाग में काम करने वाले लोगों की आम तौर पर यही आलोचना की जाती है और मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि इस में कुछ सच्चाई भी है । लेकिन हमारी आवश्यकता इस प्रकार विभाजित है : हमने ७०० पुराने लोगों के स्थान पर रखने का, ३,८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लगाने का और २,००० को कृषि सम्बन्धी गवेषणा, शिक्षा और विकास सम्बन्धी योजनाओं में लगाने का विचार किया है ।

†**श्री दामानी** : . क्या यह सच है कि कृषि स्तानक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लगे हैं ? यदि हां, तो ऐसे खण्डों में कितने स्नातक काम कर रहे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे पता नहीं इस समय कितने काम कर रहे हैं लेकिन हमने अनुमान लगाया कि लगभग ३,८०० की आवश्यकता पड़ेगी ।

सेठ गोविन्द दास : जो कृषि विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उन में से जितने स्नातक हो कर निकलेंगे, क्या उन सबको जगह मिलेगी या किन्हीं को जगह दी जाय और किन्हीं को जगह न दी जाये इसके लिये गवर्नमेंट की कोई विशेष नीति है ?

डा० पं० शा० देशमुख : इंटरव्यू के बाद, उनकी क्वालिफिकेशंस और उनका काम देख कर जिनको हम लेना उचित समझते हैं उनको सर्विस में ले लेते हैं । वे दीगर जगहों पर भी जाते हैं और कुछ खेती भी करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : जो स्नातक अभी तक विभिन्न विभागों में रक्खे गये हैं उनके सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली हैं और यदि मिली हैं तो क्या सरकार यह कह सकती है कि उनके काम से इस देश में कुछ अन्न उत्पादन बढ़ा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम एक बात को छोड़ कर दूसरी पर जा रहे हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या कोई केन्द्र द्वारा शासित कृषि कालेज भी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार एक ऐसे कालेज की स्थापना करेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं । एक था, वह बन्द कर दिया गया है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार के सम्मुख ऐसे उदाहरण आये हैं कि आज भी कई कृषि स्नातक बेरोजगार हैं और उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यदि पूरी तौर से देखा जाय तो मेरे ख्याल से बहुत से बेरोजगार नहीं हैं । बम्बई राज्य में कुछ लोग फालतू हुआ करते थे । लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें से कइयों को, बल्कि अधिकांश को खपा लिया गया है और शेष ने खेती शुरू कर दी है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निश्चय किया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और किसी विश्वविद्यालय की परिकल्पना नहीं की गई है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक गहन बनाना

+

†*८००. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री कुमारन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक गहन बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम को गहन बनाया जा रहा है और गर्भ निरोध वस्तुओं के बारे में गवेषणा की जा रही है ।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम निर्धारित किये हैं ?

†**श्री करमरकर** : परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामों को हम अभी तक निर्धारित नहीं कर पाये परन्तु परिवार नियोजन क्लिनिकों में आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि परिणाम निराशाजनक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इक़बाल सिंह** : क्या यह सच है कि इन कार्यक्रमों के बावजूद जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के परिणाम कैसे निर्धारित किये जा सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम परिवार नियोजन पर सामान्य चर्चा नहीं कर रहे हैं ; हमें केवल यह देखना है कि कौन से विशेष उपाय किये गये । पर्याप्त समय के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : क्या उन लोगों को गर्भनिरोधक आप्रेशन कराने की सुविधायें दी गई हैं जिनके दो या तीन बच्चे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय का अध्ययन किया है और इसमें अभिरुचि रखते हैं कृपया माननीय मंत्री से व्यक्तिगत तौर पर जानकारी प्राप्त कर लें ।

†**श्री त्यागी** : वह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यहां प्रश्न पूछने की बजाये उन्हें व्यवहार में लायें ।

हीराकुड परियोजना से बिजली

†*८०१. **श्री सूपकार : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड परियोजना में बिजली की कितने प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता इस समय प्रयोग में लाई जा रही है ; और

(ख) हीराकुड बांध और चिपलिमा में सहायक बांध से पैदा की जाने वाली बिजली को कब तक पूरी तरह प्रयोग में लाया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). हीराकुड बिजलीघर की १,२३,००० किलोवाट अधिष्ठापित क्षमता में से ३७,५०० किलोवाट का एक यूनिट इस्तेमाल में नहीं लाया जाता । शेष ८५,५०० किलोवाट में से ३४,००० किलोवाट अथवा ३९.८ प्रतिशत या अधिष्ठापित क्षमता के २८ प्रतिशत का प्रयोग किया जा रहा है परन्तु इस वर्ष की समाप्ति अथवा १९५९ के प्रारम्भ में रूरकेला को ६०,००० किलोवाट और एलूमिनियम के कारखाने को २५,००० किलोवाट बिजली सप्लाई की जाती है । तब तक मुख्य बांध बिजली घर में पैदा की जाने वाली सारी बिजली प्रयोग में आने लगेगी । सहायक बिजली घर १९६१ के प्रारम्भ में तैयार हो जायेगा और वहां बनाई जाने वाली बिजली का प्रयोग उसी वर्ष होने लगेगा ।

†**श्री सूपकार** : बिजली पैदा करने की लागत क्या है और इसे किस दर से बेचा जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : विभिन्न वर्गों के लिये इसे बेचने की दर अलग है । बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों के लिये और घरेलू इस्तेमाल के लिये अलग-अलग दरें हैं ।

†**श्री सूपकार** : विद्युत योजनाओं से इस समय कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

†**श्री हाथी** : मई १९५८ में किये गये निर्धारण के अनुसार यह ६,४१,८०० रुपये था ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या दामोदर घाटी निगम और हीराकुड का बिजली बेचने का तरीका एक ही है या दोनों में अन्तर है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हाथी** : सामान्यतः दर का निर्धारण उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाता है परन्तु कुछ उद्योगों के लिये जहां मांग शत प्रतिशत होती है वहां पर कुछ कम रखी जाती है। इसी प्रकार कृषि के लिये कुछ रियायतें दी जाती हैं। यह उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है परन्तु वैसे दर लगभग उतनी ही होती है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हीराकुड में जो बिजली जैनरेट होती है या जो बिजली पैदा होती है, वह सिर्फ़ उड़ीसा में ही काम में लाई जाती है ?

श्री हाथी : अब तो उड़ीसा में ही काम में लाई जाती है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या हीराकुड विद्युत संभरण योजना लाभ में चल रही है या घाटे में ?

†**श्री हाथी** : इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि विनियोजित पूंजी पर लाभ हो रहा है परन्तु इससे लाभ होगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : दामोदर घाटी निगम बिहार राज्य को एक आने से कुछ कम दर से बिजली देता है परन्तु उपभोक्ताओं से सात गुना दाम वसूल किये जाते हैं। क्या उड़ीसा में भी यही हालत है ?

†**श्री हाथी** : वस्तुतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विषय यह है कि कितनी बिजली पैदा होती है और उसमें से कितनी इस्तेमाल होती है। बिहार और उड़ीसा की दरों की तुलना करना तो इस प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है। दर तो बिहार सरकार को ही निश्चित करनी है।

†**श्री सूपकार** : क्या हीराकुड से सप्लाई होने वाली बिजली को प्रयोग करने के लिये ग्राम्य क्षेत्रों में भी बिजली लगाई जा रही है ?

†**श्री हाथी** : कुछ ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाई गई है परन्तु मेरे पास वास्तविक आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि जलविद्युत् योजनाओं द्वारा तैयार की जाने वाली बिजली को समस्त भारत में समान दर से बेची जाये ?

†**श्री हाथी** : सभी बिजली घरों को एक 'ग्रिड' से मिलाना संभव नहीं होगा परन्तु भारत सरकार पांच या छः 'जोन' बना कर वहां 'ग्रिड सिस्टम' का प्रयोग करना चाहती है।

चेवरा को क्विलोन-एरणाकुलम् से मिलाने वाली रेलवे लाइन

†*८०३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज रेत को कोचीन बन्दरगाह तक ले जाने में सुविधा प्रदान करने के लिये चेवरा को क्विलोन-एरणाकुलम् से मिलाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण की संभावना को देखा गया है ; और

(ख) क्विलोन-एरणाकुलम् लाइन पर प्रतिमास कुल कितने माल का परिवहन होता है और पहले कितना अनुमान लगाया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) लाइन अभी हाल ही में खोली गई है अतः कोई तुलना करना संभव नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को विदित है कि अब दो या तीन लाख टन खनिज रेत समुद्र के भीतर सात मील दूर तक, जहां जहाज रुकते हैं ले जाई जाती है और यदि यह रेल मार्ग बन जाये तो कोचीन बन्दरगाह पर इसे सीधा जहाज़ों में लादा जा सकता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी उसके लिये हम उनके आभारी हैं परन्तु अभी तो उस लाइन का सर्वेक्षण करना भी सम्भव नहीं है ।

†**श्री वें० पे० नायर** : कठिनाई क्या है ? यह फासला दस मील से कम है और क्विलोन और एरणाकुलम् पहले ही रेल द्वारा मिला हुआ है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : आदमी, धन और सामग्री की कठिनाई है ।

†**श्री वें० प० नायर** : महा प्रबन्धक ने इस लाइन का उद्घाटन करते समय इस लाइन का लक्ष्य चार लाख टन वार्षिक बताया था और माननीय मंत्री कहते हैं कि अभी निर्धारित करना सम्भव नहीं है । क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है कि इसी सामग्री के कारण रेलवे परिवहन में दो या तीन लाख टन की वृद्धि हो जायेगी जिस पर काफी अपव्यय होता है क्योंकि जहाज़ जहां रुकते हैं ....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहस किये जा रहे हैं । एक लाइन बना दी गई है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस लाइन पर १९ स्टेशन हैं जिन में से दो पर माल परिवहन हो सकता है । शायद एक १५/३ से और दूसरा १५/५ से खोला गया था । इसलिये जब तक अन्य स्टेशनों को माल परिवहन के लिये नहीं खोला जाता तब तक तुलना नहीं की जा सकती । और फिर, ऐसी तुलना लाइन चालू होने के छः वर्ष पश्चात् की जाती है ।

†**श्री प्रभात कार** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बंगाल से बहुत दूर है ।

†**श्री प्रभात कार** : माननीय मंत्री ने कहा कि आदमियों, रुपये और सामग्री की कमी है । मैं जानना चाहता हूं ....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह सामान्य चर्चा करना चाहते हैं ?

†**श्री प्रभात कार** : क्या श्रमिकों की कमी है ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : टैक्नीकल कर्मचारियों की कमी है ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय सदस्य ने कहा कि अन्य स्टेशनों से माल नहीं भेजा जाता । यदि रेल सम्पर्क हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी इन बातों पर विचार करते हैं । ऐसे मामलों के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति तो दी जा सकती है जिन पर सरकार का ध्यान न गया हो परन्तु यह नहीं हो सकता कि माननीय सदस्य यह धारणा बना कर प्रश्न पूछें कि सरकार के पास कोई टैक्नीकल कर्मचारी और विशेषज्ञ नहीं जो सरकार को ऐसे मामलों में राय दे सकें । सम्भव है कि माननीय सदस्यों के विचार कुछ और हों ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुएं

†*८०४. { श्री वें० प० नायर :
{ श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन समवाय भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं पर जापानी इंजीनियरिंग वस्तुओं से अधिक भाड़ा लेते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं को इस भेद भाव से बचाने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की हो तो वह क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां। ओवरसीज़ नौवहन समवायों के प्रतिनिधियों की गत बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था और जहाजों के मालिकों ने अपने अधिकारियों को सरकार की राय से सूचित करने को कहा था और इस विषय में सहयोग देने का भी वायदा किया था ।

(ख) भाड़े की अधिक दर के बारे में प्रायः शिकायतें मिलती रही हैं और जहां कहीं उन्हें घटाना उचित था उसके बारे में ओवरसीज़ नौवहन समवायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी और कुछ एक मामलों में भाड़ा कम कराया गया था ।

†**श्री वें० प० नायर** : ये जहाज़ जापानी इंजीनियरिंग वस्तुओं की तुलना में भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं पर कितना भाड़ा अधिक लिया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि दोनों की दरों में अन्तर है। परन्तु यह बताने के लिये कि कुल अन्तर कितना है और हमने कुल कितना अधिक भुगतान किया था मुझे यह देखना पड़ेगा कि सब देशों को कुल कितना निर्यात किया गया था ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार के पास कोई अभ्यावेदन भेजा था और नौवहन समवायों के साथ बातचीत आरम्भ करने से पूर्व सरकार कितनी देर उस पर विचार करती रही ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने बताया कि भाड़े में अन्तर की सूचना सरकार को कई बार दी गई थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ऐसी शिकायतों को देखता है। इस मामले के निबटारे के लिये एक विशेष पदाधिकारी श्री सी० ए० बूच को नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें से मैं उनके तीन निष्कर्षों का उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं कि भाड़ों में अन्तर जान बूझ कर रखा गया है। दूसरे, उन्होंने मंत्रणा दी कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इन शिकायतों की जांच करने के लिये एक गवेषणा संस्था स्थापित करे। तीसरे, उन्होंने देखा कि निर्यात करने वालों द्वारा दी गई सभी शिकायतें उचित नहीं होती थीं। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि उन्होंने मूल बात का ही खंडन कर दिया।

†**श्री कासलीवाल :** भारतीय वस्तुओं की तुलना में जापानी वस्तुओं को प्राथमिकता क्यों दी जाती है और सरकार को कब से यह मालम है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : विदेशी नौवहन समवायों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वे अपने व्यापार को देखते हुये भाड़े निश्चित करते हैं।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या हमारे प्रतिनिधि ने अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया था और समान दरें निश्चित करने पर ज़ोर दिया था ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ठीक मालूम नहीं कि यह प्रश्न उठाया गया था या नहीं परन्तु यह अवश्य है कि ओवरसीज़ नौवहन समिति की मंत्रणा समिति की बैठक इसी विशेष प्रयोजन से हुई और उन नौवहन समवायों के प्रतिनिधियों ने, जो गत बैठक में उपस्थित थे, यह वायदा किया था कि वे हमारा पक्ष लेंगे और अपने अधिकारियों पर दबाव डालेंगे।

†**श्री अचार** : कौन से समवाय हैं जो अधिक भाड़ा लेते हैं ? क्या वे ब्रिटिश हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : किस देश के ?

†**श्री राज बहादुर** : सभी देशों के ; क्योंकि जो भी जहाज़ यहां आता है वह माल लाद कर ले जाता है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह देखते हुये कि इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात हमारे लिये बहुत महत्व रखता है क्योंकि इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, सरकार इस मामले की शीघ्र छानबीन करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी जिससे कि अधिक भाड़ा वसूल न किया जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं बता चुका हूं कि इस बारे में ओवरसीज़ नौवहन समवाय प्रतिनिधि समिति के साथ बातचीत कर रहे हैं। परन्तु असल बात यह है कि हम उन्हें अपनी बात मानने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। हम प्रशुल्क दर को नहीं बदल सकते। परन्तु फिर भी हम बातचीत करते हैं और कुछ मामलों में हम भाड़ा कम कराने में भी सफल हुये हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या भारत से माल का लदान करने के लिये विदेशी नौवहन समवायों को भारत में कोई पंजीयन भी कराना पड़ता है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न जापान (योकोहामा) और भारत से अन्य देशों को इंजीनियरिंग वस्तुयें भेजने से सम्बन्ध रखता है। प्रश्न यह है कि योकोहामा से क्या भाड़ा होना चाहिये और भारत से कितना ? हमारी वस्तुओं पर अधिक भाड़ा लिया जाता है।

†**श्री त्यागी** : मेरा प्रश्न शायद समझ में नहीं आया। मैं यह जानना चाहता था कि . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का अभिप्राय यह है कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त्यागी** : मेरा प्रश्न यह है कि विदेशी नौवहन समवायों पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है जिसके अनुसार वे यहां से माल लादते हैं या कि कोई भी जहाज़ हमारे बन्दरगाहों से माल लाद सकता है ? क्या इस प्रकार का कोई नियंत्रण किया जा सकता है कि जब तक सरकार अनुज्ञा न दे तब तक जहाज़ सामान न लाद सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नौवहन शब्द का उल्लेख हो जाने का यह अर्थ नहीं कि हम उससे सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार कर लें। माननीय मंत्री ने बताया कि विदेशी नौवहन समवायों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और वे स्वयं दर निर्धारित कर सकते हैं। माननीय सदस्य यह सुझाव देना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहते हैं कि जब जहाज़ हमारे बन्दरगाहों में आयें तो हम उन्हें दर घटाने के लिये बाध्य करें अन्यथा हम उन्हें लाइसेंस न दें ।

†**श्री त्यागी** : यही बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये कार्यवाही के लिये सुझाव हैं । माननीय मंत्री इन पर विचार करेंगे ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि यदि हम इस प्रकार का कोई दबाव उन पर डालेंगे तो हमारे जहाज़ों के साथ भेदभाव का बर्ताव किया जायेगा ।

†**श्री त्यागी** : वे ऐसा नहीं कर सकते । यह तो केवल इसलिये किया जायेगा कि हमसे अधिक भाड़ा लिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य संसार के सभी देशों में होने वाले भेदभाव के मामले जमा कर लें तो मैं चर्चा के लिये कुछ समय और दे दूंगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया कि वह हमें यह बताने में असमर्थ हैं कि हमारी इंजीनियरिंग वस्तुओं पर औसतन कितना ज्यादा भाड़ा लिया जाता है । उन्होंने यह भी कहा कि समिति ने इस मामले पर विचार किया है । शिकायत दर्ज करने के बाद भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग को कुल कितनी हानि पहुंची ?

†**श्री राज बहादुर** : यदि मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को ठीक प्रकार समझा है तो वह शायद कुल हानि के बारे में जानकारी चाहते हैं । विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दरें मेरे पास हैं । मैं या तो एक विवरण सभा पटल पर रख सकता हूं . . . . . वस्तुतः . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका हिसाब वैसे नहीं लगाया जाता । अगला प्रश्न ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैंने विशेष रूप से इंजीनियरिंग वस्तुओं के बारे में ही पूछा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो गणित प्रश्नों की तरह है । इसे आप हल कर सकते हैं । माननीय सदस्य एक समस्या सामने रख देते हैं और तुरन्त उसका उत्तर चाहते हैं । वह जानते हैं कि माननीय मंत्री इसके लिये तैयार नहीं हैं । यदि आप कहें तो माननीय मंत्री आंकड़े खोज सकते हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हर बात इससे उत्पन्न होती है । यह गणित की परीक्षा तो नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा यह अभिप्राय न था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय ठीक था । परन्तु इसका परिणाम अलग सा रहा । अगला प्रश्न ।

वनों का काटना[1]

†८०५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों के काटने से देश की जलवायु में कुछ परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन का क्या रूप है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deforestation.

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). वन काटने से देश की जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वन काटने से प्रायः समीपवर्ती क्षेत्र के तापमान और नमी पर प्रभाव होता है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यदि वन काटने से देश की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है तो फिर वन लगाने से क्या लाभ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन मामलों में कई बार कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। प्रश्नों की अनुमति के बारे में मैंने प्रक्रिया बदलने का प्रयत्न किया था । स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी मैं इस सभा का सदस्य था । उस समय यह पद्धति थी कि जब तक हम किसी प्रश्न के सुसंगत होने के बारे में निश्चित नहीं होते थे अन्य सब प्रश्न अस्वीकार कर दिये जाते थे । स्वतंत्रता प्राप्त होने पर मैंने दूसरी नीति अपना ली है । जब तक मुझे प्रश्न की निरर्थकता का विश्वास नहीं हो जाता मैं प्रायः प्रत्येक प्रश्न की अनुमति दे देता हूं । बहुधा, पूरी सावधानी और बुद्धिमता का आश्रय लेने पर भी ऐसे प्रश्न यहां आ जाते हैं । कुमारी अन्तरीप से ले कर हिमालय तक सम्पूर्ण भारत में—भूमध्य रेखा के १३ डिग्री ऊपर से लेकर ३० डिग्री ऊपर तक—समूचे भारत की जलवायु पर वन काटने के प्रभाव का उत्तर भगवान ही दे सकते हैं । कदाचित् गलती हम सबकी है प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य उत्तर देने वाले मंत्री महोदय और स्वयं मैं—हम सब गलती पर हैं । दूसरा प्रश्न ।

†**श्री तंगामणि** : श्रीमान्, एक प्रश्न और है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई लाभ नहीं है । माननीय सदस्य प्रति दिन मौसम का चार्ट देख सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : यह प्रश्न निर्दिष्ट स्थान के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब प्रश्न ही अनिर्दिष्ट है तो उससे उत्पन्न विषय निर्दिष्ट कैसे हो सकता है ।

†**श्री तंगामणि** : मैं विशेष स्थान के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मंत्री महोदय को लिख सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या माननीय मंत्री ने दिल्ली के समीपवर्ती भाग में वन लगाने की योजना का परित्याग कर दिया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैंने अभी बताया है कि वन काटने से कभी कभी समीपस्थ क्षेत्र के तापमान और नमी पर प्रभाव होता है । इसका अर्थ है कि वन काटने से क्षेत्र के तापमान और सील पर प्रभाव होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली के आस पास वन लगाने की योजना की क्या स्थिति है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह जानकारी कदाचित कृषि मंत्रालय देगा ।

†**सेठ गोविन्द दास** : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है । अभी आपने उत्तर दिया कि . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माफ कीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ियों का ठीक समय पर चलना

†८०६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत चार महीनों में रेलगाड़ियों के ठीक समय पर चलने की स्थिति काफी बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि प्रत्येक ज़ोन में गाड़ियां—विशेष रूप से दिल्ली से रवाना होने वाली और दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ियां—किस हद तक ठीक समय पर चलीं ; और

(घ) रेलगाड़ियों की समयनिष्ठता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गाड़ियों की समयनिष्ठता में कुछ ह्रास हो गया है ।

(ख) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२६]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह कहां तक सच है कि समयनिष्ठता की क्रियान्विति के लिये उत्तरदायी कार्यकारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं अथवा यह नियंत्रण नगण्य है ? नियंत्रण को प्रभावकारी रूप देने के लिये क्या कुछ किया जा रहा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह भावना सर्वथा सही नहीं है । इस कार्य के लिये उत्तरदायी अधिकारी समुचित निगरानी रखते हैं । किन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर नियंत्रण नहीं किया जाता है जैसे भीषण गर्मी अथवा पानी का नमकीन होना । फिर भी समयनिष्ठता में वृद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गत सप्ताह जनरल मैनेजरों की बैठक में रेलगाड़ियों के समय पर आने जाने की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा उठायी जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाहियों के स्वरूप पर विचार किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी और समयनिष्ठता की स्थिति में सुधार करने के लिये जनरल मैनेजरों से असाधारण रूप से प्रयत्न करने के लिये कहा गया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर नहीं दिया गया है । वे किस प्रकार के प्रयत्न प्रारम्भ करना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलगाड़ियों के ठीक समय पर चलने के बारे में वे रेलवे बोर्ड के पास सांख्यकी भेजते हैं। रेलवे बोर्ड गाड़ियों के आने और जाने पर सूक्ष्म दष्टि रखते हैं। जब भी कोई ह्रास दृष्टिगत होता है तो जनरल मैनेजर को चेतावनी दी जाती है। जनरल मैनेजर भी रेलवे में यही कदम उठा रहे हैं। जो गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चलतीं उनमें विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो विलम्ब को दूर कर समयनिष्ठता में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विवरण से प्रकट है कि पिछले वर्षों में जो कदम उठाये गये थे वही फिर अपनाये जा रहे हैं और फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मध्य ज़ोन में सब से कम गाड़ियां ठीक समय पर आती और जाती हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : जहां खारा पानी भी नहीं है।

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि मध्य रेलवे में पानी की कितनी कमी अनुभव की जाती है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रेस सदैव पांच या छः घंटे देर से क्यों चलती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इन मामलों की निजी तौर पर मंत्री महोदय के ध्यान में ला सकते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : मैंने विशेष रूप से यह बात उनको बता दी थी। चार या पांच महीने पूर्व मैंने उनको लिखा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सुझाव प्रस्तुत करते हैं। किन्तु सरकार को यह काम व्यक्तियों की सहायता से करना है। यह सच है कि वे सब व्यक्ति सरकार के अधीन कर्मचारी हैं। किन्तु वे सब अन्य राजनीतिक दलों के अन्तर्गत हैं। हमें यह बात विस्मृत नहीं कर देनी है। कई व्यक्ति अधिकारियों की अपेक्षा गैर-सरकारी व्यक्तियों के अधिक निकट हैं। सरकार को इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसीलिये वे कहते हैं कि भरसक प्रयत्न किया जा रहा है क्या हम इस विषय का निर्णय अभी करेंगे ?

माननीय सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या अधीनस्थ कर्मचारियों पर पर्याप्त नियंत्रण है। स्वाभाविक है कि सरकार यह नहीं कहेगी कि उन पर नियंत्रण नहीं है भले ही ऐसा हो अथवा नहीं। इसीलिये समय-समय पर जांच करने के लिये इंसपेक्टर भेजे गये हैं। पानी का खारापन आदि स्वाभाविक कारण हो सकते हैं। उन सब बातों पर रेलवे बजट के समय चर्चा की जा सकती है। रेलों में यात्रा करने वालों को भी गार्ड से कहना चाहिये कि यह ठीक नहीं है। अब अनेक संगठन हैं, कार्मिक संघ हैं; उन्हें भी इस कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहिये। यह सामान्य विषय है। यह कार्य सर्वथा सरकार के लिये ही नहीं है। यह जनता का भी कार्य है। क्या हम इस प्रश्न के सिलसिले में इन सब समस्याओं को हल कर सकते हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि टाइम-टेबल का समुचित रूप में पालन नहीं किया जाता है; इन पर विशेष ध्यान दिये बिना ही बना दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**एक माननीय सदस्य** : कुछ परामर्शदाता परिषदें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी ऐसी एक परिषद् का सदस्य रह चुका हूं । टाइम टेबल इसके सामने रखे जाते हैं । मुझे विश्वास है कि संसद् का प्रत्येक सदस्य उन स्थानीय परिषदों का पदेन सदस्य[1] होता है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन सब कठिनाइयों से बचने के लिये सब संसद् सदस्यों को प्रत्येक स्थानीय परिषद् का पदेन सदस्य बना देना चाहिये ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह प्रश्न पहले भी सत्र में रखा गया था । उस समय मैंने कहा था कि यदि सब सदस्य परामर्शदाता परिषदों के सदस्य बना दिये जायें तो ये परिषदें बहुत बड़ी और अव्यवस्थित बन जायेंगी ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी नहीं ।

श्री जगजीवन राम : मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह तब एक प्रभविष्णु[2] निकाय नहीं रहेगी । यदि आप किसी परामर्शदाता निकाय में एक सौ सदस्य रखें तो फिर यह किस प्रकार कार्य करेगी ।

जब सभा में यह बात उठाई गई तो आपने सुझाव दिया था कि जो भी माननीय सदस्य इस विषय में रुचि रखते हों वे सम्बन्धित जनरल मैनेजर अथवा परामर्शदाता परिषद् या टाइम-टेबल समिति को लिख सकते हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : इसका कोई अन्त नहीं है हम लिखते रहते हैं किन्तु कोई परिणाम नहीं निकलता है ।

†**श्री जगजीवन राम** : इन सुझावों पर ध्यान दिया जाता है । किन्तु कई बार माननीय सदस्यों के सुझाव पर परस्पर विरोधी होते हैं और कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। कई स्थितियों में गाड़ी बंद करने या समय परिवर्तन करने में परस्पर विरोधी सुझाव आते हैं और दो क्षेत्रों के हितों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है । किन्तु एक टाइम टेबल समिति है और इन सब बातों पर वहां विचार किया जाता है ।

†**श्री फीरोज गांधी** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे हर बार यही तर्क उपस्थित करती है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि एवं बाढ़ आदि का गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्या किसी ने मंत्री अथवा मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि रेलों की समयनिष्ठता सबसे अधिक उस समय रहती है जब रेलवे यात्री अधिक संख्या में हों अथवा बाढ़ें आ रही हों ? मुझे इसका उत्तर चाहिये ।

†**श्री जगजीवन राम** : यह कहना सर्वांशतः सही नहीं है कि यातायात बढ़ने से ही नियमितता का ह्रास होता है । मैं स्वयं भी इस विचार से सहमत नहीं हूं कि यातायात बढ़ने से नियमितता में अन्तर पड़ता है । हमने जो कारण दिये हैं वे कुछ और हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ex officio member.

[2]Compact.

†**श्री फीरोज गांधी** : यह रेलवे के वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये हैं ।

†**श्री जगजीवन राम** : यदि यातायात बढ़ जाये और वे गाड़ियों के समुचित संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करे तो निस्संदेह ही गाड़ियों के ठीक समय पर चलने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । किन्तु यदि यातायात की ओर से बाधाएं पैदा की जायें, जो सामान्यतः नहीं होता है, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री रंगा** : सरकार की ओर से निरन्तर आश्वासन प्राप्त होने पर भी ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस कई वर्षों से कई घंटे लेट चलती है तथा भोपाल और इटारसी के बीच घाट रेलवे में सुधार कर देने पर भी अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का इतिहास और उसकी समयनिष्ठता के बारे में सब माननीय सदस्यों को जानकारी है और अभी हम उस समय तक और ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस की समयनिष्ठा की गारण्टी नहीं दे सकते हैं जब तक कि उस रेलवे पर किये जाने वाले सब कार्य पूरे नहीं हो जाते हैं । जब यह काम पूरे हो जायेंगे तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के ठीक समय पर चलने की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि माननीय मंत्री विवरण की ओर देखें तो उन्हें प्रतीत होगा कि मध्य रेलवे में पानी का खारापन आदि कोई ऐसे कारण नहीं जो . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां एक नवीन प्रकृति जन्म ले रही है । माननीय मंत्री जब किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो सदस्यों को उसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये । अन्य अनेक अवसर हैं जब यह कहा जाता है कि उक्त तथ्य ठीक नहीं है दूसरा प्रश्न ।

गैर-सरकारी कम्पनियों से जहाज किराये पर लेना

*८०७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने बिहार राज्य में पटना, मोकामा और भागलपुर घाटों से यात्रियों को ले जाने के लिए किसी प्राइवेट कम्पनी के जहाज किराये पर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये जहाज वहां कब से चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे मार्च, १९५८ तक इन जहाजों के किराये के रूप में कुल कितनी राशि दे चुकी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) १९५० से ।

(ग) १९५३ से मार्च १९५८ तक पूर्वोत्तर रेलवे ने कुल १२,००,००० रुपये किराये में दिये । १९५३ से पहले की सूचना अभी नहीं मिल रही है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पटना, मुकामा तथा भागलपुर घाटों से गंगा में कुशलतापूर्वक स्टीमर सरविस चलाने के लिए कितने स्टीमरों की आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

है । इसमें रेलवे प्रशासन के पास अपने कितने स्टीमर हैं और ज्वाएंट स्टीमर कम्पनी से कितने स्टीमर किराये पर लेकर चलाये जाते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : नार्थ ईस्टर्न रेलवे के पास इस वक्त पांच स्टीमर हैं और हमें कम से कम आठ स्टीमर चाहिएं । कभी दो और कभी तीन स्टीमर किराये पर ले लिये जाते हैं ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह बात सही है कि ज्वाएंट स्टीमर कम्पनी से जितने जहाज किराये पर लेकर चलाये जा रहे हैं, विशेषज्ञों की राय में उनकी सम्मिलित कीमत तीन लाख से ज्यादा नहीं है पर सरकार कम्पनी को १२ लाख से ज्यादा किराया दे चुकी है । और क्या यह बात सही है कि समय समय पर उन जहाजों को खरीद लेने के सुझाव सरकार के पास आये हैं लेकिन उनको अमल में नहीं लाया गया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया ?

श्री शाहनवाज खां : यह ठीक है कि करीबन १२ लाख रुपया उनको दिया है । लेकिन उन जहाजों से लगभग ११ लाख रुपया हमने कमाया भी है । इस वक्त पुराने जहाज खरीदने का हमारा कोई इरादा नहीं है । कुछ नये जहाजों के लिए आर्डर दिये हैं और वे जहाज बन रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बर्मा से चावल का आयात

†*७९३. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजी कम्पनियों द्वारा बर्मा से भारत चावल लाने के लिये १९५७ और १९५८ में भाड़े की दर क्या निश्चित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो दरें किस आधार पर निश्चित की गई हैं और ये टेंडर आमंत्रित करने के पश्चात अथवा वार्ता की सहायता से निश्चित की गई थी ;

(ग) विभिन्न जहाजी कम्पनियों को चावल आवंटित करने का क्या आधार है ;

(घ) क्या यह सच है कि अन्य भारतीय जहाजी कम्पनियों के साथ साथ ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन को बर्मा से चावल लाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५७ में भाड़े की दर ५७ रुपये से लेकर ६७ रुपये ८ आने प्रति टन थी । यह बर्मा में लदाई के पत्तन से लेकर भारत में खाली किये जाने वाले पत्तन पर निर्भर है । १९५८ में निश्चित की गई समनुवर्ती दरें लगभग १७ रुपये प्रति टन कम है ।

(ख) परस्पर बातचीत के आधार पर ।

(ग) जहाज के महानिदेशक की राय और परिवहन मंत्रालय की कम्पनियों के साथ हुई चर्चा को ध्यान में रख कर विभिन्न कम्पनियों को आवंटन किया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी हां ।

(ङ) भारत और बर्मा के बीच व्यापार तटवर्ती जहाजों के माध्यम से सम्पन्न होता है और ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के जहाज सामान्यतया इस व्यापार में नहीं हैं । इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी भारतीय जहाजी कम्पनियां इस व्यापार के लिये समुचित टन भार ढोने में समर्थ थीं ।

पटसन की खेती

†८०२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८–५९ में पटसन की खेती १९५७–५८ की अपेक्षा इस वर्ष पटसन के भाव काफी गिर जाने के कारण कम हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को पटसन की खेती करने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२७**]

लाहौल घाटी के साथ सम्पर्क

†*८०८. { **श्री राधा रमण** : + **श्री दलजीत सिंह** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की लाहौल, स्पीति और चिनी आदि घाटियों में परस्पर सम्पर्क स्थापित बनाने की कोई योजना है क्योंकि देश के अधिकांश भाग में इसका शेष जगत से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का क्या स्वरूप है और ये कब सम्पन्न होंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने लगभग ६ करोड़ रुपयों के कुल लागत की सड़क सम्बन्धी योजनाओं का उपबंध पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लाहौल, स्पीति और चिनी में संचार सम्बन्धी व्यवस्था के लिये किया है । ये योजनायें प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन योजनाओं का नाम बताने वाला विवरण नीचे दिया जाता है :—

लाहौल घाटी में सड़कें

१. पनाली—रोहतांग पास रोड (जहां जीप जा सकती है)
२. रोहतांग पास—कोकसार रोड (,, ,,)
३. कोकसार—जिंगजिंग बार रोड (,, ,,)

†मूल अंग्रेज़ी में

स्पीति घाटी में सड़कें

४. ग्राम्फू–कुंजम पास अश्व-मार्ग[1]

५. कुंजम पास—धन कर अश्व मार्ग

६. लाहौल और स्पीति दोनों क्षेत्रों में अन्तर ग्राम और अश्व-मार्ग

(ब्यौरा उपलब्ध नहीं है)

चिनी घाटी में सड़कें

७. हिन्दुस्तान—तिब्बत रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २२)

८. करचम—संगला–चितकुल रोड (जहां जीप जा सकती है)

९. स्पीति घाटी रोड (२ फुट चौड़ा मार्ग)

मौसम सम्बन्धी बुलेटिन

†८०९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ऋतुविज्ञान विभाग द्वारा किसानों के लाभार्थ १९५७–५८ में मौसम सम्बन्धी कितने बेलेटिन जारी किये गये हैं ; और

(ख) कितने व्यक्ति उक्त बुलेटिनों को मंगाते हैं और इनमें कितने किसान हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और नई दिल्ली स्थित पांच प्रादेशिक ऋतुविज्ञान केन्द्रों से, किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी १८२५ नियमित बुलेटिन जारी किये गये थे ।

(ख) ये बुलेटिन आकाशवाणी से १८ विभिन्न भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं तथा अखबारों में भी छापे जाते हैं । अतः यह समाचार काफी संख्या में ग्रामीण जनता तक पहुंच जाता है ।

पुरी में रथ महोत्सव[2]

†*८१०. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी (उड़ीसा) में जून, १९५८ में आयोजित रथ महोत्सव के अवसर पर रेलवे प्रशासन द्वारा क्या क्या विशेष व्यवस्थायें की गई थीं ;

(ख) क्या इस महोत्सब से सरकार को विशेष आय हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी आय हुई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) छः विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं थीं । इसके अतिरिक्त महोत्सब के दौरान तलचर और पुरी के बीच चलने वाली दो स्थानीय रेलगाड़ियों में दो सवारी डिब्बे और जोड़ दिये गये थे । इसके अतिरिक्त प्रथमोपचार केन्द्र, पूछताछ कार्यालय, अतिरिक्त बुकिंगघर, रोशनी और व्यवस्था की अन्य सुविधाओं का उपबन्ध किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग ७१,८८० रुपये ।

---

†मल अंग्रेजी में
[1]Bridle Road
[2]Car Festival at Puri.

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधालय

***८११. श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने आयुर्वेदिक औषधालयों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी और उनमें से अब तक कितने खोले जा चुके हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने औषधालय स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दस औषधालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी और वे सभी खोले जा चुके हैं।

(ख) बत्तीस ।

अस्पतालों में आहार रसोईघर[1]

***८१२. पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुमेह, गैस्ट्रिक, अल्सर, कोलाइटिस और किडनी (गुर्दे) आदि के रोगों के इलाज के लिये विभिन्न अस्पतालों में आहार-रसोई गृहों के संचालन का अनुभव कैसा सिद्ध हुआ है; और

(ख) उक्त रोगों के निदान में आहार चिकित्सा कहां तक सफल प्रमाणित हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार की सहायता से विशेष आहार की व्यवस्था मधुमेह (डायबिटीज़) अनेमिया, हाइपरटेन्सन, नेफ़ाइटिस, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, सिरहोसिस आफ लीवर, क्षय तथा अन्य अनेक रोगों में सहायक सिद्ध हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ३०-४० दिनों तक विशेष आहार देने पर अनेमिया, हाइपरटेन्सन और सिलहोसिस लीवर के रोगियों की अवस्था में पर्याप्त सुधार दिखाई देता है। डायबिटीज़ मीलिटस में योजन पर आधारित चिकित्सा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। 'कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर' हासपर टेन्सन, नेफ़्रोसिस इत्यादि रोगों में प्रत्येक अवस्था को ध्यान में रख कर आहार पर आधारित रहने से रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ में पर्याप्त सहायता मिलती है। आहार विशेषज्ञ मरीजों के लिये उनकी आदत, रुचि और रोगों के अनुसार आहार निश्चित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप परी मरीजों की ओर से काफी सहयोग मिलता है।

पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे में बिजली से रेल चलाना

+

†*८१३. { **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री बि० दास गुप्त :
सरदार इक़बाल सिंह : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के विभिन्न सैक्शनों में बिजली से रेल चलाने से सम्बन्धित किस प्राथमिकता के अनुसार आरम्भ किया जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Diet Kitchens in Hospitals.

(ख) इलेक्ट्रिक इंजीनीयरिंग सम्बन्धी जिन विदेशी फर्मों से इस वर्ष के आरम्भ में टेंडर आमंत्रित किये गये थे क्या उन्हें ठेके देनें के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) किन-किन देशों और फर्मों को यह ठेके दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) पूर्वी और दक्षिण पूर्व रेल के निम्न सैक्शनों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है :

दुर्गापुर-मुगलसराय जिसमें प्रधानकांता तपठारदीह थी सम्मिलित है ; आसनसोल-सीनी-टाटानगर-रूरकेला राज रवर्षवान-बाजामज है; खड़गपुर-टाटानगर और स्यालदह डिवीजन में स्यालदह रानाघाट और डमडम---बोनगांव ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रतिकर अनुसूची

†*८१४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेलवे दुर्घटना में जान गवांने अथवा अंग हानि के लिये निर्धारित प्रतिकर अनुसूची जीवन के मूल्य-स्तर में पर्याप्त वृद्धि के कारण अर्थ हीन हो गई है ; और

(ख) क्या उपरोक्त अवस्था पर ध्यान देते हुए अनुसूची की पुनरीक्षा का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). प्रतिकर अनुसूची सम्बन्धित व्यक्ति के मासिक वेतन अथवा आय पर आधारित है और अधिकांश स्थितियों में आय या वेतन ही व्यक्ति के जीवन के मूल्य स्तर का द्योतक है। वर्तमान अधिकतम सीमा में वृद्धि होने की दृष्टि से प्रतिकर की अनुसूची भी पुनरीक्षा का प्रश्न विचाराधीन है।

खाद्य समस्या

†*८१५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य समस्या हल करने के लिये विश्वव्यापी प्रयत्न संगठित करने की दृष्टि से खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक ने अपने "भू-कल्याण वर्ष" की योजना के विचार के सम्बन्ध में क्या सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार के क्या विचार हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विस्फोटक पदार्थ वाले पैकेट

†*८१७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ जुलाई, १९५८ को त्रिचीरनमदारी की बंद लाइन पर त्रिचनापल्ली के १२ मील दक्षिण दिशा में रेलवे पटरी पर विस्फोटक पदार्थ वाले पैकेट रखे हुए मिले थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन में से किसी पैकिट का विस्फोट हुआ था और किन्हीं व्यक्तियों को चोटें लगी थीं ; और

(ग) क्या अपराधियों का पता लग गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) ज्योंही गैंगमेन एक पैकेट उठाकर उसके भीतर की वस्तु का निरीक्षण करने के लिये खोल रहा था कि उसका विस्फोट हो गया। गैंगमेन की हथेली में काफी चोट आई।

(ग) पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था में नियोजित पाकिस्तानी

†*८१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री भारत में आज कल अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था में नियोजित पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : ६,५०७.

इम्फाल में सिविल अस्पताल

†*८१९. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल का मौजूदा अस्पताल वहां के लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां एक केन्द्रीय अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में २५० बिस्तरों वाले अस्पताल के बन जाने की आशा पाई जाती है।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में खाद्य पदार्थों का गिराया जाना

†*८२०. **श्री अमजद अली** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा उत्तरी-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में पिछले तीन महीनों में जो खाद्यान्न लक्ष्य स्थान से अलग गलत स्थान पर गिराये गये उन से कितने प्रतिशत हानि हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस काल में बड़ी और छोटी विमान दुर्घटनाओं की संख्या कितनी थी ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनायें कितनी हुई जिन में पास में खड़े हुये लोग और गांव के लोग अन्तर्ग्रस्त हुये ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है जो उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) मई–जुलाई, १९५८ के दौरान में जिसमें इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अन्तर्ग्रस्त था दो बड़ी और एक छोटी दुर्घटना हुई थी ।

(ग) एक भी नहीं ।

एंग्लो-इंडियन स्कूल

***८२१. श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले एंग्लो-इंडियन स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो अंशकालिक अध्यापकों को क्या वेतन दिया जाता है ;

(ग) यदि यह काम किसी कर्मचारी को सौंपा जाये तो उसे क्या विशेष वेतन दिया जाता है ; और

(घ) क्या यह व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के अनुकूल है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एंग्लो-इण्डियन रेलवे स्कूलों का नाम बदल कर अब रेलवे स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) रखा गया है । अंग्रेजी स्कूलों में हिन्दी और या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के पढ़ाने के लिये राज्य सरकारें जो नियम बनाती हैं, वे इन स्कूलों पर भी लागू होते हैं । इस तरह के ६१ रेलवे स्कूल हैं जिन में से ५८ स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है ।

(ख) ४०–२–६० रुपये ।

(ग) और (घ). १५ रुपये या १० रुपये प्रति मास । यह रकम शिक्षा मंत्रालय की सलाह से नियत की गयी है ।

३७ अप प्रयाग फास्ट पैसेंजर का पटरी से उतर जाना

†*८२२. { **श्री वाजपेयी** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के करीकर-बरौनी सेक्शन पर करिहार से ४० मील खारिक स्टेशन पर ३१ जुलाई, १९५८ को ३७ अप फास्ट पैसेंजर गाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को चोटें लगीं और कितनी रेलवे सम्पति को क्षति पहुंची ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) 'टर्नग्राउट' पर जितनी गति से चलाने की अनुमति है उससे १० मील अधिक चलाना।

(ग) २५ व्यक्तियों को मामूली चोटें लगीं ; रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का हिसाब १८,००० रुपये लगाया गया है ।

केन्द्रीय गोदाम

†*८२३. **श्री त्यागी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौधा खाने वाले झींगुरों के कारण बम्बई के परेल, नयेगांव और सेवरी के केन्द्रीय गोदामों में खाद्यान्नों की काफी क्षति पहुंची;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी क्षति पहुंची और कितने रुपयों का नुकसान हुआ ; और

(ग) क्षतिग्रस्त स्टोर की सुरक्षा के लिये स्थानीय प्राधिकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं । इन गोदामों में गोबरौला[1], त्रिशूल-प्रजाति बभ्रु त्रिशूल लग गये थे जिस से अच्छे अनाज को कोई क्षति नहीं पहुंचती ।

(ख) किसी क्षति की आशा नहीं की जाती है ।

(ग) सामान्य कीटनाश संबंधी उपचार को और अधिक तीव्र कर इस कीड़े पर नियंत्रण कर लिया गया है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सस्ते अनाज की दुकानें

८२४. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में खोली गई सस्ते अनाज की दुकानों पर अनाज का कोटा गत कुछ दिनों से दिया जा रहा था वह आधा कर दिया गया है ;

(ख) इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस कारण लोगों में बहुत असंतोष है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग). गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण कई जंक्शन स्टेशनों पर, एक लाइन की गाड़ी से दूसरी लाइन की गाड़ी में माल का लदान बहुत रुक गया और पूर्वी जिलों के लिये अनाज का स्टाक रखने के लिये, सस्ते अनाज की दुकानों से गेहूं और मोटे अनाज का जो दैनिक कोटा दिया जाता था उसमें राज्य सरकार ने कुछ कमी कर दी, परन्तु वाराणसी में अनाज का वितरण पूर्ववत ही चलता रहा । पूर्वी जिलों में अब यथावत अनाज पहुंचने लग पड़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकांश सस्ते अनाज की दुकानों का कोटा पूर्ववत कर दिया है ।

चीनी का निर्यात

†*८२५. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चीनी मिल संस्था द्वारा १९५७-५८ में चीनी के निर्यात से कुल कितना लाभ कमाया गया ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Tribolium Castaneum.

(ख) क्या यह सच है कि पिछला माल बहुत कम कीमत पर बिका था जिससे १० लाख रुपये का घाटा हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह बिक्री सरकार की सहमति से की गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) लगभग १२ लाख रुपये।

(ख) जी नहीं। पिछली बार ५०० टन की बिक्री से लगभग ६५,००० टन की हानि हुई थी। बिक्री विश्व के मूल्यों के अनुरूप थी।

(ग) सरकार की पहले से सहमति लेना आवश्यक नहीं था।

जहाजों के लिये जापान का प्रस्ताव

†*८२६. **श्री राम कृष्ण :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सूपकार :
श्री कुमारन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री पाणिग्रही :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दामानी :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान सरकार ने भारत को १० करोड़ डालर तक के उधार जहाज़ भेजने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रमुख शर्तें क्या हैं ;

(घ) खरीदे जाने वाले जहाज कुल कितने टन भार के होंगे ; और

(ङ) उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा का वादा किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। जापान की सरकार द्वारा १८० करोड़ ऋण 'येन' क्षेत्र को छोड़ कर जिसका वहां की सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया था और भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, जिसका कुछ अंश जहाजों के निर्माण के लिये उपलब्ध है, अन्य कोई प्रस्ताव जापान की सरकार ने नहीं किया है। जहाज खरीदने के लिये जापान की एक गैर-सरकारी फर्म ने डालर देने का प्रस्ताव किया है जिस पर संबंधित पक्ष अब बातचीत कर रहे हैं।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क

*८२७. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री खादीवाला : }

क्या **रेलवे** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क बनाने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) इसे बनाने का कार्य कब से आरम्भ होने वाला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). योजना आयोग के परामर्श से निर्माण कार्य आरम्भ के प्रश्न की जांच की जा रही है।

लाहौरी गेट पर रेल का ऊपरी पुल

†*८२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री २७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौरी गेट, दिल्ली में रेल के ऊपरी पुल के पुर्निर्माण के बारे में और आगे क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) अब तक उस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) उत्तर रेलवे ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है किन्तु मिलाने वाले मार्गों[1] को चौड़ा करने का काम, जो लोक निर्माण विभाग के अधीन है, खाली भूमि पर कब्जा प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों के कारण यह रुक गया है।

(ख) ३१-३-१९५८ तक हिसाब लगाया गया कुल व्यय लगभग १,०२,३२२ रुपये है जिस में से रेलवे का अंश ११,८२५ रुपये और राज्य सरकार का अंश ९०,४९७ रुपये है।

जहाजों की खरीद

*८२९. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने पटना, मोकामा और भागलपुर घाटों पर परिवहन की सुविधा के लिये १९५० में ७५ लाख रुपये की लागत पर गोमती, यमुना और सूर्य नामक तीन जहाज खरीदे थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उचित निगरानी के अभाव में ये जहाज कुछ ही वर्षों में जीर्ण हो गये ; और

(ग) क्या इन जहाजों को अब भी यात्रियों को लाने-लेजाने के काम में लाया जा रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां। ये स्टीमर ७८,३१,०३१ रुपये में ख़रीदे गये थे।

(ख) जी नहीं। मरम्मत करके उन्हें अच्छी हालत में रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Approaches.

(ग) 'गोमती' और 'सरयू' स्टीमरों में अब भी मुसाफिर ढोये जाते हैं। 'यमुना' स्टीमर १९५१ में पूर्व रेलवे को दे दिया गया। यह सकरीगली और मनिहारीघाट के बीच मुसाफिरों को ढोने के काम में लाया जाता रहा है।

तारघरों में 'टेप रिले एक्सचेंज'

†*८३०. {**श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :}

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारघरों के आधुनिकीकरण के लिये एक 'टेपरिले एक्सचेंज' स्थापित करने पर कितनी राशि की आवश्यकता होगी ;

(ख) इस तरीके के द्वारा अब तक कौन-कौन से तारघरों का आधुनिकीकरण किया गया है ; और

(ग) द्वितीय योजना काल में इस आधार पर तारघरों का आधुनिकीकरण करने के लिये कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) एक 'टेप रिले एक्सचेंज' स्थापित करने पर लागत 'एक्सचेंज' की क्षमता के भिन्न भिन्न आयेगी, अर्थात् यह इस पर निर्भर करेगी कि कितने स्टेशनों से उसका सम्पर्क रहेगा और वहां कितना परियात (ट्रैफिक) रहेगा।

(ख) अभी तक केवल "बम्बई के सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस का आधुनिकीकरण" किया गया है।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस आधार पर तारघरों का आधुनिकीकरण करने के लिये ५६ लाख रुपये व्यय करने का विचार है।

दो सीट वाले मोटर रिक्शे

†*८३१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार ने दिल्ली में दो सीट वाले मोटर रिक्शों के लिये परमिट जारी के संबंध में नई नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस नीति के बारे में निश्चय करते समय केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी की फैक्टरियों का खोला जाना

८३२. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सहकारी चीनी की फैक्टरियां खोलने के लिये मशीनरी आयात करने के हेतु विदेशी मुद्रा के रूप में किसी सहायता की प्रार्थना की है ; और

(ख) क्या यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन फैक्टरियों के लिये लाइसेंस और विदेशी मुद्रा मांगी।

(ख) दो यूनिटों के सम्बन्ध में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। तीसरी फैक्टरी की सहायता का प्रश्न विचाराधीन है। लेकिन अगले दो साल या उसके आसपास के समय तक विदेशी मुद्रा की उपलब्धी होने की आशा नहीं है।

कलकत्ता में जल संभरण और सफाई व्यवस्था

†*८३३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कलकत्ता निगम के जल संभरण और सफाई योजना संबंधी परियोजनाओं पर अपनी सहमति दे दी है ;

(ख) इन योजनाओं के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) क्या २२५ लाख रुपये के ऋण की सम्पूर्ण परियोजना और प्राक्कलन प्राप्त हो गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां, इसका एक बहुत बड़ा अंश।

(ख) २२५.० लाख रुपयों में से अब तक १४५.२५ लाख रुपये की योजनाओं पर सहमति दे दी गई है।

(ग) जी हां, किन्तु पश्चिमी बंगाल से कुछ इंजीनिरिंग संबंधी ब्योरे की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

ईंधन उपयोग समिति

†*८३४. **श्री त० ब० बिट्ठल राव :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अमर सिंह डामर :
श्री विमल घोष :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन उपयोग समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है और वह सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। १३ अगस्त, १९५८ को।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली में नया मेडिकल कालेज

†*८३५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० सुशीला नायर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इर्विन अस्पताल दिल्ली से सम्बद्ध एक नया मेडिकल कालेज खोलने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) क्या इस वर्ष विद्यार्थियों का प्रवेश किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी होगी और वे दिल्ली के ही होंगे अथवा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों से भी लिये जायेंगे ; और

(घ) क्या दिल्ली में तीनों मेडिकल कालेज नामतः लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़ और इर्विन अस्पताल से सम्बद्ध नया मेडीकल कालेज के लिये अध्यापन समायोजन करने का कोई विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कालेज १ अगस्त, १९५८ से काम कर रहा है।

(ख) और (ग). इस वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश दिया गया है जिनमें से ४४ दिल्ली के हैं ; ११ अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के, दो जम्मू तथा काश्मीर के, दो विदेशी छात्र हैं और एक छात्र विदेश में भारतीय मिशन में काम करने वाले एक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी का 'वार्ड' है।

(घ) फिलहाल नहीं।

चीनी के कारखाने

†*८३६. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी कारखानों को चलाने के लिये, जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता है, नियुक्त किये गये अधिकृत नियंत्रकों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या अधिकृत नियंत्रकों को परामर्श देने के लिये कोई प्रबन्ध समितियां हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) श्री के० पी० जैन जो चीनी और बनस्पति निदेशालय के एक पदाधिकारी हैं, खड्डा, मोहीउद्दीनपुर और डोईवाला की इन तीन चीनी के कारखानों के अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये गये हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय मनः स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर

†*८३७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मनः स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर के विस्तार की योजना आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में आज तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उसके कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२८]** ।

(ग) आशा यह की जाती है कि योजना का अधिकांश द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

रेलों का विद्युतीकरण

†*८३८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री हेम बरूआ : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रेलों के विद्युतीकरण की योजना को कार्यान्वित करने में रेलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) आगामी तीन वर्षों में प्रति वर्ष के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ग) क्या रेलों ने इन योजनाओं की छानबीन की है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तरीके से और कहां तक ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण विद्युतीकरण की कोई भी योजना अभी तक नहीं रुकी है, यद्यपि अन्य विभिन्न कारणों वश विद्युतीकरण की योजनाओं को पुनः प्रावसथाबद्ध करना पड़ा है ।

(ख) विदेशी मुद्रा की मात्रा ४२ करोड़ रुपये है, वर्षवार आंकड़े देना समय से बहुत पूर्व होगा ।

(ग) कोई छानबीन नहीं की गई है जैसा कि उपर्युक्त (क) में कहा गया है, किन्तु कुछ पुनर्प्रावस्थाभाजन (री फेज़िंग) किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] All India Institute of Mental Health Banglore.

मऊ जंक्शन पर विद्यार्थियों का हमला

†*८३९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अगस्त, १९५८ को आजमगढ़ जिले के मऊ जंक्शन स्टेशन पर लगभग १००० छात्रों ने आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की रेलवे की सम्पत्ति को क्षति पहुंची ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) आठ प्वाइंट इण्डिकेटर, पैसेंजर शेड के बिजली के बल्ब और[1] समतल पारण के गेट पर एक लैम्प को क्षति पहुंची थी।

(ग) छात्र राज्य पुलिस की एक सशस्त्र टुकड़ी से तितर-बितर किये गये थे। पुलिस द्वारा किये गये प्रबन्ध के साथ-साथ बुकिंग आफिस की रक्षा के लिये रेलवे संरक्षण बल के लोग तैनात किये गये थे।

आसाम सैक्शन में इंजन

†१२७०. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के आसाम सैक्शन में कुछ इंजन ऐसे हैं जो जितने समय के लिये काम में लाये जाने चाहिये थे उससे अधिक समय पूरा कर चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको कब बदला जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). इंजन के लिये कोई "निर्धारित समय" नाम की चीज नहीं होती। इंजनों को बदलने और व्यय निश्चित करने के लिये ४० वर्ष का समय नियत किया गया है।

इस समय पूर्वोत्तर रेलवे के आसाम सैक्शन पर १४ इंजन हैं जो ४० वर्ष से भी अधिक पुराने हो गये हैं। यद्यपि इनको 'बदला' जा चुका है फिर भी काम के लिये उपयुक्त होने के कारण अभी उनसे काम लिया जा रहा है।

इंजनों को वास्तव में रद्दी उनकी दशा को देखते हुये किया जाता है जबकि उनका संधारण अनार्थिक अथवा उन्हें रखना खतरनाक समझा जाता है। जब उनकी दशा खराब हो जायेगी तो ये १४ इंजन चलाना बन्द कर दिया जायेगा।

बम्बई सरकार से प्राप्त गवेषणा योजनायें

†१२७१. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई सरकार गवेषणा की कितनी और किस प्रकार की योजनायें प्राप्त हुई हैं और १९५७-५८ के दौरान में कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा उन पर सहमति दी जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Level Crossing.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२९**].

डाकखाने

†**१२७२. श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के मराठवाड़ा खण्ड के परवानी जिले में गैर सरकारी मकानों में कितने डाकखाने कार्य कर रहे हैं ;

(ख) १९५७–५८ में सरकार ने उन के लिये कितना किराया दिया ; और

(ग) क्या इन डाकखानों के लिये मकान बनवाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (घ). एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के परवानी जिले में गंगाखेड़ नामक स्थान में केवल एक डाकखाना ऐसा है जो गैर-सरकारी भवन में काम कर रहा है। १९५७–५८ में सरकार ने ३०८ रुपये ५२ नये पैसे किराया दिया था। उसमें काफी जगह है और विभाग की ओर से फिलहाल कोई इमारत बनवाने का विचार नहीं है।

राष्ट्रीय राजपथों पर डाक बंगले

†**१२७३. श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में राष्ट्रीय राजपथ पर कितने डाक बंगले हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनके संधारण के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)**: (क) वांछित जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सामान्य मरम्मत और राष्ट्रीय राजपथ के संधारण के लिये राज्य सरकार को जो संधारण अनुदान दिया जाता है संधारण व्यय उसमें से वसूल किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूलभूत प्रकार के पूंजीगत निर्माण कार्य ही शामिल किये गये हैं और योजना में डाक बंगलों के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है।

मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†**१२७४. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जुलाई, १९५८ को पश्चिम रेलवे के कंदला-दीसा सैक्शन के सन्तालपुर और पिपराला स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के १३ डिब्बे पटरी से उतर गये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति पहुंची और दुर्घटना का कारण क्या था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १३ जुलाई, १९५८ को पश्चिम रेलवे के पालनपुर-गांधी धाम सेक्शन पर सन्तालपुर और पिपराला स्टेशनों के बीच जबकि ८०४ डाउन मालगाड़ी जा रही थी तो उसके १२ डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) रेलवे की सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगभग १२,४५८ रुपये और जनता की क्षति का अनुमान लगभग १,००० रुपये लगाया गया है।

जांच समिति ने दुर्घटना का कारण ९ और १० जुलाई, १९५८ की वर्षा और तत्पश्चात् बाद के दिनों में अत्याधिक वर्षा के कारण पटरियों का गीला और भारी होना बताया है। गीली और भारी पटरियों पर रेलगाड़ियों के आने जाने से पटरियां टेढ़ी हो गई। पटरियों की ऐसी दशा होने के कारण रेल गाड़ी के पहिये भी ठीक से काम नहीं कर सके और वैगन नं० १३१७६ के पिछले पहिये के दाहिनी ओर का एक्सेल-गार्ड पुराना हो जाने के कारण १०४½ मील पर टूट गया जिससे वह डिब्बा पटरी पर से उतर गया और जिस के परिणामस्वरूप और डिब्बे भी पटरी से उतर गये।

रेल के डिब्बे का पटरी से उतर जाना

†**१२७५. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहजहांपुर-आसनसोल पैसेंजर संख्या १३२ १६ जुलाई, १९५८ की प्रातः दरियाबाद स्टेशन के निकट पटरी पर से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) १७–७–५८ को (१६–७–५८ को प्रातः नहीं) लगभग ००.२१ बजे जबकि १३२ डाउन आसनसोल-शाहजहांपुर फास्ट पैसेंजर सादखनपुर और दरयाबाद के बीच जा रही थी, एक द्वितीय श्रेणी का डिब्बा, जो इंजन से दूसरे नम्बर पर था, पटरी पर से उतर गया।

(ख)[1] इंजन के चालक पहिये का 'हार्न स्टे' गिर गया और पहिये के नीचे चला गया जिससे गतिरोध हो गया और गाड़ी पटरी से उतर गई।

(ग) लगभग ३२,००० रुपये।

जूट की कीमतें

†**१२७६. श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में जूट की वर्तमान कीमतें क्या हैं ;

(ख) वर्तमान गिरी हुई कीमतों का क्या कारण है ; और

(ग) कृषकों के लाभ के लिए जूट की उचित कीमत निर्धारित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Driving Engine wheel.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). अगरतला में 'तोसा-बौटम' तथा 'व्हाइट बौटम' की किस्मों वाले जूट को माह के अन्त में कीमतें बतलाने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३०]** इससे यह पता लगेगा कि अगरतला में जून की अपेक्षा कीमतें अधिक हैं जब कि जून में कीमतों में मौसमी गिरावट आ गई थी। अखौरा (पाकिस्तान) से हो कर जाने वाले उस मार्ग के बन्द हो जाने के कारण जिस के द्वारा लगभग ८० प्रतिशत जूट त्रिपुरा से भारत आता था, तथा अखिल भारतीय मार्ग पर परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं के फलस्वरूप भी त्रिपुरा में जूट की कीमतें कम हो गई थीं ।

(ग) अखिल भारतीय मार्ग का सुधार हो जाने पर त्रिपुरा से जूट भेजे जाने की सुविधा हो जाएगी और इस से कृषकों को अच्छी कीमत मिल सकेगी । जूट की न्यूनतम कीमतें निर्धारित करने के सामान्य प्रश्न पर अनेक बार विचार हो चुका है ; परन्तु कीमतें बनाए रखने के प्रत्यक्ष साधन व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि जूट की कीमतें जूट के सामान की समस्त संसार की मांग से तथा पाकिस्तान में कच्चे जूट की कीमतों से प्रभावित होती हैं । अतएव निम्नलिखित अप्रत्यक्ष उपायों का अवलम्बन किया गया है :—

१. पाकिस्तान से जूट का आयात विनियमित करना ;

२. जूट के माल के निर्यात-शुल्क का समायोजन ;

३. जूट की किस्म का सुधार करने के लिए उपाय करना, तथा उर्वरकों की खरीद के लिये कृषकों को वित्तीय सहायता का दिया जाना ; और

४. सहकारी समितियों के बनाये जाने को प्रोत्साहित करना ।

तेज चलने वाली बंगलौर-सिकन्दराबाद रेलगाड़ी

†**१२७७. श्री नागी रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार या जनता ने सरकार से इस संबंध में प्रार्थना की है कि बंगलौर और सिकंदराबाद के बीच एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी के चलाए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) क्या सरकार दक्षिण के इन दो महत्वपूर्ण केन्द्रों के बीच तेज चलने वाली रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) सिकंदराबाद और बंगलौर शहरों के बीच ८५/८६ बंगलौर सिटी—सिकंदराबाद सवारी गाड़ियों के अतिरिक्त एक तेज चलने वाली गाड़ी चलाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि बंगलौर सिटी—द्रोणाचलम् सैक्शन में लाइन की क्षमता कम है तथा डिब्बों और इंजनों की भी कमी है । चूंकि इस भाग में कुछ गिनी गिनाई गाड़ियां चलती हैं अतएव उन के वर्तमान ठहरने के स्थान कम करके उन में से किसी एक को तेज चलने वाली रेलगाड़ी में बदलना व्यवहार्य नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रायदुर्ग-बेल्लारी रेल मार्ग

†१२७८. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के रायदुर्ग और बेल्लारी के बीच के रेल मार्ग को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) सन् १९५७–५८ में कितनी रकम मंजूर की गई थी और वह किन प्रयोजनों के लिए मंजूर की गई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) बेल्लारी और रायदुर्ग के बीच के रेल मार्ग को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) प्रत्येक पटरी में दो अतिरिक्त स्लीपर लगाकर तीन मील लम्बे रेल मार्ग को मजबूत करने का प्रस्ताव है।

(२) एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पुल के गर्डरों के नीचे की लकड़ी की जगह पर 'आर० सी० सी० बेड ब्लाक्स' रखे जा रहे हैं।

(३) वर्त्तमान लकड़ी के पुल[१] के स्थान पर एक चिनाई वाला पुल[२] बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(४) इस भाग में काज-वे[३] की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है जिस से वर्षा ऋतु में यातायात में कम से कम बाधा पड़ सके।

(ख) सन् १९५७–५८ के दौरान में निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए ८०,८५० रुपयों की रकम मंजूर की गई थी। यह रकम सामान्य व्यवस्था के लिए मंजूर की गई रकम के अलावा है :—

(१) रेलमार्ग में गिट्टी डालने के लिए .	१९,६०० रुपये
(२) बनावट की मरम्मत के लिए	२,७५० रुपये
(३) दरारों की मरम्मत के लिए	८,००० रुपये
(४) लकड़ी के पुल की जगह पर गर्डर पुल बनाये जाने के लिए .	२०,१०० रुपये
(५) छः पुलों के बेड-ब्लाक्स बदलने के लिए . . .	२,९०० रुपये
(६) पटरी तथा स्लीपरों के पुनर्नवन के लिए . . .	२७,५०० रुपये
कुल जोड़	८०,८५० रुपये

आल इंडिया रेलवे स्टाल एंड एलाइड एम्पलाइज़ यूनियन

१२७९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवे स्टाल एण्ड एलाइड एम्पलाइज़ यूनियन की ओर से कोई प्रतिनिधि मण्डल हाल में उन से या उप-रेल मंत्री से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कहां तक पूरा करने के लिये आश्वासन दिया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

[१]Pile Bridge. [२]Masonry Bridge. [३]Cause-Way

रेलवे उपमंत्री श्री (शाहनवाज खां) : (क), (ख) और (ग). ऐसा कोई प्रतिनिधि मण्डल रेल मंत्री या उप-रेल मंत्री से नहीं मिला।

रेलवे के बुक-स्टालों का संचालन ठेकेदारों द्वारा किया जाता है और जो लोग उन में काम करते हैं, वे रेल-कर्मचारी नहीं हैं।

श्री शील भद्र याजी पटना में उप-रेल मंत्री, श्री शाहनवाज खां से मिले और बुक-स्टालों के कर्मचारियों के बारे में उनसे बात की। उप-रेल मंत्री ने उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया।

रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना

†**१२८०. श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि १ जनवरी से जून १९५८ के अन्त तक कुल कितनी बार रेलगाड़ियां पटरी से उतरीं, कितनी सम्पति की हानि हुई और कितने आदमियों की जानें गईं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : १ जनवरी से ३० जून १९५८ तक की अवधि में छः बार सवारी गाड़ियां पटरी से उतरी हैं और उनका पटरी से उतरना गंभीर स्वरूप का था।

	सम्पति की हानि	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
(१) ३-२-५८ को पूर्व रेलवे केल्हावड़ा स्टेशन पर एस ११२ डाउन गाड़ी का पटरी से उतरना	८० रुपये	कोई नहीं
(२) ३०-४-५८ को पूर्व रेलवे के सुधानी और बारासोई के बीच ४ डाउन एक्सप्रेस का पटरी से उतरना	१३,९०० रुपये	कोई नहीं
(३) १८-५-५८ को पूर्व रेलवे के अमौसी और लखनऊ के बीच ३२ डाउन गाड़ी का पटरी से उतरना	१२,०३७ रुपये	१
(४) २१-५-५८ को पश्चिम रेलवे के चामराज स्टेशन पर ३५ अप फिरकी एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	७०,००० रुपये	३१

†मूल अंग्रेजी में

	सम्पति की हानि	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
(५) ३१–५–५८ को पूर्व रेलवे के दुलहापुर स्टेशन पर ५ अप इलाहाबाद एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना ।	५,५५० रुपये	१
(६) १३–६–५८ को उत्तर रेलवे के रहीमाबाद और दिलावरनगर स्टेशनों के बीच ६ डाउन मेल का पटरी से उतर जाना ।	५०,५७५ रुपये	कोई नहीं
	१,४७,०६२ रुपये	३३

आन्ध्र में भू-संरक्षण

†१२८१. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन् १९५८–५९ में आंध्र प्रदेश को भू-संरक्षण के लिए कितनी रकम बांट में दी गई है ;

(ख) मंजूर की गई योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस वर्ष में कितनी रकम खर्च हो चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्र तथा राज्य के हिस्सों को मिला कर कुल १९.५५ लाख रुपये।

(ख) राज्य की योजना में सन् १९५८–५९ के लिए निम्नलिखित योजनायें शामिल की गई हैं :—

१. विशाखापटनम् जिले में अराक् घाटी अग्रिम भू-संरक्षण योजना ।
२. कुरनूल और अनंतपुर जिलों में काली मिट्टी वाले क्षेत्र के लिए भू-संरक्षण विस्तार योजना ।
३. अनंतपुर जिले के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र के लिए भू-संरक्षण परियोजना ।
४. विशाखापटनम् जिले के पेंदुरथी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के लिए भू-संरक्षण योजना ।
५. विशाखापटनम् जिले के मचकुंड कछार के लिए भू-संरक्षण योजना ।
६. तेलंगाना क्षेत्र में कन्टूर बांध बनाने के लिए भू-संरक्षण योजना ।
७. कसौरिना बागानों का विस्तार ।

†मूल अंग्रेजी में

८. भू-संरक्षण गवेषणा केन्द्र, साहिबनगर ।

९. सूखी तथा कटी हुई भूमि में वनरोपण तथा भूमि कटाव-निरोधक कार्य ।

१०. वृक्षारोपण के अधीन पौधों के बगीचे ।

११. रक्षित जंगलों के बाहर वृक्ष हीन पहाड़ियों पर वृक्षारोपण ।

१२. भू-संरक्षण के कार्यों के लिए भू-अर्जन ।

१३. भू-संरक्षण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण ।

(ग) भाग (ख) के १ से ११ में बताए गए मदों पर जुलाई सन् १९५८ के अंत तक—जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है—२.५५ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। राज्य सरकार के पास से १२ और १३ मदों के आंकड़े तुरंत नहीं मिल सके।

ठेकेदार द्वारा संचालित इरुगुर हाल्ट स्टेशन[1]

१२८२. श्री नंजप्प : क्या **रेलवे** मंत्री ११ मार्च १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के जलारपेट–मंगलौर सैक्शन के सुलुर तथा सिंगानलबुर के बीच पड़ने वाले इरुगुर स्थान पर ठेकेदार द्वारा संचालित हाल्ट स्टेशन बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : इरुगुर में ठेकेदार द्वारा संचालित हाल्ट स्टेशन बनाने की सभी प्रारंभिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है और इस वर्ष अक्टूबर तक काम पुरा हो जाने की संभावना है। इसके बाद तुरंत ही हाल्ट-स्टेशन यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा जैसा कि ११–३–५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है।

रेलगाड़ियों की रफ्तार

†**१२८३. श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के पठानकोट और जोगिन्दरनगर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की फी घंटा रफ्तार १५ से २० मील तक है ;

(ख) क्या इस छोटी लाइन पर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का विचार करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग) तक. पठानकोट और जोगिन्दर-नगर छोटी लाईन के बीच चलने वाली तीनों गाड़ियां मिली जुली गाड़ियां हैं और विभिन्न भागों में १० से २५ मील प्रति घंटा की अधिकतम् चाल से चलाये जाने की अनुमति के अनुसार उनकी रफ़्तार ७ मील से १७ मील तक निश्चित कर दी गई है। गुलर–नागरोटा के बीच निश्चित रफ्तार को फी घंटा १२ से १५ मील तक करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और आवश्यक परीक्षण किये जाने के बाद, रफ्तार को बढ़ाने के औचित्य पर विचार किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Contractor-operated halt.

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

†१२८४. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८ में अब तक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जिले वार कितने नए डाकघर खोले गए हैं ;

(ख) उस जिले का क्या नाम है जहां सब से ज्यादा डाकघर खोले गए हैं ; और

(ग) सन् १९५८-५९ में कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३१]**

(ख) उदयपुर ।

(ग) २२३ जिलेबार सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है ।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

†१२८५. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५०-५१ से १९५७-५८ तक राजस्थान डाक तथा तार विभाग सर्किल के प्रत्येक डाक उपभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रत्येक वर्ग में कितनी रक्षित जगहें भरी गई हैं;

(ख) क्या उनके लिये रक्षित पूरा कोटा पूरा कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) से (घ). १-९-५३ (राजस्थान सर्किल बनने की तारीख) से १९५७ के अन्त तक की अपेक्षित जानकारी निदेशक, डाक तथा तार विभाग, राजस्थान सर्किल, जयपुर से मांगी गई है और ज्योंही वह प्राप्त होगी त्योंही वह लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कोटा (राजस्थान) में डाक तथा तारघर

†१२८६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में राजस्थान के कोटा डिवीज़न में जिले-वार प्रत्येक वर्ग के कितने डाकघर, तारघर, तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं और वे किन किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी

†१२८७. **श्री ओंकार लाल :** क्या **परिवहन** तथा **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९५८ के राजस्थान सर्किल के डाक तथा तार विभाग में कितनी महिला कर्मचारी थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** ७९ महिला कर्मचारी।

राजस्थान राज्य में गोशालायें

†१२८८. **श्री ओंकार लाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७–५८ की अवधि में भारत सरकार ने गोशाला विकास योजना के अधीन शहरी क्षेत्रों में दूध का संभरण बढ़ाने और अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने के लिये राजस्थान में कितनी गोशालायें खोली हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** आठ गोशालायें खोली गई हैं।

राजस्थान में वन रोपण

†१२८९. **श्री ओंकार लाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन १९५७–५८ में राजस्थान राज्य को वन रोपण बढ़ाने के लिये कितनी प्रविधिक तथा वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** प्रविधिक सहायता नहीं मांगी गई। २,६३,१०० रुपयों की रकम (जिसमें से २,४३,००० रुपये ऋण तथा २०,१०० रुपये सहायता के रूप में हैं) सन् १९५७–५८ में मंजूर की गई थी।

राजस्थान में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड योजनायें

†१२९०. **श्री ओंकार लाल :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक राजस्थान का जिले-वार कितना क्षेत्र सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड योजनाओं के अन्तर्गत आता है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार ने उन पर कुल कितना रुपया खर्च किया है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे):** (क) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसके प्राप्त होते ही वह लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) १–४–१९५६ से ३१–३–१९५८ तक राजस्थान की सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड योजनाओं के खर्च का निम्नलिखित भाग केन्द्रीय सरकार ने दिया था :—

अनुदान	११२·१९ लाख रुपये।
ऋण	९१·०५ लाख रुपये।

†मूल अंग्रेजी में

टिकिट चेक करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता-सूची

†१२६१. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व बीकानेर डिवीज़न के दिल्ली–रेवाड़ी–फाजिल्का खंड के टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक स्थायी किये जाने की और उनकी पदोन्नतियों का अन्तिम निर्णय होने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां ।

(ख) शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने की आशा की जाती है ।

तुगलकाबाद-साहिबाबाद लाइन का सर्वेक्षण

†१२६२. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री तारीख ११ मार्च, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित तुगलकाबाद-साहिबाबाद लाइन के स्थान का अन्तिम सर्वेक्षण अब तक पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट के ब्यौरे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) स्थान के अन्तिम सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य पूरा हो चुका है और उत्तर रेलवे प्रशासन रिपोर्ट तथा प्राक्कलन को अन्तिम रूप दे रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कुओं का निर्माण

†१२६३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ मार्च, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कुएं बनाने के लिये दिये गये ऋण का उपयोग किये जाने से संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी बतलाने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है ।
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३३]

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना

†१२९४. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री बाल्मीकी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गावों में बिजली लगाने की प्रगति हो रही है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में कितने गावों में बिजली लगाई जायेगी ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने गांवों में बिजली लगाई जाएगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली लगाने की प्रगति संतोषप्रद है ।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिये गये आंकडों पर आधारित अपेक्षित जानकारी बतलाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३४]**

चारखी-दादरी स्टेशन पर पानी की कमी

†१२९५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि रेवाड़ी -भटिंडा लाइन की चारखी-दादरी स्टेशन पर पानी की कमी के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ;

(ख) इस स्टेशन पर नल तथा जल-शीतक लगाने की योजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इस योजना के कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस योजना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, नहीं । प्लेटफार्म पर पानी का एक झोंपड़ा है और यात्रियों को पानी देने के लिये दो पानी-वाले स्थायी रूप से रखे गये हैं ।

(ख) एक पाताली नल लगा दिया गया है और शीघ्र ही नल लगाये जायेंगे।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि मई १९५९ तक यह काम पूरा हो जायेगा बशर्ते कि सभी सामग्री मिल जाय ।

(घ) इस प्रयोजन के लिये ७८,३८५ रुपयों की राशि मंजूर की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कालका मेल

†१२९६. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य स्टेशन के प्लेटफार्म पर कालका मेल छूटने के कुछ ही पहिले कालका तथा चंडीगढ़ के लिये सीधी बोगियां लगाई जाती हैं जिससे यात्रा करने वाली जनता को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). कालका मेल अप नं० १ दिल्ली से २२.३५ बजे छूटती है । कालका मेल अप नं० १ में जोड़े जाने वाले दिल्ली-चंडीगढ़ तथा दिल्ली-कालका के डिब्बों को ज्यादा से ज्यादा २१.०० बजे तक प्लेटफार्म नं० २ पर खड़े करने के स्थायी आदेश हैं । परन्तु अगस्त १९५८ की २८ तारीख़ तक कुछ ऐसे अवसर आये हैं जैसे कि २ अप्रैल, ६ मई, २ जून, १ जुलाई, तथा २ अगस्त, १९५८ को जब कि अपरिहार्य कारणों के कारण ये डिब्बे यार्ड से सीधे लाकर गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से १० से १५ मिनट पहिले उसमें जोड़े गये थे । उत्तर रेलवे से कहा गया है कि वह डिब्बों का इस प्रकार देर से प्लेटफार्म पर लाया जाना यथासम्भव बन्द कर दिया जाये ।

चावल की मिलें

†१२९७. **श्री वासुदेवन् नायर :** क्य खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय भारत में कितनी चावल की मिलें थीं ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से अब तक कितनी चावल की मिलें चालू हुई हैं और कितनी मिलों को लाइसेंस दिया गया है ; और

(ग) ३१ मार्च, १९५८ को चावल की मिलों के लाइसेंस के लिये कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** पूछी गई जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

बरेली एक्सचेंज दफ्तर में बुक किये गये ट्रंक-काल

१२९८. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मई, १९५८ तक की अवधि में बरेली एक्सचेंज आफिस में कितने ट्रंक-काल बुक कराये गये ;

(ख) उनमें से कितने काल परिपक्व हो गये और कितने रद्द कर दिये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि बरेली एक्सचेंज में बुक कराये गये ट्रंक-काल प्रति दिन परिपक्व नही होते और ग्राहकों को घंटों प्रतीक्षा करने के पश्चात् अपना काल रद्द करवा देना पड़ता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मई, १९५८ तक की अवधि में बुक कराये गये काल : १,४६,५८३ ।

(ख) (i) परिपक्व काल : १,१२,६९२ ।

(ii) रद्द किये गये काल : ३३,८९१ ।

(ग) और (घ). यह ठीक नहीं है कि बरेली टेलीफोन-केन्द्र से बुक किये गये ट्रंक काल प्रति दिन परिपक्व नहीं होते हैं, जैसा कि उक्त अंकों से स्पष्ट हो जायगा कि बरेली में बुक किये गये कालों में से अनुमानतः ७७ प्रतिशत, अर्थात् लगभग १००० काल प्रति दिन परिपक्व होते हैं। निष्फल होने वाली कालों के विभिन्न कारण हैं, यथा—

(१) बुलाये गये व्यक्तियों का उपलब्ध न होना ;

(२) बुक कराने के कुछ समय के बाद ग्राहकों द्वारा कालों का रद्द किया जाना ;

(३) दूर-स्थानीय कालों को कई एक ट्रंक परिपथों (Circuits) द्वारा मिलाये जाने के कारण देरी का होना ;

(४) तूफान, ताम्बे के तारों की चोरियां तथा अन्य कारणों से परिपथों में विघ्नों का आ जाना ;

(५) टेलीफोन परियात (Traffic) में असामान्य वृद्धि होने से परिपथों का अपर्याप्त होना ।

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिये निम्न विस्तार-कार्यों की आयोजना की गयी है :—

(१) अतिरिक्त साधनों द्वारा बरेली ट्रंक टेलीफोन-केन्द्र को बढ़ाया जा रहा है ।

(२) कानपुर और बरेली के बीच १२-मार्गीय वाहक प्रणाली के लगाने की योजना की मंजूरी दी जा चुकी है ।

(३) दिल्ली—कलकत्ता के बीच कानपुर तथा अन्य प्रमुख स्थानों को मिलाने 'को-एक्सियल' केबल के लगाये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, तथा कानपुर बरेली की १२-मार्गीय प्रणाली के साथ साथ इसका कार्य समाप्त हो जाने पर, बरेली टेलीफोन-केन्द्र में ट्रंक टेलीफोन परियात-सम्बन्धी निष्क्रमण-मार्गों (Out-lets) के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है ।

उत्तर रेलवे के पुल

१२९९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की बरेली-मुरादाबाद मेन लाइन पर धनेटा स्टेशन के दोनों ओर के पुल बहुत कमज़ोर हो गये हैं और इस कारण इन पुलों पर गाड़ी बहुत धीमी चाल से चलती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके किसी भी समय टूट जाने का भय है जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या सरकार उन्हें फिर से बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब धनेटा स्टेशन के दोनों ओर मील ३५७/१८-२१ और ३५६/२०-२१ पर बाइगूल और भलीसा पुलों से है। इन पुलों के गर्डर कमज़ोर नहीं हुये हैं, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार पर १० मील प्रति घंटे की जो पाबन्दी लगायी गयी है वह इसलिये है कि इस्पात के ये गर्डर इतने मज़बूत नहीं हैं कि इस समय जो भारी इंजन चल रहे हैं, उनकी सामान्य रफ्तार को सम्हाल सकें।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, ताकि भारी इंजन सेक्शन की सामान्य रफ्तार से चल सकें।

(घ) १९६१ तक ।

राष्ट्रमंडल समुद्री तार सम्मेलन[1]

†१३००. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९५८ के अन्तिम सप्ताह में राष्ट्रमंडल समुद्री तार सम्मेलन लन्दन में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन व्यक्तियों ने भारत की ओर से भाग लिया था उनके क्या नाम हैं ;

(ग) सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय हुये हैं ; और

(घ) उनका भारत पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी, हां।

(ख) श्री डी० सी० दास, आई० सी० एस०, संयुक्त सचिव, परिवहन तथा संचार मंत्रालय (नेता)।

श्री एस० एन० कालरा, समुद्र पार संचार सेवा (यातायात) के महा उपनिदेशक (सदस्य)।

श्री एस० पी० पटेल, कामनवेल्थ टेलीकम्यूनिकेशन बोर्ड, लन्दन में भारत के प्रतिनिधि (सदस्य)।

(ग) और (घ). यह सम्मेलन संसार के सभी भागों को जोड़ने वाले एक समुद्री तार का जाल बिछाने की योजना से सम्बन्धित प्रविधिक, वित्तीय तथा अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिये किया गया था और उसमें कुछ सुझाव भी रखे गये थे जो विचाराधीन हैं। उनका भारत पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा इसका निर्णय तभी हो सकेगा जब सरकार उन पर ब्यौरेवार विचार कर लेगी।

† मूल अंग्रेजी में

[1] Commonwealth Submarine Cable Conference.

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाना

†१३०१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से यह कहा है कि वह चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों के लिये ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाने की अपनी योजना तैयार करे और उसे केन्द्रीय सरकार को बताये ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). संघ सरकार ने पंजाब सरकार से इस प्रकार की कोई विशेष प्रार्थना नहीं की कि वह ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाने की अपनी योजना तैयार करे और उसे संघ सरकार को भेजे । परन्तु, नवम्बर, १९५७ में योजना आयोग ने पंजाब सरकार से सब-ट्रांसमिशन, विद्युत वितरण, तथा भाखरा-नंगल प्राक्कलन भाग २, के अधीन कुल विद्युत संभरण के ब्यौरे मांगे थे और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाना भी शामिल है । योजना आयोग द्वारा मांगे गये ब्यौरे अभी तक पंजाब सरकार से नहीं मिले ।

मछली पकड़ने वालों की सहकारी समितियां

†१३०२. **श्री कोडियान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य उद्योग को सहकारिता के आधार पर संगठित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने से अब तक राज्य सरकारों को इस के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) सितम्बर, १९५६ में मद्रास में हुये अखिल भारतीय मत्स्यपालन सम्मेलन नवम्बर, १९५७ में बम्बई में तथा जुलाई, १९५८ में मैसूर में हुये राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में मछुओं के रहन सहन को सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता तथा उन्हें संगठित एवं अस्तित्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं में संगठित करने की आवश्यकता को महसूस किया गया जिससे सामान्य रूप से मत्स्यपालन उद्योग के विकास के लिये तथा विशेष रूप से मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जा सके तथा इस बात पर भी विचार किया गया कि मत्स्यपालन सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जाये और उन्हें सहायता दी जाये । इन सम्मेलनों की सिफारशें सम्बन्धित राज्य सरकारों को बता दी गई थीं और उनसे कहा गया था कि वे उन्हें अपनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

२. मछुओं की सहकारी संस्थाओं को कृषि ऋण संस्थाओं के समान ही ऋण की सुविधाओं के सम्बन्ध में भारत के रक्षित बैंक से लिखा पढ़ी की गई है । बैंक जल्दी ही मछुओं की सहकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण करने का विचार कर रहा है

३. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को मछुओं तथा मछुओं की सहकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिये 'अधिक अन्न उपजाओ' नियमों के अधीन अनुदान तथा ऋण दे रही है । मछुओं की जो सहकारी संस्थायें पहिले केवल साख-संस्थाओं के रूप में कार्य करती थीं अब वे केन्द्रीय सरकार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

द्वारा दी गई सहायता से ऐसी संस्थाओं में संगठित की जा रही हैं जो मछली मारने के आवश्यक सामान, परिवहन तथा पकड़ी गई मछलियों के बेचने आदि की व्यवस्था करेंगी ।

४. राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे उत्पादन से बेचे जाने के सभी पहलुओं का समावेश करते हुये मछुओं की सहकारी संस्थाओं का संगठन करने के लिये उपयुक्त योजनायें बनायें ।

(ख) सन् १६५६–५७ और १६५७-५८ में मछुओं की सहकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को क्रमश: ५.५७ लाख रुपये ऋण तथा ५.०२ लाख रुपये कर्ज़ दिये गये थे । १६५८–५९ के केन्द्रीय आयव्ययक में इस प्रयोजन के लिये ८ लाख रुपयों की रक़म रखी गयी है । १६५६–५७ तथा १६५७–५८ में प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता का अलग अलग ब्यौरा तथा १६५८–५९ में दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्रमश: 'क' और 'ख' विवरणों में दिया गया है जो कि लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३५]**

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

†१३०३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के गठन में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न वेतन-क्रमों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त अधिकारियों की चुनाव समिति द्वारा तैयार की गयी और संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियां १५ अप्रैल, १६५८ को जारी कर दी गयीं थीं ।

सेवा के प्रशासन और चलाने के विषय में हिदायतें २७ मई, १६५८ को निकाली गयीं थीं ।

आरम्भिक गठन के समय इस सेवा की पदाली संख्या निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है और पदाली संख्या निश्चित होते ही सेवा के विभिन्न वेतन-क्रमों में अनुमोदित अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा कर दी जायेगी ।

खाद्यान्नों का आयात

†१३०४. **श्री अब्दुल सलाम :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रघुवीर सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–५७ और १६५७–५८ में कितने-कितने गेहूं और चावल का आयात किया गया ;

(ख) इन दो वर्षों में देश के भीतर से ही कितने-कितने गेहूं और चावल की वसूली हुई ;

(ग) इन दो वर्षों में आयात किया हुआ और देश के भीतर से ही वसूल किया गया कितना कितना गेहूं और चावल संग्रह करने के लिये भेजा गया ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) इन दो वर्षों में इन दोनों अनाजों का कितना-कितना स्टाक क्षतिग्रस्त हुआ और कितने का हिसाब नहीं मिल सका ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क)

(परिमाण हज़ार टनों में)

वर्ष	गेहूं	चावल
१९५६–५७ . .	१,५७२.७	५५५.१
१९५७–५८ . .	३,०३३.१	६०६.९
(ख)		
१९५६–५७ . . .	कुछ भी नहीं	५२.७ +०.७ (धान)
१९५७–५८ . . .	कुछ भी नहीं	३२२.७

(ग) गोदियों से सीधे व्यापारियों और राज्य सरकारों को भेजे गये स्टाक को छोड़ कर शेष सभी आयात किया गया और देश के भीतर से ही वसूल किया गया खाद्यान्न संग्रह के लिये भेज दिया गया था । बचे हुये परिमाण के बारे में आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) संग्रह में रखे खाद्यान्नों के विषय में क्षति अनाज सूख जाने, तौलने के तरीक़ों में फर्क होने, उठाने, धरने और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में हुये हैं । यह मान लिया जाता है कि "जिनका हिसाब नहीं मिल सका" की बात इन्हीं के लिये कही गयी है । इस आधार पर १९५६ और १९५७ के पत्री वर्षों के लिये, जिनके सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध थे, निम्नलिखित आंकड़े दिये जाते हैं ;

वर्ष	वस्तु	क्षतिग्रस्त अनाज		जितने अनाज का हिसाब नहीं मिलता	
		परिमाण (टन)	कीमत (रुपये)	परिमाण (टन)	कीमत (रुपये)
१९५६	गेहूं	४७.५६	२,३००	८६.२९	३७,२००
	चावल	१०८.५८	६३,०००	१५६४.२५	९,११,०००
१९५७	गेहूं	३२०.९९	१,४३,६००	१४५.४४	६५,१००
	चावल	३११.७८	१,८४,९००	५२६.५३	३,१२,०००

यात्रा-अभिकर्ताओं[1] पर रेलवे की बकाया

†१३०५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रा-अभिकर्ताओं पर रेलवे की बकाया की राशि ३० जून, १९५८ तक जमा होकर अच्छी खासी रक़म हो गयी थी ;

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Travel Agents.

(ख) बकाया की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) बकाया का व्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) ३०-६-५८ को लगभग ५.४३ लाख रुपये यात्रा अभिकर्ताओं पर बकाया थे ।

(ख) बकाया की वसूली के लिये सरकार जो कार्यवाही करती है उसमें सामान्यतया निम्नलिखित कार्यवाही शामिल होती है ;

(१) भुगतनान न करने वाली फर्मों को पत्र लिखना ।

(२) फर्मों से सम्पर्क कायम करने के लिये विशेष कर्मचारियों को तैनात करना ।

(३) फर्मों को यह चेतावनी देना कि बकाया भेजने में देर की पुनरावृत्ति का अर्थ करार भंग माना जायगा और इसके फलस्वरूप करार को समाप्त किया जा सकता है ।

(ग) ३०-६-५८ तक की बकाया के व्यौरे का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३६]**

साफ्ट-वुड के स्लीपर

†**१३०६. श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साफ्ट-वुड के स्लीपर तैयार करने के लिये पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम खण्ड में कितनी फैक्ट्रियां हैं ; और

(ख) १९५७–५८ में इन फैक्टरियों में साफ्ट-वुड के कुल कितने स्लीपर तैयार किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) आसाम में स्लीपर तैयार करने का केवल एक कारखाना नहरकटिया में है ।

(ख) उपर्युक्त कारखाने में १९५७–५८ में साफ्ट-वुड के १,४६,९२७ स्लीपर तैयार किये गये ।

पश्चिम रेलवे में भोजन व्यवस्था का कुप्रबन्ध

१३०७. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर और जनता रेलगाड़ी में भोजन व्यवस्था के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायत की पुस्तक में दर्ज शिकायतों को दूर करने के बारे में कई बार जानकारी नहीं दी गई; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). एक बयान नीचे दिया गया है :—

३०-६-५८ को जो साल बीता उसमें पश्चिम रेलवे में खान-पान/खोमचे की व्यवस्था के बारे में शिकायत की किताबों में कुल ५२२ शिकायतें दर्ज की गयीं । इनमें से ५० शिकायतें जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में थीं । ३९० शिकायतों का जवाब दिया गया जिनमें से २१ जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खान-पान और खोमचों की व्यवस्था के बारे में १३२ और जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के बारे में २६ शिकायतों के जवाब नीचे लिखे कारणों से नहीं दिये गये :—

		खान-पान या खोमचों की व्यवस्था के सम्बन्ध में	जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में
१.	शिकायत करने वालों का ठीक-ठीक पता न लिखा था।	४३	४
२.	शिकायतों का पूरा प्रमाण नहीं मिला .	५२	११
३.	शिकायतें सुझाव के रूप में थीं . .	३१	१४
४.	शिकायत करने वाले को लिखा गया था कि दोनों पक्षों के सामने जांच के लिये आने की सुविधा-जनक तारीख बतायें, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।	१	—
५.	जांच पूरी नहीं हुई है . . .	५	—
		१३२	२६

चीनी की मिलें

१३०८. श्री अमर सिंह डामर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-सरकार ने किन-किन राज्यों को चीनी मिलें स्थापित करने के लिये सहायता देने का निश्चय किया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्न राज्यों में सहकारी चीनी फैक्टरियों को स्थापित करने के लिये उपबन्ध है :—

आन्ध्र
आसाम
बिहार
बम्बई
मध्य प्रदेश
मद्रास
मैसूर
उड़ीसा

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
पश्चिमी बंगाल
पांडेचेरी

भारत सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के स्थापन के लिये प्रति फैक्टरी १५ लाख रुपये की दर से सहायता ेने का निश्चय किया है, बशर्ते कि ऐसी फैक्टरी स्थापित करने वाले भी लगभग उतना ही रुपया लगायें । ऐसी सहायता सहकारी चीनी फैक्टरियों को केवल उसी समय मिल सकती है जब कि उनको इन्डस्ट्रीज़ (रेगूलेशन एण्ड डेवेलपमेंट) एक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस मिल चुका हो और वे एक आयात लाइसेंस प्राप्त कर चुकी हों । द्वितीय पंचवर्षय योजना में अभी तक भारत सरकार ने आसाम, बम्बई, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों में सहकारी चीनी फैक्टरियों को सहायता दी है ।

चीनी का निर्यात

१३०९. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया, और

(ख) देश को इस के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा मिली ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क). इन दो वर्षों में चीनी का निर्यात निम्न-लिखित मात्रा में हुआ है ।

वर्ष (१ मई से ३० अप्रैल तक)	जितनी चीनी का निर्यात हुआ) (टनों में)
१९५६–५७	३६,३७२
१९५७–५८	१,१६,५३९

(ख) १२.४ करोड़ रुपये ।

त्रिपुरा में हाथी

†**१३१०. श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार वर्षों से लगातार कई हाथी अमरपुर परगने खौरी, रामभद्र, दम बर आदि गांवों के झूमियों की धान, जूट, कपास, तिल आदि की फसल को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षति को रोकने या झूमियों की हानि का मुआवजा देने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है हालांकि वे इस प्रयोजन के लिये अधिकारियों के पास आते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब और क्या कार्यवाही करेगी ?

†मल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जिन गांवों का जिक्र किया गया है उनम हाथी समय समय पर फस्लों को नुकसान पहुचाते रहे हैं। लेकिन पिछले चार वर्षों में केवल १९५५ और १९५७ में क्षति पहुंचाने की खबर मिली थी।

(ख) जी नहीं। इस प्रकार की क्षति को रोकने और पीड़ित झूमियों की सहायता के लिये त्रिपुरा प्रशासन निम्नलिखित कार्यवाही करता रहा है :—

(१) विशेष रूप से बनाये गये पटाखे चलाकर और हवाई फायरों द्वारा हाथियों को डरा कर भगाना;

(२) बदमाश हाथियों को मारने के लिये शिकारियों को नियुक्त करना;

(३) आदिवासियों को उदारतापूर्वक बन्दूकों के लाइसेन्स देना;

(४) घोषित बदमाश हाथियों को मारने के लिये शिकारियों को पुरस्कृत करना; और

(५) पीड़ित तथा पात्र परिवारों को निष्कारण सहायता देना।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास-पेकिंग विमान-सर्विस

†१३११. { **श्री मं० रं० कृष्ण** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच विमान सम्बन्धों की स्थापना सम्बन्धी वार्ता पूरी हो गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो यह बातचीत कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) क्या इस नये विमान सम्पर्क के कारण इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की मौजूदा मार्गव्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं।

(ख) इस विषय पर अभी व्यौरे की कुछ भी बातें बताना लोकहित में नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे में शिकायत-पुस्तकें

१३१२. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के बड़े स्टेशनों पर जब यात्री कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिये शिकायत-पुस्तकें मांगते हैं, तो उन्हें ये नहीं दी जातीं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यह कहना ठीक नहीं है कि पश्चिम रेलवे के अधिकतर बड़े-बड़े स्टेशनों पर जब मुसाफिर शिकायत की किताब मांगते हैं तो आमतौर पर उन्हें यह किताब नहीं दी जाती।

फिर भी, इस तरह की कुछ शिकायतें हुई हैं कि मांगने पर मुसाफिरों को शिकायत की किताब नहीं दी गयी। ऐसी शिकायतों की जांच करके उन पर मुनासिब कार्रवाई की जाती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

माल-डिब्बे

†१३१३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से नारियल के निर्यात के लिये जनवरी, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि में दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड जिले के अधीन सखीगोपाल तथा अन्य रेलवे स्टेशनों को कितने-कितने माल डिब्बे दिये गये हैं;

(ख) इसी अवधि में नारियल व्यापारियों ने प्रतिमास कुल कितने माल डिब्बों की मांग की थी; और

(ग) क्या अधिकारी वर्ग को पता है कि कम संख्या में माल डिब्बे मिलने से नारियल उत्पादकों और व्यापारियों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). खुर्दा रोड डिस्ट्रिक्ट में सखी-गोपाल और पुरी ही ऐसे दो स्टेशन हैं जहां से नारियल बुक किये जाते हैं। जनवरी, १९५८ से जुलाई, १९५८ तक के प्रत्येक महीनों में सखीगोपाल और पुरी स्टेशनों पर नारियलों को भेजने के लिये मांगे गये और दिये गये माल-डिब्बों की संख्या, महीने के शुरू और आखिर में अवशिष्ट मांगों की कुल संख्या के साथ, नीचे दी जाती है :—

(वैगनों के रूप में)

महीना	महीने के आरम्भ में अवशिष्ट	नयी मांगें	दिये गये वैगनों की संख्या	महीने के अन्त में अवशिष्ट
सखीगोपाल से				
जनवरी, ५८ . .	१४	१४	१६	१२
फरवरी, ५८ . .	१२	३	१२	३
मार्च, ५८ . .	३	१३	१३	३
अप्रैल, ५८ . .	३	१२	१२	३
मई, ५८ .	३	१७	१८	२
जून, ५८ .	२	१९	१७	४
जुलाई, ५८ . . .	४	१४	८	१०
पुरी से				
जनवरी, ५८ . . .	—	—	—	—
फरवरी, ५८ . . .	—	—	—	—
मार्च, ५८ . .	—	—	—	—
अप्रैल, ५८ . . .	—	१	१	—
मई, ५८ . .	—	—	—	—
जून, ५८ . . .	—	१	१	—
जुलाई, ५८ . . .	—	—	—	—

नोट : इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि उपर्युक्त अवधि में सखीगोपाल और पुरी में १०६ और २ माल डिब्बों की मांग पर ९६ और २ माल डिब्बे दिये गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं । नारियल उत्पादकों और व्यापारियों से अभी तक कुछ भी शिकायतें नहीं मिली हैं ।

उत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमाक्षेत्र में सड़क निर्माण योजनायें

१३१४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हेम राज :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण योजनाओं के हेतु जो २ करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गयी थी, क्या इस बीच उसके वितरण के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की किन-किन सड़कों के लिये कितनी धनराशि निश्चित की गयी है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्णय में देरी होने का क्या कारण है; और

(घ) कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रा में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं होता ।

(ग) और (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३७]**

शिक्षित बेरोज़गारों के लिये बस्तियां

१३१५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी तथा पीलीभीत ज़िलों में शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को बसाने का जो कार्य पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अब तक कितनी और किस-किस प्रकार की सहायता दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) (क) खेरी बस्ती बसाने की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त १२ बस्तियां बसाई जा चुकी हैं और उनमें ६२७ व्यक्तियों को (जिनमें से ५५८ भूमिहीन मज़दूर और ६९ शिक्षित बेरोज़गार व्यक्ति) बसाया जा चुका है । पीलीभीत बस्ती बसाने की योजना को जनवरी १९५८ में शुरू किया गया था । सोइल[1] और हाइड्रोग्राफिक[2] के सर्वे का काम आजकल हो रहा है और प्रारम्भिक कार्य पूरा हो जाने के बाद, बस्तियों के बसाने तथा भूमिहीन मज़दूरों और शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को बसाने का काम किया जायेगा ।

[1]Soil
[2]Hydrographic

(ख) भारत सरकार ने खेरी बस्ती बसाने की योजना के लिये १,९४,५०० रु० का अनुदान और ४,१०,००० रुपये का ऋण तथा पीलीभीत बस्ती योजना के लिये १,२२,००० रुपये का अनदान और १,३५,००० रुपये का ऋण दिया है ।

टेलीफोन

१३१६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री खादी वाला : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में प्रत्येक परिमंडल में टेलीफोन लगवाने के लिये इस समय कितने आवेदन-पत्र विलम्बित हैं;

(ख) उनमें से चालू वित्तीय वर्ष में प्रार्थनापत्रों के अनुसार प्रत्येक परिमंडल में कितने टेलीफोन लग जाने की आशा की जाती है; और

(ग) इस कार्य में और तेजी लाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). इस सूचना के बारे में विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३८]**

(ग) टेलीफ़ोन-केन्द्रों की वहन-शक्ति बढ़ाने तथा लम्बी प्रतीक्षा-सूची वाले टलीफ़ोन-केन्द्रों में, जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त केबल लगाये जाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । टेलीफ़ोन परिमण्डलों तथा अन्य परिमण्डलों के अध्यक्ष टेलीफ़ोन संयोजन देने के विषय में विशेष ध्यान रख रहे हैं, ताकि ये प्रतीक्षा सूचियां यथासंभव शीघ्र समाप्त हो सकें ।

नकली दवायें

†१३१७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नकली दवाओं के बारे में जनता से कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों से आयी खबरों से पता चलता है कि नकली दवाओं से सम्बन्धित शिकायतें अधिक नहीं हैं ।

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में औषधि नियंत्रण संगठन को आमतौर पर और सख्त बनाया गया है । इन कार्यवाहियों के अलावा आंध्र सरकार एक नकली दवा विरोधी समिति की स्थापना करने वाली है और केरल सरकार एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

चावल और धान

†१३१८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कुछ जिलों में चावल और धान के स्टाक जब्त कर लिये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) अब तक सरकार ने कितना स्टाक जब्त कर लिया और ले लिया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) स्पष्ट है कि तात्पर्य चावल और धान का स्टाक अधिग्रहीत कर लेने से है। यदि हां, तो उसका उत्तर 'हां' है।

(ख) और (ग). पंजाब के जिन जिलों में चावल और धान का स्टाक अधिग्रहीत कर लिया गया है उनके नामों, अधिग्रहीत परिमाण और अब तक सरकार को दिये गये परिमाण का विवरण इस प्रकार है :—

(सभी अंक टनों में हैं)

क्रमांक	जिला	अधिग्रहीत धान का परिमाण	दिये गये धान का परिमाण	अधिग्रहीत चावल का परिमाण	दिये गये चावल का परिमाण
१.	अमृतसर	४७३	कुछ नहीं	४,१३१	१,९६६
२.	गुरदासपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२,५३८	६२४
३.	अम्बाला	४६	कुछ नहीं	८९८	५७६
४.	फीरोजपुर .	२०४	कुछ नहीं	३,१७७	२,१२२
५.	जालन्धर	८१७.५	कुछ नहीं	१,६७९.५	१,१६०.५
६.	करनाल	३५७	कुछ नहीं	४,०२३	१,२३३.५
७.	पटियाला .	५६.५	कुछ नहीं	१,४८७	१,२७९
८.	होशियारपुर .	२९७	कुछ नहीं	१,४८५	७३४
९.	हिसार .	४२३	कुछ नहीं	९९८	५१४
१०.	रोहतक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	३५७	२३७
११.	गुड़गांव .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२५३	१२४
१२.	महेन्द्रगढ़ .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	३७२	१८८
१३.	संगरूर . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	३४५	३१०
१४.	भटिंडा . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	११४	११४
१५.	लुधियाना .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२३०	२१७
	जोड़ .	२,६७४	कुछ नहीं	२२,०८७.५	११,४०२

(घ) चावल और धान का जो स्टाक पंजाब की आवश्यकताओं से फालतू था उसे देश के अन्य भागों में वितरण के हित में अधिग्रहीत कर लिया गया क्योंकि ये व्यापारी इस स्टाक को स्वेच्छा से सरकार को बेचने के इच्छुक नहीं थे।

†मूल अंग्रेजी में

कृषि

†१३१९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और पशु-चिकित्सा कालेजों के अध्यापकों के लाभ के लिये अध्यापन प्रणाली के सम्बन्ध में मई, १९५८ में मसूरी में कोई विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) राज्यों के किन-किन संगठनों और संस्थाओं ने इस विचार-गोष्ठी में भाग लिया था; और

(ग) इस विचार गोष्ठी में किस प्रकार की चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). (१) सम्मेलन में भाग लेने वालों के नामों और (२) चर्चा के विषयों और उसकी सिफारिशों के दो विवरण लोक सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३९**]

चावल के भाव

†१३२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५७ से अगस्त, १९५८ तक पंजाब में चावल के भाव क्या रहे;

(ख) इसकी तुलना में एक वर्ष पहले के क्या भाव थे;

(ग) क्या सरकार ने बाजार से अथवा वसूली द्वारा पंजाब में कुछ खरीद की है;

(घ) यदि हां तो बाजार से और वसूली द्वारा कितना कितना चावल खरीदा गया है; और

(ङ) इस प्रकार पंजाब सरकार को कितना चावल प्राप्त हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) मामूली चावल के थोक भाव १६.०० रुपयों से २४·५० रुपयों के बीच में रहे ।

(ख) १६·५० रुपये से २४·६२ रुपये के बीच ।

(ग) सरकार ने बाजारों में खुले तौर पर और अधिग्रहण द्वारा, दोनों तरीकों से चावल खरीदा है ।

(घ) स्वेच्छा से बेचा गया . . लगभग ८२,९०० टन }
अधिग्रहण द्वारा . . लगभग २२,००० टन } २१-८-५८ तक ।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर में दिखाये गये परिमाण में चावल भारत सरकार की ओर से पंजाब सरकार ने खरीदा था ।

मसाले और काजू

†१३२१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाले और काजू सम्बन्धी वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की विचार गोष्ठी मई, १९५८ में मरकारा में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में किन मुख्य समस्याओं पर विचार हुआ और क्या निश्चय हुए ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) काजू, काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, अगिया घास, वैनीला, लोंग, जायफल और कपिशक की फसल के सम्बन्ध में गवेषणा और विकास विषयक समस्याओं पर चर्चा की गयी थी ।

विचार-गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों के विवरण की प्रति लोक-सभा सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४०]**

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१३२२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अम्बाला सर्किल में डाक तथा तार विभाग कर्मचारियों के क्वार्टरो के निर्माण पर कितना धन व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : २,३६,५८० रुपये (दो लाख, छत्तीस हजार पांच सौ अस्सी रुपये) केवल

चौधरी जांच प्रतिवेदन

†१३२३. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदी और पत्तन श्रमिकों के वेतन-क्रमों को उचित स्तर पर लाने के सम्बन्ध में चौधरी जांच प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सम्बान्धत यूनियनों की सहमति से विभिन्न पदों के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों की जांच करने और उन्हें अन्य सरकारी विभागों के समान उत्तरदायित्व वाले पदों के वेतन-क्रमों के आधार पर अनुमोदित वेतन क्रमों में बैठाने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी है । समिति का कार्य पूरा होने से पहले यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि गोदी और पत्तन श्रमिकों के वेतन-क्रमों को उचित स्तर लाने में कितना अतिरिक्त व्यय होगा ।

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति

१३२४. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में १९५७-५८ में एक आयुर्वेदिक सहायक निदेशक (असिस्टेंट डायरेक्टर) नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पद के लिये अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह स्थान कब तक भरे जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से एक उम्मीदवार की मांग की गयी है और उनकी सिफारिश का इन्तजार है ।

(घ) यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश मिलते ही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्रोणाचलम्-सिकन्दराबाद रेलवे लाइन को सुदृढ़ बनाना

†१३२५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ की अगस्त में हुई महबूबनगर दुर्घटना के पश्चात् मध्य रेलवे के द्रोणाचलम्-सिकन्दराबाद मीटर लाइन सेक्शन को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) ३० जून, १९५८ तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई और कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४१]**

रेलवे कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृह

†१३२६. **श्री पाणिग्रही :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी में रेलवे कर्मचारियों के किसी विश्राम-गृह की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस विश्राम-गृह की स्थापना कब से हुई है ; और

(ग) पुरी में कुल कितने रेलवे कर्मचारियों ने विश्राम गृह की सुविधाओं से लाभ उठाया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग). पुरी में दो अवकाश-गृह हैं—एक की स्थापना दक्षिण पूर्व रेलवे ने की थी और दूसरे की पूर्व रेलवे ने ।

दक्षिण पूर्व रेलवे का अवकाश-गृह दिसम्बर, १९४९ में आरम्भ किया गया था । पिछले तीन वर्षों और इस वर्ष के सात महीनों में इस में आकर टिकने वालों की संख्या इस प्रकार है :

१९५५	६२
१९५६	७१
२९५७	८४
१९५८	६८
	(छः महीनों में)

पूर्व रेलवे के अवकाश गृह की स्थापना मई, १९५८ में की गयी थी और अब तक ५८ कर्मचारी इस अवकाश-गृह में आ कर ठहर चुके हैं ।

चीनी का निर्यात

†१३२७. **श्री संगण्णा :**
श्री दामानी :
श्री साधू राम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू सीजन में ५०,००० टन चीनी के निर्यात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्राओं की आय होने का अनुमान है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** लगभग २.२५ करोड़ रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे में सिगनलर

†१३२८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून, १६५८ को उत्तर रेलवे में कुल कितने सिगनलर काम कर रहे थे ; और

(ख) इस रेलवे में कितने सिगनलरों को ऊंचे पदक्रमों में डाला गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ८५१ ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिना टिकट यात्रा

†१३२९. **श्री सुबिमन् घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी गाड़ियों में पहले दर्जे के डिब्बों में टिकटों की जांच कभी-कभी ही की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि पहले दर्जे के यात्री, विशेष रूप से थोड़ी दूर सफर करने वाले यात्री बहुधा बिना टिकट यात्रा करते हैं जिस के फलस्वरूप इन डिब्बों में भीड़ भाड़ हो जाती है ; और

(ग) क्या इन सभी गाड़ियों में पहले दर्जे के डिब्बों में टिकटों की जांच ज्यादा सख्ती से करना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मेमारी स्टेशन (हावड़ा डिवीजन) पर ऊपरी पुल

†१३३०. **श्री सुबिमन् घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों का ध्यान हावड़ा डिवीजन के मेमारी स्टेशन पर के ऊपरी पुल की जर्जर और दयनीय अवस्था की ओर आकृष्ट हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मरम्मत के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ;

(ग) क्या अविलम्ब उस की मरम्मत कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या यह सच है कि मेमारी स्टेशन पर यातायात बहुत अधिक है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). इस ऊपरी पुल की अवस्था न जर्जर है न शोचनीय । उस के फर्श के लकड़ी के फट्टों के स्थान पर कंक्रीट के स्लैब लगाये जा रहे हैं । इस कार्य का पचहत्तर प्रतिशत अंश पूरा हो चुका है और शेष कार्य के भी शीघ्र पूरे हो जाने की आशा है । समय समय पर जो मरम्मत जरूरी होती है, कर दी जाती है ।

(घ) जी हां ।

---

† मूल अंग्रेजी में

रेलवे में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी

†१३३१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलवे में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है ;

(ख) क्य यह सच है कि प्रविधिक कर्मचारियों की यह कमी होते हुए भी अप्रविधिक कार्यों में लगाया जाता है ; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे में अप्रविधिक कार्यों में लगे प्रविधिक कार्मचारियों और प्रविधिक कार्यों में लगे अप्रविधिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां, सामान्यतया ।

(ख) जी हां, कुछ सीमा तक ।

(ग) तीन प्रविधिक पदाधिकारी सामान्य पदों में भर्ती किये गये हैं। प्रविधिक पदों पर अप्रविधिक लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता ।

कुरढ़िया सिंचाई परियोजना, उड़ीसा

†१३३२. **श्री पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ परगने की कुरढिया सिंचाई परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिये केन्द्र ने कितनी राशि दी है : और

(ग) क्या यह परियोजना पूरी हो चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां ।

(ख) १२,९७,४९२ रुपये ।

(ग) इस परियोजना के इस वर्ष के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है ।

भटिण्डा और हिन्दूमल कोट लाइन के यात्री

†१३३३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से १९५७ तक भटिंडा-हिन्दूमल कोट लाइन पर यात्रियों की संख्या में कितनी औसत वृद्धि हुई है ;

(ख) महीने के किन किन दिनों पर भीड़ भाड़ होने के कारण यात्रियों को डिब्बों के फुट बोर्ड पर खड़े हो कर यात्रा करनी पड़ती है ;

(ग) रोजाना यात्रियों की औसत संख्या कितनी होती है और क्या गाड़ियों में उन्हीं के अनुपात से डिब्बे लगाये जाते हैं ;

(घ) क्या सरकार गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने वाली है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह काम कब तक हो जाने की आशा है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४२]

(ख) भीड़ भाड़ के कारण किसी यात्री के फुटबोर्ड पर खड़े हो कर यात्रा करने की कोई ख़बर नहीं है।

(ग). से (ङ) इस सेक्शन पर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या ४,५०० से अधिक नहीं होती जबकि इस सेक्शन की विभिन्न गाड़ियों में ६,२०० यात्रियों के बैठने का प्रबन्ध होता है। हां, केवल दो गाड़ियों, अर्थात् संख्या २ बी एच (हिन्दूमल कोट-भटिण्डा) और २ एफ एच (फीरोजपुर कैन्ट-हिन्दूमल कोट) में अवश्य थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ होती है। इस प्रयोजन के लिये और डिब्बे उपलब्ध होते ही इन गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

सैलम-बंगलौर रेल सम्पर्क

†१३३४. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उपमंत्री ने अपने दौरे के समय यह वक्तव्य दिया था कि सैलम को बंगलौर से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन को बनाने का काम जल्दी ही शुरू किया जायगा ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि चामराज नगर-सत्यमंगलम लाइनें, चितलदुर्ग-रायदुर्ग लाइन तथा हसन-मंगलौर लाइन बनाने के लिये अभ्यावेदन किये गये हैं ; और.

(ग) क्या सरकार ने इन लाइनों की स्वीकृति देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) हसन-मंगलौर लाइन की सर्वेक्षण-रिपोर्ट विचाराधीन है। चामराजनगर-सत्यमंगलम् लाइन तथा चितलदुर्ग-रायदुर्ग लाइनों पर विचार नहीं किया जा रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की नई रेलवे लाइन परियोजनाओं में, जोकि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हैं, उन तीनों में से कोई भी परियोजना शामिल नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर देवहा पुल

१३३५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीलीभीत के समीप पूर्वोत्तर रेलवे पर देवहा पुल पर बरेली-टनकपुर रोड की यातायात व्यवस्था के लिये रेलवे प्रशासन उत्तर प्रदेश के लोक कर्म विभाग से कितनी रकम वसूल करता है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस पुल की मरम्मत पर कितना धन खर्च हुआ और इस में रेलवे प्रशासन ने तथा लोक कर्म विभाग ने कितना-कितना धन दिया ;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पुल के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

† मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) १११०९ रुपये ७५ नये पैसे सालाना।

(ख) ४८,४२८ रुपये। इस में से 'रोड डेकिंग' की मरम्मत के २४,५८० रुपये उत्तर प्रदेश के पी० डब्ल्यू० डी० ने दिये और बाकी रेलवे ने।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

वर्षा

†१३३६. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी भारत के आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न केन्द्रों में सन् १९५८ के मई, जून, और जुलाई के महीनों के वर्षों के आंकड़ों में सन् १९५२ से ले कर पिछले वर्ष तक के उन्हीं महीनों के वर्षों के सामान्य आंकड़ों की अपेक्षा इंचों या मिलीमीटरों के हिसाब से कितनी वास्तविक कमी हुई है;

(ख) क्या भारत के अन्य किसी क्षेत्र में पिछले वर्षों की सामान्य वर्षा की तुलना में इस वर्ष वर्षा कम हुई है; और

(ग) इस वर्ष वर्षा कम होने के कारणों के सम्बन्ध में ऋतुविज्ञान विभाग के विशेषज्ञों की क्या राय है?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) जानकारी बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४३]**

(ख) जी, हां। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और तटीय आन्ध्र प्रदेश में मौसमी वर्षा कम हुई है।

(ग) निम्नलिखित तीन कारणों के एक के बाद एक प्रभाव डालने से वर्षा कम हुई है :—

(१) उस क्रियाशील कम दबाव वाली प्रणाली की अनुपस्थिति में अर्ध सामान्य मानसून के पहिले ही तूफान और आंधियों का आना जो पड़ौस के समुद्रों से गीली हवा लाती हैं।

(२) मानसून का देर से आना; और

(३) गंगा के मैदान में दबाव का ऐसा वितरण होना जो वर्षा के लिये अनुपयुक्त था।

संसार में सब से अधिक वर्षा वाला स्थान

†१३३७. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसार में सब से अधिक वर्षावाला स्थान चेरापूंजी से बदलकर खासी पहाड़ियों का एक छोटा सा गांव मावस्यहरम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले १० वर्षों में इन दोनों स्थानों पर कुल कितनी वर्षा हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). पूरे वर्ष की वर्षा की जानकारी अर्थात् वर्ष के बारह महीनों की सामग्री सन् १९१२—१७ तक के चार वर्षों और बाद में १९४० के बाद के पांच वर्षों की ही है । इन रिकार्डों से पता चलता है कि इन वर्षों में मावस्यहरम में चेरापूंजी की अपेक्षा लगभग ३५ इंच अधिक औसत वर्षा हुई है परन्तु सन् १९५२ में जिस के लिये सम्पूर्ण वर्ष के आंकड़े प्राप्त हैं, चेरापूंजी में मावस्यहरम से लगभग तीन इंच अधिक वर्षा हुई है । अतएव पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि संसार का सब से अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी से हट कर मावस्यहरम हो गया है । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि ये स्थान एक दूसरे से केवल बारह मील दूर हैं ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४४]**

खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति

†**१३३८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में महीने वार गेहूं तथा चावल का प्रत्येक राज्य में तथा केन्द्रीय खाद्यान्न गोदामों में कितना स्टाक था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जानकारी नीचे दी जाती है :—

(मात्रा टनों में)

माह की अन्तिम तारीख	राज्य सरकार के गोदामों में		केन्द्रीय सरकार के गोदामों में		वह मात्रा जो पारनयन में है		कुल	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
२८-२-५८	२४९	१२१	४८४	२४९	१३८	३९	८७१	४०९
३१-३-५८	२४३	१७७	६५६	३१०	१००	३३	९९९	५२०
३०-४-५८	२१२	२०४	७०२	३७०	१२१	४२	१,०३५	६१६
३१-५-५८	१७४	२२२	६६८	४०४	१६१	३५	१,००३	६६१
३०-६-५८	१६४	२४१	५८८	३८८	१२९	३६	८८१	६६५
३१-७-५८	११५	२१५	४३९	३८७	१७५	१५	७२९	६१७

लौकाट का उत्पादन

†**१३३९. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष में और राज्य में लौकाट का कुल कितना उत्पादन होता है ;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या लौकाट की खेती और उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) लौकाट उत्तर प्रदेश, पंजाब और बहुत ही थोड़ी मात्रा में बम्बई और दक्षिणी भारत की पहाड़ियों में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में उस का कुल उत्पादन लगभग ५०,००० मन है।

(ख) कोई योजना अलग से मंजूर नहीं की गई है। परन्तु लौकाट पैदा करने वाले लोग उन ऋण सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई फल उत्पादन योजना के अन्तर्गत दी जाती हैं।

(ग) फल पैदा करने वाले व्यक्तियों को नये बगीचे लगाने और अथवा उन की हद बंदी करने के लिये ३००) प्रति एकड़ के हिसाब से दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं। इन ऋणों की वसूली छठें वर्ष से १० सालाना बराबर बराबर किस्तों में की जाएगी। पुराने बगीचों के पुनर्नवन के लिये प्रति एकड़ ६५ के हिसाब से उर्वरकों की खरीद के लिये अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं जो १५ महीनों के भीतर चुकाये जा सकते हैं।

बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियां

†१३४०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां दिये जाने के लिये भारत तथा स्विटज़र-लैंड की एक फर्म के बीच करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४५]**

फीरोजपुर जिले में किराये की इमारतों में डाकघर

†१३४१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के फीरोजपुर जिले में किराये की गैर-सरकारी इमारतों में अब कितने डाकघर चल रहे हैं ;

(ख) सन् १९५७–५८ में सरकार ने कितना किराया दिया है ;

(ग) क्या इन डाकघरों को चलाने के लिए इमारतें बनाने के प्रस्ताव पर अमल किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितनी इमारतें बन रही हैं ; और

(ङ) अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†संचार तथा परिवहन मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) से (ङ). एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

फीरोजपुर जिले में किराये की गैर-सरकारी इमारतों में ३० डाक-घर चल रहे हैं। सन् १९५७–५८ में १०,८९३·७५ नये पैसे किराया चुकाया गया है। धर्मकोट, फीरोजपुर सिटी, जलालाबाद, मलौत मंडी, मोगा, अबोहर, गिद्दरबहा तथा कोटकापुरा में डाक-घरों की इमारतें बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्र

†१३४२. **श्री बाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बांदा, मिरजापुर और इलाहाबाद जिलों के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के उनके दौरे के समय उनसे उचित मूल्य वाली दुकानों के चलाए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें की गई थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: बांदा और मिरजापुर में कोई शिकायत नहीं की गई। इलाहाबाद में कुछ शिकायतें की गई थीं और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में अभिज्ञान-पत्रक[1] जारी कर दिए हैं।

वनों का उपयोग

†१३४३. { **श्री बाजपेयी :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९५८ में वन-उपयोग के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की देहरादून में तीन दिनों तक चलने वाली बैठक में किए गए निर्णय क्या हैं; और

(ख) उसमें क्या सिफारिशें की गई थीं और उन्हें अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

(क) और (ख). वन-उपयोग केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कार्य वन गवेषणा संस्था को सौंपे गए विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता देने सम्बन्धी सलाह देना, उद्योग, कृषि, तथा सामान्य जनता की आवश्यकता को देखते हुए गवेषणा का समन्वय करना तथा उत्पादक, उपभोक्ता और गवेषणा के बीच एक सम्पर्क बनाना है। तदनुसार पिछली जुलाई की अपनी बैठक में, बोर्ड ने संस्था के गवेषणा कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अगले चार वर्षों १९५९—१९६३ की अवधि के लिए बोर्ड ने उद्योग तथा सामान्य जनता के लिए गवेषणा के व्यावहारिक मूल्य का यथोचित ध्यान रखते हुए विभिन्न कार्यों की प्राथमिकता का क्रम शामिल करके संस्था की सभी शाखाओं का प्रविधिक कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था। अपनाये जाने वाले कार्यक्रम में राज्य सरकारों सहित अन्य अभिकरणों के साथ आवश्यक समन्वय की व्यवस्था भी की गई है। इन चार वर्षों की अवधि में संस्था इस कार्यक्रम को वार्षिक-आधार पर कार्यान्वित करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Identity Card.

इसके अलावा, बोर्ड ने कुछ सामान्य सिफारिशें भी की हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं वे नीचे दी जाती हैं :—

(१) इमारती लकड़ी को सिझाने[1] तथा ज्यों की त्यों बनाए रखने[2] की व्यवस्था करना जिससे घटिया इमारती लकड़ी का पूरा उपयोग हो सके ;

(२) ऐसे उपाय किये जायें जिससे उच्च श्रेणी की इमारती लकड़ी उन प्रयोजनों के काम में न लाई जाए जिनके लिए निचली श्रेणी की इमारती लकड़ी काम में लाई जा सकती है;

(३) वनों के विभागीय रूप से चलाये जाने की सम्भावनाओं को मिलाकर वनों के चलाये जाने में निषिद्ध बातों को समाप्त करना; और

(४) गवेषणा करने वाले व्यक्तियों, राज्य सरकारों, तथा उद्योग के बीच अच्छा सम्पर्क बनाने की व्यवस्था है। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

उड़ीसा में काजू की खेती

†१३४४. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य में काजू की खेती का विस्तार करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह भू-कटाव योजना के अन्तर्गत है;

(ग) इस परियोजना की लागत क्या है; और

(घ) इस योजना में केन्द्रीय सहायता कितनी होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना भू-कटाव योजना के अन्तर्गत स्वीकार नहीं की गई। इसका उद्देश्य वन हीन क्षेत्र में काजू की खेती का विस्तार करना है।

(ग) और (घ). पहिले यह योजना तीन महीने के लिये ६०,३०० रुपये की लागत पर स्वीकार की गई थी जिसमें केन्द्र का हिस्सा २,५०० रुपये था। इसके बाद यह ३१–३–१९६१ तक बढ़ा दी गई है और उसकी कुल लागत १,६१,१५६ रुपये होगी जिसमें से १,३६,६०० रुपये ऋण के मिलाकर भारत सरकार का हिस्सा १,४५,९०० रुपये होगा।

त्रिपुरा में सहकारी समितियां

†१३४५. **श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सिलक-पत्र भेजे गए हैं :—

(१) स्वस्ति समिति, सहकारी समिति, कंचनपुर, त्रिपुरा; और

(२) रुद्र सागर मछुआ सहकारी समिति, मेलाधर, त्रिपुरा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सहकारी समितियां घाटे पर चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Seasoning.
[2] Preservation.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) केवल स्वस्ति समिति लिमिटेड ही घाटे पर चल रही है।

(ग) स्थापना के अधिक खर्च, सड़कों की व्यवस्था तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने में अपना पैसा लगाने के कारण वह घाटे पर चल रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर मैलानी जंक्शन

१३४६. श्री खुशवक्त राय : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी जंक्शन पर कितने रेलवे कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों के औषधोपचार के लिये रेलवे द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) इन कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिये रेलवे द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ६३२।

(ख) मैलानी में रेल कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें आउट-डोर इलाज की समुचित व्यवस्था है और डाक्टर आदि रखे गये हैं। ज्यादा ज़रूरी मामलों में इस केन्द्र में मरीज़ों का इन-डोर इलाज भी होता है। वैसे, इन-डोर इलाज के लिए रोगियों को आइज़टनगर के डिवीज़नल अस्पताल में भेज दिया जाता है।

(ग) मैलानी में रेलवे बस्ती के पास दो प्राइवेट स्कूल हैं, इसलिए यहां रेलवे स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है।

आदरा रेलवे स्टेशन

†**१३४६. श्री बि० दास गुप्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दारकेश्वर नदी से (दक्षिण पूर्व रेलवे के) आदरा रेलवे स्टेशन तक एक पानी की पाइप लाइन बनाई गई थी और बाद में उसे बन्द कर दिया गया था ; और

(ख) इसके लिए कितनी रकम मंजूर की गई थी और कितनी खर्च की गई थी तथा कितनी लम्बी पाइप लाइन बनाई जा चुकी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सन् १९५५-५६ में आदरा रेलवे स्टेशन में दो मानसूनों में वर्षा की कमी के कारण वहां के ग्राउण्ड रिजरवायर में पानी का पर्याप्त संग्रह नहीं हो सका और वहां पानी की कमी को पूरा करने के लिए दारकेश्वर नदी से आदरा तक अस्थायी पाइप लाइन डाली गयी थी। यह पाइप लाइन जो कि आकस्मिकता के कारण बनाई गई थी और जो फिलहाल अतिरिक्त साधन के रूप में बनी हुई है, अभी तक नहीं उखाड़ी गयी।

(ख) इस कार्य के लिये २,१२,००० रुपयों की रकम मंजूर की गई थी। इस कार्य का लेखा अन्तिम रूप से बन्द नहीं किया गया। अभी तक जो खर्च निर्धारित हो चुका है वह लगभग २,८२,००० रुपये है। प्राक्कलन में जो उपबन्ध किया गया है उसके अनुसार पाइप लाइन के उखाड़े जाने तथा उससे निकली सामग्री को जमा में लिखने के बाद यह खर्च कम हो जाएगा। इस पाइप लाइन की लम्बाई लगभग २०,००० फुट है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्यूब क्लीनर्स एन्ड वाश आउट जमादार

†१३४८. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर, दरभंगा, नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर के इंजन घरों में ट्यूब क्लीनर्स और वाश आउट जमादारों की जगहें समाप्त कर दी गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के अन्य सभी इंजिन घरों में ट्यूब क्लीनरों और वाश आउट जमादारों की जगहें अभी भी बनी हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो समस्तीपुर, दरभंगा, नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर के इंजिन घरों में इन जगहों को खत्म करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). वाश आउट जमादारों की जगह समस्तीपुर, दरभंगा, नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर के इंजन घरों में खत्म कर दी गई हैं। अब क्लीनरों का काम इंजन क्लीनर करते हैं। दूसरे इंजन घरों में भी ऐसा ही हो रहा है।

(ग) वाश आउट जमादारों का काम अब बॉयलर बनाने वालों को सौंप दिया गया है।

हरपालपुर के लिये आउट ऐजेंसी

१३४९. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी-मानिकपुर सेक्शन पर हरपालपुर स्टेशन से छतरपुर स्टेशन के लिये आउट एजेंसी खोलने में देरी का क्या कारण है ; और

(ख) यह आउट एजेंसी कब तक खोली जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). देरी का कारण यह है कि सेण्ट्रल प्राविन्सेज़ ट्रांसपोर्ट सर्विस, जबलपुर, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित परिवहन संस्था है और जिसे आउट एजेंसी का काम देने की सिफारिश की गयी है, अभी तक भाड़े की दर नियत नहीं कर सकी है। भाड़े की दर तय होने के थोड़े ही समय बाद आउट एजेन्सी खोल दी जायेगी। कोई निश्चित तारीख तो नहीं बतायी जा सकती, लेकिन इस सम्बन्ध में सक्रिय कार्रवाई की जा रही है।

तातापानी में पर्यटन विकास

†१३५०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के तातापानी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का मुख्य स्वरूप क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश इस झरने के पास ५०,००० रुपयों की लागत से नहाने के तालाबों और हैंड-पम्पों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है। लगभग २० आदमियों को ठहराने के लिए

†मूल अंग्रेजी में

तातापानी में उक्त प्रशासन द्वारा एक इमारत पर कब्जा कर लिया गया है और उसकी मरम्मत करके उसे सज्जित किया जा रहा है। गरम झरने के पास जंगल विभाग द्वारा एक छोटा सा झोंपड़ा बना दिया गया है जिसमें वरंडा, प्रसाधन कक्ष तथा स्नानागार है। तातापानी में एक विश्रामगृह बनाने का भी प्रस्ताव है।

पहिले जो बसें शिमला से सूनी, जो कि तातापानी से तीन मील दूर है, तक ही चला करती थीं अब वे तातापानी पुल तक चलती हैं और यहां से झरने लगभग तीन फर्लांग दूर हैं।

जले हुए कोयले और कोयले की राख की बिक्री

१३५१. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर डिवीजन में जले हुए कोयले (सिंडर) और कोयले की राख की बिक्री से उत्तर रेलवे को कितनी आय हुई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : बीकानेर डिवीज़न में कोयले की छाई और राख की बिक्री से उत्तर रेलवे को जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५५-५६ में .	१,३७,०४८
१९५६-५७ में	२,११,०७४
१-४-५७ से ३०-९-५७ तक	१,०५,५३७

गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा

१३५२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा करते हुए कितने व्यक्ति गिर कर मर गये ;

(ख) क्या यह सच है कि पायदानों पर यात्रा करने वाले लोगों की मृत्यु सिगनलों और पानी के पम्पों के साथ टकराने के कारण हुई, क्योंकि कई स्थानों पर पानी के पम्प रेलवे पटरी के बहुत निकट हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने सिगनल और पानी के पम्प रेलवे पटरी के निकट बने हैं ; और

(घ) क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार इन सिगनलों और पानी के पम्पों को पटरी से दूर हटाने के बारे में विचार कर रही हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २०३।

(ख) इनमें से सिर्फ दो आदमी एक सिगनल से टकरा कर मर गये। इस सिगनल के अगल-बगल इतनी जगह नहीं छोड़ी गयी थी जितनी नियमानुसार नियत है।

(ग) एक सिगनल ऐसी जगह लगाया गया था जिससे मानक आयाम का उल्लंघन होता था। यह सिगनल उस जगह से हटा दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे सभी सिगनल और पानी के खम्बे नियत या अनुमित दूरी के अनुसार पटरी से काफी फासले पर लगाये गये हैं। ये फासले सिगनलों और पानी के खम्बों के काम के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। आशा है कि ये सिगनल और पानी के खम्बे पटरी से जितनी दूरी पर लगाये गये हैं उनसे गाड़ियों और चल-स्टाक का सुरक्षित रूप से आना-जाना हो सकेगा।

(घ) सवाल नहीं उठता।

भेटागुड़ी स्टेशन पर यात्री-सुविधायें

†१३५३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अलीपुर द्वार गितालदाह खण्ड के भेटागुड़ी स्टेशन पर शौचालय, यात्री प्रतीक्षा-गृह अथवा शेड या कोई टेलीफोन है ;

(ख) उक्त स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है और क्या यह संख्या युद्धोत्तर अवधि में कई गुनी हो गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्थानीय जनता ने रेलवे अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इन शिकायतों को दूर किया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सन् १९५७ में इस स्टेशन से ४,४०० यात्री गए और ४,५०० यात्री आए थे। युद्धोत्तर अवधि में यात्रियों का आना जाना बढ़ गया है।

(ग) जी हां।

(घ) भेटागुड़ी एक फ्लेग स्टेशन है। चालू वर्ष में वहां एक प्रतीक्षागृह, महिलाओं के लिए प्रतीक्षागृह, तथा जनाना और मर्दाना संडासें बनाने का प्रस्ताव है।

'साक वेक्सीन'

†१३५४. **श्री रामम्** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अमेरिका की रेडक्रास संस्था द्वारा भारतीय रेडक्रास सोसायटी को भेंट की गई "साक वेक्सीन" भारत आया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके आने की तारीख क्या है और उसे किन तारीखों को अस्पतालों को वितरित किया गया है ;

(ग) क्या शीशियों में वेक्सीन के प्रभाव शून्य हो जाने की तारीख अंकित थी ;

(घ) यदि हां, तो उक्त तारीख क्या थी ; और

(ङ) इस दवा के इंजेक्शनों का पूरा कोर्स क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वेक्सीन आने की तारीख तथा उसे वितरित किए जाने की तारीखें नीचे दी जाती हैं :—

	मात्रा	भेजे जाने की तारीख और जिस संस्था को भेजी गई थी उसका नाम	अस्पतालों को वितरित किए जाने की तारीख
	१	२	३
पहिला परेषण (१८-६-५८ को आया) .	७०० शीशियां	१८-६-५८ बम्बई राज्य की रेडक्रास शाखा	२०-६-५८
	१,००० शीशियां	१८-६-५८ पश्चिमी बंगाल रेडक्रास शाखा	ये पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को २० जून, १९५८ को सौंप दी गईं थीं । इस निदेशालय ने वेक्सीन अस्पतालों को नहीं दी परन्तु उसका उपयोग स्कूलों के बच्चों को बचाव का टीका लगाने में किया जा रहा है ।
	१२ शीशियां	२०-६-५८ सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली	२०-६-५८
	२८८ शीशियां	२ ७-५८ को । कलावती शरन चिल्डरन्स अस्पताल, नई दिल्ली ।	२·७·५८
दूसरा परेषण (३१-७-५८ को आया था)	७०० शीशियां	३१-७-५८ बम्बई राज्य रेडक्रास शाखा	६-८-५८

१	२	३
१,००० शीशियां	३१-७-५८ पश्चिम बंगाल रेडक्रास शाखा	पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य निदेशक को ८ अगस्त १९५८ को सौंप दी गई थीं। इस वेक्सीन को निदेशालय ने अस्पतालों को नहीं बांटा परन्तु उसका उपयोग स्कूल के बच्चों को बचाव का टीका लगाने के लिये किया गया है।
१२ शीशियां	३१-७-५८ गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली	३१-७-५८
२८८ शीशियां	३१-७-५८ कलावती शरन चिल्डरन्स अस्पताल, नई दिल्ली।	३१-७-५८

(ग) जी, हां।

(घ) पहिले परेषण के लिए . ९-७-५८
दूसरे परेषण के लिए . १७-९-५८

(ङ) इस रोग रोधक[1] वेक्सीन के द्वारा पूर्ण प्रतीकार ३ इंजक्शनों से होता है जिनमें से पहिले और दूसरे के बीच २ से ६ सप्ताह तक का अन्तर और दूसरे तथा तीसरे के बीच लगभग ७ माह का अन्तर रहता है।

गाजियाबाद टेलीफोन कार्यालय

†१३५५. **श्री रामम्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के टेलीफोन कार्यालय में ४०० लाइनों का एक बोर्ड है ;

(ख) क्या आजकल गाजियाबाद में २०० से कुछ कम टेलीफोन हैं ;

(ग) क्या नये टेलीफोन लगाने के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

[1] Prophylaction.

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) आवेदन पत्रों पर कोई टेलीफोन नहीं लगाये जा रहे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे मंत्रालय

१३५६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मन्त्रालय में कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं ;

(ग) डेपुटेशन पर आये कर्मचारियों, रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आये कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में क्या अन्तर है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ७६६ (३३६ सहायक और ४३३ क्लर्क)

(ख) ३०८ (१८२ सहायक और १२६ क्लर्क)

(ग) जो कर्मचारी रेलवे बोर्ड में रोजगार दफ्तर या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्त होते हैं या जिनकी प्रतिनियुक्ति रेलों से होती है, उनकी सेवा की शर्तों में कोई अन्तर नहीं होता, सिवाय इसके कि रेलवे से आये हुए कर्मचारी को अपने मूल कार्यालय में तरक्की पाने का उस समय तक अवसर दिया जाता है जब तक कि रेलवे मन्त्रालय में उसे किसी पद पर हक न मिल जाय।

द्विभाषी प्रपत्र

१३५७. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मन्त्रालय ने विभिन्न रेलों में प्रयोग के लिये उन्हें द्विभाषी (हिन्दी अंग्रेजी) प्रपत्र भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) यदि नहीं तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) १६५८ में कौन-कौन से प्रपत्र जारी करने का इरादा है ?

रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क), (ख), (ग) और (घ). रेलवे के कुछ विभागों में हिन्दी-अंग्रेजी फार्म जारी करने का फैसला किया गया है। हिन्दी-अंगरेजी फार्मों की पहली किस्त में १८ फार्म हैं जिनका सम्बन्ध वाणिज्य विभाग से है और इनमें अग्रेषण नोट माल बीजक रेलवे-रसीद, पार्सल-रवन्ना जोखिम नोट-फार्म और क्षतिपूर्ति नोट के कुछ तरह के फार्म रखे गये हैं।

हिन्दी के कार्य के लिये गजेटिड पदाधिकारी

१३५८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय में हिन्दी के कार्य के लिये कितने गजेटेड (राजपत्रित) पदाधिकारी हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन पदों को नियमित विभागीय चुनाव द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति से भरा गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इन पदों का विज्ञापन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्यों नहीं किया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक ।

(ख), (ग) और (घ). यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से तरक्की देकर इस पद पर नियुक्ति की गयी ।

हिन्दी शार्टहैंड और टाइपराइटिंग प्रशिक्षण

१३५६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय अपने कर्मचारियों को हिन्दी शार्टहैंड और टाइपराइटिंग सिखाने की किसी योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

चक्षु बैंक[1]

†**१३६०. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ जुलाई, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चक्षु बैंक[1] तथा पुतली बदलने[2] संबंधी विधान में अब तक और कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : ५ और ६ जनवरी, १६५८ को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बंगलौर में जो बैठक हुई थी उस में चक्षु बैंक तथा पुतली बदलने संबंधी केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण विचार के लिये रखे गये थे । परिषद् में एक संकल्प स्वीकार किया गया था जिस में राज्य सरकारों से यह सिफारिश की गई है कि वे पुतली बदलने को बढ़ावा देने के हित के लिये कोई विधानात्मक या शैक्षणिक कार्यवाही करें । इस के बाद यह संकल्प सभी राज्य सरकारों को विचार के लिये भेजा जा चुका है ।

रेलवे के स्लीपर

†**१३६१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १२ फरवरी, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार और 'बर्मीज स्टेट टिम्बर बोर्ड' के बीच रेलवे के स्लीपरों के मूल्य भुगतान के तरीके के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Eye Bank.

[2]Corneal Graphting.

कुक्कुटादिपालन उद्योग का विकास

†१३६२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषकों को कुक्कुटादिपालन का प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस का भावी कार्यक्रम क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी, हां ।

(ख) अब तक मद्रास, मैसूर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, केरल और दिल्ली राज्यों में ३८१ कृषकों को कुक्कुटादिपालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अखिल भारतीय कुक्कुटादि विकास योजना के अन्तर्गत कुल ४,५०० कृषकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ।

मोहरी रेल दुर्घटना

†**१३६३. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहरी रेल दुर्घटना के कितने ऐसे दावेदार हैं जिन के दावों का भुगतान कर दिया गया है और इन दावों की कुल राशि कितनी है;

(ख) ऐसे दावेदारों की संख्या कितनी है जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) इन भुगतानों में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) अब तक ८ दावेदारों को कुल २८,९७२.२० रुपये का भुगतान किया गया है । रेलवे द्वारा ९० व्यक्तियों को अनुग्रहात् के रूप में अब तक ६,७८६ रुपये की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है ।

(ख) दावा आयुक्त द्वारा १४ दावे अस्वीकार कर दिये गये हैं और उन के न्यायालय में ८१ मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) दावों के निबटारे में शीघ्रता करने के लिये एक पूर्णकालिक दावा आयुक्त की नियुक्ति की गई है ।

उत्तर रेलवे की उकलाना मंडी

†**१३६४. श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के उकलाना मंडी के निवासियों को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि मालगोदाम के निर्माण के लिये भूमि बराबर करने का काम मंडी के निवासी कर लेते हैं तो शेष कार्य सरकार कर लेगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि बराबर करने का काम वहां के निवासियों ने कर लिया है;

(ग) क्या सरकार ने मालगोदाम बनवा दिया है; और

(घ) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं । उन्हें आश्वासन यह दिया गया था कि यदि उकलाना मंडी के निवासियों ने मालगोदाम के प्लेटफार्म के लिये भूमि समतल करने का काम कर दिया तो माल रखने की वर्तमान जगह यहां से हटा कर मंडी में कर दी जायेगी।

(ख) माल के प्लेटफार्म के लिये कुल २,७०,००० घन फुट में मिट्टी बराबर करने के काम में से अब तक कुल ७०,००० घन फुट में काम किया गया है ।

(ग) और (घ) यदि स्थानीय लोगों ने भूमि बराबर करने का शेष काम पूरा कर लिया तो आशा की जाती है कि १९५८–५९ में माल के स्थानान्तरण संबंधी सुविधा दे दी जायेगी ।

कतरनियाघाट और लखीमपुर के बीच रेल सम्पर्क

१३६५. श्री भ० दी० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहराइच, नैनीताल आदि जगहों से कम समय और कम खर्च पर यातायात की अधिक सुविधायें देने के लिये एक सीधी लाइन और गो हा पुल बना कर पूर्वोत्तर रेलवे के कतरनियाघाट तथा लखीमपुर को मिलाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) शायद माननीय सदस्य का सुझाव पूर्वोत्तर रेलवे के लखीमपुर खीरी और कतरनियाघाट को मिलाने के सम्बन्ध में है। यदि ऐसा है, तो उत्तर नकार में है ।

(ख) इस लाइन के रास्ते में कई नदियां हैं, इसलिये इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि योजना के लिये रकम और सामान के साधन सीमित हैं ।

गोंडा–नेपालगंज और नानपाड़ा-कतरनियाघाट सेक्शनों पर बिजली के पंखों की व्यवस्था

१३६६. श्री भ० दी० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि गोंडा-नेपालगंज और नानपाड़ा-कतरनियाघाट के सैक्शनों पर बिजली के प्रकाश और पंखों की व्यवस्था असंतोषजनक है, और कभी कभी तो सारा सैक्शन ही बिना प्रकाश और बिना पंखों के रहता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). गोंडा-नेपालगंज और नानपाड़ा-कतरनियाघाट सैक्शनों की गाड़ियों में पंखे और रोशनी की व्यवस्था आम तौर पर संतोषजनक रही है। पिछले छः महीनों में नानपाड़ा और बहराइच स्टेशनों पर पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में पंखे न चलने के बारे में केवल दो मामूली शिकायतें आयी और इन्हें दूर किया गया ।

बिजली की बत्तियों और पंखों आदि की मरम्मत के लिये गाड़ियों में और गोंडा स्टेशन पर कर्मचारी मौजूद रहते हैं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

अमीनगांव फास्ट पैसेंजर का पटरी से उतर जाना

१३६७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत २६ जुलाई को सिलिगुड़ी-कटिहार सेक्शन पर कटिहार और धनकोरा स्टेशनों के बीच अमीनगांव फास्ट पैसेंजर गाड़ी के ४ डिब्बे, २ पार्सल वेन तथा इंजन का ट्रेलर पटरी से उतर गये थे और उस के फलस्वरूप कुछ यात्री घायल हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे और इस दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). २६ जुलाई, १९५८ को रात में लगभग २ बज कर २५ मिनट पर जब २३ अप सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार-बारसोई मीटर लाइन सैक्शन पर कटिहार और डंडरवोरा स्टेशनों के बीच जा रही थी तो उस का इंजन, टेंडर और साथ वाले ६ डिब्बों के साथ मील १२२/१४–१६ पर पटरी से उतर गया। इन छ: डिब्बों में से २ पार्सल के डिब्बे, एक तीसरे दर्जे का मिला-जुला सामान और ब्रेकयान और तीन तीसरे दर्जे के डिब्बे थे। इस दुर्घटना में नौ आदमियों को मामूली चोट आयी।

रेलवे के निरीक्षक ने अन्तिम रिपोर्ट दी है। उस के अनुसार डिब्बों के पटरी से उतर जाने का कारण यह था कि किसी आदमी या कुछ आदमियों ने पटरी के साथ कुछ छेड़-छाड़ की थी जिन के बारे में कुछ पता नहीं है।

पंजाब में केन्द्रीय गोदाम

†**१३६८. श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में ३१ जुलाई, १९५८ को केन्द्रीय गोदामों में विभिन्न खाद्यान्नों की वर्तमान स्थिति क्या है ?**

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : पंजाब राज्य के केन्द्रीय गोदामों में ३१ जुलाई, १९५८ को लगभग ३०० टन गेहूं और २१,६०० टन चावल उपलब्ध थे।**

उत्तर प्रदेश में छात्रों की हड़ताल

†**१३६९. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९५८ के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश में छात्रों की जो हड़ताल हुई थी उस में कितनी रेल गाड़ियां अथवा रेलवे की सम्पत्ति की लूट-पाट की गयी थी अथवा आक्रमण किया गया था या उस को क्षति पहुंचाई गई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** तीन उत्तर रेलवे और दो पूर्वोत्तर रेलवे, इस प्रकार पांच रेलगाड़ियों पर छात्रों की भीड़ ने आक्रमण किया और पत्थर फेंक कर दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़े थे। लखनऊ में रेलवे की एक इमारत पर ईंटें और पत्थर भी बरसाये गये थे। मऊ जंक्शन पर छात्रों ने 'प्वाइंट इंडीकेटरों', समतल पारण पर एक तेल की लैम्प तथा बिजली के बल्बों को भी क्षति पहुंचाई थी। इस स्टेशन पर के स्टाल भी लूटे गये थे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

टाटानगर जाने वाली पैसेंजर गाड़ी का लूटा जाना

†१३७०. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा बाडाम्फर सेक्शन पर टाटानगर जाने वाली पैसेंजर गाड़ी १ अगस्त, १९५८ की रात को कुछ लुटेरों द्वारा रोक ली गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि लुटेरों ने गाड़ी के माल वाले डिब्बे को तोड़ कर सामान लूट लिया;

(ग) यदि हां, तो लूटे गये सामान की अनुमानित लागत कितनी थी; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। रेलगाड़ी टाटा स्टेशन के बाहरी सिगनल के पास निर्धारित समय से पूर्व आने के कारण रोक दी गई थी।

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग १६० रुपये। सरकार की रेलवे पुलिस द्वारा सारा माल वसूल कर लिया गया जो सम्पर्क स्थापित करते ही तत्काल वहां पहुंच गई थी।

(घ) सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में राज्य की पुलिस को सहायता देने के लिये इस क्षेत्र में सशस्त्र सैनिकों की एक टुकड़ी वहां नियुक्त कर दी गई है ।

इंदौर-दिल्ली और इंदौर-बम्बई गाड़ियां

१३७१. श्री खादीवाला : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का नई बनाई गई उज्जैन-इंदौर बड़ी लाइन पर देवास होते हुए इंदौर-दिल्ली और इंदौर-बम्बई माग पर सीधी गाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होगा;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) जब तक इंदौर-दिल्ली और इंदौर-बम्बई की सीधी गाड़ियां नहीं चलाई जातीं तब तक क्या इंदौर से सीधा दिल्ली और बम्बई जाने वाले यात्रियों के लिये इंदौर में दिल्ली और बम्बई के लिये अलग डिब्बे लगाने की सुविधा दी जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इंदौर-दिल्ली और इंदौर-बम्बई के बीच जो यातायात होता है उसे देखते हुए इन जगहों के लिये न तो सीधी गाड़ियां चलाने की जरूरत है और न सीधे डिब्बे ।

रेलवे भोजन व्यवस्था

१३७२. श्री खादीवाला : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने रेलवे की चाय की दुकानों, रेस्तरां और होटलों की सफाई आदि देखने के लिये कोई मैडिकल अफसर नियुक्त किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का रेलवे मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे मंत्रालय ने प्रत्येक भोजन की मात्रा भी निश्चित कर दी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) रेलवे के डिवीजनल या डिस्ट्रिक्ट मैडिकल अफसर रेस्तरां, भोजनालय और चाय की दुकानों को साफ सुथरा रखने के लिये समय-समय पर उन की जांच करते रहते हैं। रेलवे मंत्रालय के अधीन इस काम के लिये हैल्थ अफसर रखने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) भारतीय ढंग के मानक भोजन में जो पके चावल और चपातियां दी जाती हैं उन की मात्रा क्रमशः १६ और ८ औंस नियत की गई है। भारतीय ढ़ंग की मानक भोजन-सूची में जो दूसरी चीजें हैं उन की और पाश्चात्य ढंग की भोजन-सूची की किसी चीज की मात्रा नियत नहीं की गयी है ।

पश्चिम रेलवे पर तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सुरक्षण (रिज़र्वेशन)

†१३७३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर ३०० मील से अधिक यात्रा करने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये अलग स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था का विचार किया जा रहा है जैसा कि अन्य रेलों पर है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) पश्चिम रेलवे में बड़ी लाइन पर ३०० मील से अधिक और छोटी लाइन पर २०० मील से अधिक यात्रा करने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये आवश्यक गाड़ियों में अलग डिब्बे लगाने की पद्धति पहले से ही लागू है। ये डिब्बे निम्न गाड़ियों में लगते हैं :—

बड़ी लाइन

	१९ डाउन / २० अप	देहरादून एक्सप्रेस

छोटी लाइन

१.	१ अप / २ डाउन	अहमदाबाद-दिल्ली मेल	
२.	३ अप / ४ डाउन	”	एक्सप्रैस
३.	५ अप / ६ डाउन	”	आगरा फोर्ट पैसेंजर
४.	७३ अप / ७४ डाउन	खंडवा	अजमेर पैसेंजर

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी के स्थानों पर भर्ती

†१३७४. **श्री जाधव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी के पदों में भर्ती के लिये रेलवे सेवा आयोग द्वारा १९५७–५८ में कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने स्थानों की पूर्ति की जाने वाली है;

(ग) लिखित परीक्षा के लिये कितने आवेदक बुलाये गये;

(घ) परीक्षा के लिये चुने गये केन्द्र कौन-कौन थे;

(ङ) क्या यह सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ परीक्षा नहीं भी ली जा सकी थी;

(च) ये परीक्षायें अब कब ली जायेंगी;

(छ) क्या यह सच है कि परीक्षा के लिये जो केन्द्र चुने गये वे बहुत दूर पर थे; और

(ज) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४७]**

(ङ) ऐसा केवल रेलवे सेवा आयोग, बम्बई के मामले में हुआ जिस ने २०-७-१९५८ को २२७ केन्द्रों पर एक सामूहिक परीक्षा इस कारण ली थी कि अत्यधिक वर्षा के कारण रेलवे सेवा में गतिरोध आ जाने से कुछ उम्मीदवार निर्धारित केन्द्रों पर नहीं पहुंच सके थे । जिन से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था उन को उस के बदले दूसरे केन्द्रों पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनुमति दे दी गई थी । लगभग ७०० उम्मीदवारों ने आयोग के पास यह अभ्यावेदन भेजा है कि वे उपर्युक्त कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके ।

(च) दुबारा परीक्षा लेने का विचार नहीं है ।

(छ) और (ज). सभी लिखित परीक्षाओं/मौखिक परीक्षाओं का संचालन सामान्यतः उस रेलवे रीजन/डिवीजन/जिले में किया जाता है जिस के लिये उम्मीदवारों की भर्ती की जानी होती है । जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्र के होते हैं जो किसी रीजन/डिवीजन/जिला विशेष अथवा उस राज्य के होते हैं जो मध्य और पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत नहीं आते, उन्हें आयोग के सम्मुख उपस्थित होने के लिये परीक्षा केन्द्र तक आने में काफी फासला तै करना पड़ता है ।

जापान में सहकारी आन्दोलन

†१३७५. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्कों के तत्वावधान में जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल सहकारिता आन्दोलन के अध्ययन के लिये जापान भेजा गया था उस ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या सहकारिता आन्दोलन पर उस ने सरकार से कोई सिफारिश की है अथवा कोई सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस की सिफारिशें और सुझाव क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) यूनेस्को परियोजना के अधीन पांच सदस्यों की एक गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की टोली को एशिया में श्रमिक अध्ययन दौरे पर भेजा गया था जिसने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में

मानसिक रोग चिकित्सालय, दिल्ली

†१३७६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसिक रोग चिकित्सालय दिल्ली के लिये मुख्य भवन बनवाने में किन कारणों से विलम्ब हुआ है; और

(ख) निर्माण कब से आरम्भ होने की आशा की जाती है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय न किये जाने के कारण मानसिक रोग चिकित्सालय के लिये मुख्य भवन बनवाने का काम आरम्भ नहीं किया जा सका है। हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने इस पर पुनर्विचार किया था और शाहदरा क्षेत्र में पानी के संभरण की कठिनाई की दृष्टि से फिलहाल वहां मानसिक रोग चिकित्सालय बनाना उचित नहीं होगा। अतः जब तक शाहदरा में जल संभरण की पर्याप्त संभावना नहीं हो जाती तब तक इस योजना को स्थगित रखने का विचार है। इस बीच तेहाड़ की नई जेल की सीमा के अन्दर जहां कहीं भूमि उपलब्ध हो सके वहीं एक मानसिक रोग चिकित्सालय स्थापित करने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मऊ और इंदरा जंक्शनों के बीच गाड़ियां

†१३७७. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर मऊ और इन्दरा जंक्शनों के बीच गाड़ियों के जल्दी आने जाने की व्यवस्था करने में रेलवे प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या मऊ जंक्शन और इन्दरा जंक्शन के बीच दुहरी पटरी बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वह कब तक पूरा होने जा रहा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, मऊ और इन्दरा के बीच टर्मिनल की अपर्याप्त सुविधा के कारण, उस में सुधार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जालना रेलवे स्टेशन पर बिजली

†१३७८. श्री अं० वें० धारे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के औरंगाबाद जिले में जालना नामक नगर में बिजली है;

(ख) यदि हां, तो जालना रेलवे स्टेशन पर बिजली क्यों नहीं लगाई गई है; और

(ग) सरकार का जालना स्टेशन पर कब तक बिजली लगाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). किसी स्टेशन पर बिजली लगाने का काम कार्यक्रमानुसार, निधि की उपलब्धता और उचित दर पर विद्युत संभरण होने पर, किया जाता है । स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिये प्राथमिकता देने का निश्चय स्टेशन के महत्व को दृष्टि में रखते हुए यात्री सुविधा समिति के परामर्श से किया जाता है ।

यात्री सुविधा समिति ने जालना रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाने के कार्य को १९५९-६० के कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने पर सहमति दे दी है ।

पारतूर और रंजनी स्टेशनों के बीच एक स्टेशन खोला जाना

†१३७९. **श्री अं० वें० धारे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमद-काछीगुदा मुख्य लाइन पर पारतूर और रंजनी स्टेशनों के बीच एक स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में सरकार को जनता का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) पारतूर और रंजनी के बीच झंडी दिखाने वाले स्टेशन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी जो उचित नहीं समझा गया ।

अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या इसे ठेकेदार द्वारा चालित हाल्ट र[1]खना उचित होगा ।

विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का संभरण

†१३८०. **श्री साधू राम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को १ जनवरी, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक कुल कितने गेहूं और चावल का संभरण किया गया;

(ख) संभरण किस मूल्य पर किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) गेहूं : १,४६७ हजार टन

चावल : ३६२ हजार टन

(ख) गेहूं . . १४ रुपये प्रति मन

चावल . . १६ रुपये से ले कर ३० पये प्रति मन तक किस्म के अनुसार ।

रेलवे संहिता

†१३८२. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे संहिता की शुद्धि-पर्णियां छप जाने और सरकारी कार्य हो जाने के पश्चात् रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कर देने से उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Contractor worked Train half.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) शुद्धि पर्णियों के छपने और बिक्री के लिये उपलब्ध होने में कुछ समय लगता है। उनकी उपयोगिता बिल्कुल भी समाप्त नहीं होती क्योंकि शुद्धि करने के बारे में निर्णय होते ही प्रस्तावित शुद्धि करने वाली पर्णियां पहले ही सभी रेलवे लेखा-परीक्षा आदि को सरकारी कार्य के लिये पहले ही परिचालित कर दी जाती हैं।

(ख) शुद्धि पर्णियां छपने के लिये त्रैमासिक थोड़ी-थोड़ी करके भेजी जाती हैं जिनकी छपाई, मूल्य-निर्धारण और वितरण में कुछ समय लगता है।

रेलवे कर्मचारी

†१३८३. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे की प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने उसी पद पर जिस पर उनकी नियुक्ति थी अथवा उससे पद पर क्रमशः एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष, दस वर्ष अथवा उससे भी अधिक काल से काम करने पर भी अभी उनकी पुष्टि नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार उनकी पुष्टिकरण शीघ्र करने का विचार करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे पर दावे

†१३८४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में फिलहाल अधिक भाड़े की वापसी के भुगतान के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) ये दावे कब तक तय हो जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३१-७-१९५८ को १८,९५७ मामले अनिर्णीत थे।

(ख) इन मामलों को शीघ्र तय करने के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। यद्यपि इन मामलों के निबटारे की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती, किन्तु आशा यह की जाती है कि लगभग छः मास में स्थिति सामान्य हो जायेगी और व्यावहारिकतः सभी मामलों का निबटारा कर दिया जायेगा।

छोटी सिंचाई योजनायें

१३८५. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को संगठित करने के लिये विकास आयुक्तों का जो सम्मेलन मसूरी में अप्रैल, १९५७ में हुआ था उस की सिफारिशों को कितने राज्यों ने स्वीकार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : विकासायुक्तों का सम्मेलन जो मसूरी में हुआ उसकी लघु-सिचाई सम्बन्धी सिफारिशों को सब राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है।

बीज फार्म

†१३८६. **श्री कमल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक बीज पैदा करने वाले कितने फार्म स्थापित किये गये हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४७]**

जानकारी के लिए प्रश्न

†**श्री थानुलिंगम नादर (नागरकोइल)** : मैं एक बात जानना चाहता हूं। गत सप्ताह में कुछ मंत्रियों को—सिंचाई तथा विद्युत मंत्री और रेलवे मंत्री को—परामर्श दिया गया था कि रेलवे तथा बांधों की महान दुर्घटनाओं के बारे में वह सभा को जानकारी दें। कल और आज हमें सुनाई पड़ा है कि एक बड़ा बांध टूट गया है और रेलवे यातायात रुक गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय सदस्यों की इन मामलों पर ध्यान दिलाने के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हां, कल एक ऐसी दुर्घटना हो गई है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये। देखिये क्या माननीय मंत्री वक्तव्य देते हैं। इसके बारे में जल्दी क्या है ?

रेलवे के कार्य संचालन संबंधी चर्चा के बारे में सुझाव

†**अध्यक्ष महोदय** : रेलवे के संचालन के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। खाद्य स्थिति पर हम लगभग हर सत्र में वादविवाद करते हैं। इसी प्रकार, मेरा सुझाव है कि माननीय रेलवे मंत्री तथा संसद् कार्य मंत्री इस बात पर विचार करें कि हर छठे महीने हम दो या तीन घण्टे की चर्चा यात्रा सुविधाओं तथा गाड़ियों के देर से आने-जाने के बारे में कर लिया करें। अन्य बातों पर हम काफी समय देते हैं। संचार भी महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें। माननीय मंत्री चाहें तो सेन्ट्रल हाल में सब सदस्यों से इस सम्बन्ध में बातें कर लें या चर्चा के लिए सब सदस्यों को बुला लें। इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी।

स्थगन प्रस्ताव

कड़डम बांध का टूट जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जो इस आशय का है कि कड़डम बांध के टूट जाने से लगभग २ करोड़ रुपये की हानि हुई है और रेल यातायात बन्द हो गया है और बांध टूटने से एक भयंकर बाढ़ आ गई है जिससे सम्पत्ति को भी बहुत क्षति पहुंची है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव की सूचना में कहा गया है कि बांध की नींव खोदते समय पर्याप्त व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है ।

इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जहां तक कड्डुम परियोजना का सम्बन्ध है यह एक राज्य परियोजना है और इसका निर्माण कार्य आन्ध्र प्रदेश सरकार के हाथों में है । इस परियोजना के निर्माण से केन्द्रीय सरकार का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । पर बाढ़ समस्या को हल करने का जहां तक प्रश्न है हमें कड्डुम नदी में बाढ़ आने तथा गोदावरी नदी व कड्डुम नदी में पानी बढ़ जाने के बारे में जानकारी मिलती रही है । यह जानकारी हम प्रतिदिन '**फ्लड न्यूजलेटर**' में निकाल रहे हैं जो कि सभा के पुस्तकालय में रखा जाता है । कल का **फ्लड न्यूजलटर**, जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा निकाला गया है, ३१ अगस्त तक की जानकारी देता है । ३० तारीख को ४ बजे पानी का स्तर बांध के ऊपर ९.८० फीट था और ३१ तारीख को १२.२० फीट था । उसमें यह भी बताया गया है कि कड्डुम नदी में भारी बाढ़ थी और ३१ अगस्त को बांध के ऊपर से पानी बह रहा था । यह **न्यूजलेटर** पुस्तकालय में है । यह रोज प्रकाशित होता है । उन माननीय सदस्यों को मंत्रालय यह **न्यूजलेटर** भेज सकता है जो इसमें रुचि रखते हों । बाढ़ के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह सभा के पुस्तकालय में रख दी जाती है ।

जहां तक इस विशेष परियोजना का सम्बन्ध है मैं राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी करूंगा ।

†**श्री गोरे** (पूना) : यद्यपि यह परियोजना राज्य सरकार के अधीन है पर चूंकि केन्द्र इसके लिये सहायता देता है अतः केन्द्र के लिए यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है । अभी कुछ दिनों पूर्व भाखड़ा नंगल बांध के बारे में माननीय मंत्री ने बताया था कि अधिक हानि नहीं हुई है । अतः बांधों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वे भारी वर्षा का सामना कर सकें । अतः मेरा सुझाव है कि वर्षा ऋतु के आरम्भ होने से पूर्व केन्द्रीय सरकार **इन** बांधों का निरीक्षण करा लिया करे ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : क्या मंत्रालय के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह अपने कुछ कुशल पदाधिकारियों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भेजे जो वहां की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करें और बाढ़ नियंत्रण के काम में राज्य सरकार की मदद भी करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे जानना चाहते हैं कि क्या परियोजना के लिए ऋण देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार योजना तथा प्राक्कलनों का अध्ययन नहीं करती और क्या परियोजना के निर्माण पर निगरानी नहीं रखती । यदि ऐसा है, तो इस मामले में ऐसा क्यों हुआ जिससे २ करोड़ की क्षति हुई ।

†**श्री हाथी** : प्रक्रिया यह है कि योजना में सम्मिलित करने के पूर्व राज्य सरकारें अपनी परियोजना तथा उसका प्राक्कलन भेजती हैं । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग उन पर विचार करता है और योजना आयोग की प्रविधिक मंत्रणा समिति भी परियोजना प्रतिवेदन पर विचार करती है । यदि योजना प्रविधिक, आर्थिक तथा अन्य दृष्टियों से संभव होती है तो योजना आयोग उसे स्वीकृत कर देता है । राज्य सरकारों को ऋण सम्पूर्ण व्यय के आधार पर दिया जाता है । पर योजना के आधार पर व्यय नहीं दिया जाता । राज्य के संसाधनों तथा कुल व्यय को देखते हुए ऋण दिया जाता है । प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग ऋण नहीं दिये जाते । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं राज्य से जानकारी उपलब्ध करके सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रंगा** : और केन्द्र से विशेषज्ञों को भेजने के सम्बन्ध में क्या होगा ?

†**श्री हाथी** : यदि राज्य चाहेंगे तो भेज दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । केन्द्रीय सरकार उनके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती । राज्य के अपने इंजीनियर होते हैं । माननीय मंत्री ने बताया और आश्वासन दिया कि वह जानकारी इकट्ठी करके सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । इससे अधिक केन्द्र और क्या कर सकता है । इस मामले में केन्द्र उत्तरदायी नहीं है । मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

बेरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्महत्या

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं पर उसे सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं । स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है :

> "उत्तरप्रदेश के एक जिले, बरेली, में ६ व्यक्तियों के एक परिवार ने बेरोजगारी के कारण विषाक्त भोजन खाकर आत्महत्या कर ली है जिसके कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है ।"

बेरोजगारी तो सम्पूर्ण भारत में है । केन्द्रीय सरकार इसके लिए कैसे उत्तरदायी है । मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : उत्तर प्रदेश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है और वहां के मुख्य मंत्री कहते हैं कि यह एक राजनैतिक आन्दोलन है । उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री यहीं थे उन्होंने विरोधी दल के सदस्यों से मिल कर समस्या पर विचार नहीं किया । अतः मुझे केन्द्रीय सरकार के पास मामला पहुंचाना पड़ा ।

†**श्री यादव** (बाराबंकी) : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि उस परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया । उस परिवार के बड़े आदमी ने जाकर एक लोटा चुराया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

†**श्री यादव** : जब दरोगा को भी उस पर दया आ सकती है और वह पांच रुपये देता है, जिससे वे खाना खाते हैं, तो क्या सरकार इसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है । छः आदमी भूख से मर जायें, जहर खा कर मर जायें, क्या यह सरकार के देखने की बात नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ ऐसा लगता है कि जहां तक खाद्य सम्बन्धी मामलों का प्रश्न है सारी जिम्मेदारी केन्द्र की हो गई है । यदि कोई व्यक्ति भूखों मर जाता है तो उसका सवाल यहां उठाया जाता है । लगता है कि सभी मामलों का केन्द्रीयकरण हो गया है । ऐसी समस्या में दो बातें सम्मिलित होती हैं : एक, क्या वहां अन्न पर्याप्त था या नहीं और दूसरे, क्या अनाज को खरीदने की क्षमता थी या नहीं । इन बातों के सम्बन्ध में बड़ी गलतफहमी है । दोनों बातों का परस्पर सम्बन्ध है । कई बार इन मामलों के लिए इस सभा में अनुमति नहीं दी जाती पर दूसरी सभा में उनकी अनुमति दे दी जाती है । अतः मैं माननीय मंत्री से इस बारे में बात करना चाहूंगा कि कौन से विषय राज्य से सम्बद्ध हैं और कौन से नहीं । इसी स्पष्टीकरण के लिए मैंने यह मामला यहां पेश किया है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : श्रीमान्, मुझे प्रसन्नता होगी यदि यह बात स्पष्ट कर दी जाये कि खाद्य समस्या के सम्बन्ध में केन्द्र की कितनी जिम्मेदारी है और राज्यों की

†मूल अंग्रेजी में

कितनी। इस बात को स्पष्ट करने में मेरी जितनी सहायता की आवश्यकता होगी मैं अवश्य दूंगा। कई बार ऐसे प्रश्नों की अनुमति दे दी जाती है जो केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं होते। शिष्टता के नाते हम उनका उत्तर दे देते हैं। पर समय आ गया है कि अब हम खाद्य के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य के उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण कर लें।

†**अध्यक्ष महोदय :** खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सिंचाई के सम्बन्ध में केन्द्र का क्या उत्तरदायित्व है यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। कई बार केन्द्र को हस्तक्षेप करना होता है और राज्यों की मदद करनी होती है। बस इसी बात का फायदा उठाकर यहां प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मामला राज्य सरकार से सम्बद्ध है अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

गंगा बांध परियोजना के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** मैं गंगा बांध परियोजना के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०—८८०/५८]

तेल शोधक कारखाना स्थान निर्धारण समिति का प्रतिवेदन

†**श्री हाथी :** श्री के० दे० मालवीय की ओर से मैं तेल शोधक कारखाना स्थान निर्धारण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०—८८१/५८]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री महन्ती** (टेंकानाल) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। खाद्य समस्या को हल करने में यदि केन्द्र सहायता देता है तो केन्द्र को अपना यह कर्त्तव्य पूरी तरह निभाना चाहिए और उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यदि भुखमरी होती है तो केन्द्र को उत्तरदायी माना जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि आप संविधान पढ़ें तो आप स्वयं निश्चित कर लेंगे कि यह उत्तरदायित्व किसका है। मैं यह निश्चित करता हूं कि यह मामला राज्य का विषय है या नहीं। चूंकि केन्द्र बार-बार राज्य की मदद करता है अतः तरह तरह के प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। ये मामले राज्य से सम्बद्ध हैं और राज्य में ही उठाये जाने चाहिए।

†**श्री जगदीश अवस्थी** (बिल्हौर) : यदि इस मामले पर यहां चर्चा नहीं होगी तो हम इसके विरोध में बाहर जाते हैं।

†**श्री यादव :** छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है।

(इसके पश्चात् श्री जगदीश अवस्थी, श्री ब्रजराज सिंह और श्री यादव उठ कर सभा-भवन से बाहर चले गये)

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रूखाबाद): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धी

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: १६-८-१९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के सम्बन्ध में श्री वि० च० शुक्ल द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक तथा उसके उत्तर से माननीय सदस्य समझे होंगे कि मूलत: २० लाख स्लीपरों की खरीद करनी थी पर केवल १२ लाख स्लीपरों की खरीद की जा रही है। मैं स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। १२ लाख (१२.१ लाख) के आंकड़े बड़ी लाइन के स्लीपरों के सम्बन्ध में हैं और यदि छोटी लाइन के स्लीपरों को भी मिला लिया जाये अर्थात् ७.९१ लाख छोटी लाइन के स्लीपर मिला लिये जायें, तो कुल स्लीपरों की संख्या २० लाख हो जायेगी।

दिल्ली में हैज़ा तथा अतिसार के बारे में वक्तव्य

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: सोमवार, २५ अगस्त, १९५८ को जब मैंने सभा में वक्तव्य दिया था तो मैंने बताया था कि सराय खलील तथा अन्य क्षेत्रों के मरीजों के बारे में प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा रहा है और उस दिन शाम तक विश्लेषण के परिणाम का पता नहीं लग पाया था। इरविन अस्पताल के बैक्टोरियोलॉजिस्ट ने उसी दिन शाम को सूचना दी कि सराय खलील के मरीजों के १५ नमूने जो उन्होंने लिये थे, वे निश्चित रूप से हैजे के मामले थे। निगम स्वास्थ्य प्रयोगशाला के मेडिकल अफसर ने भी बताया कि उसी क्षेत्र के २० और मरीज भी हैजे के मरीज थे।

सराय खलील क्षेत्र में बिल्कुल सफाई कर दी गयी थी और हैजे के जितने रोगी मिले उनको हटा कर छूतरोग के अस्पताल में भरती कर दिया गया। सारे क्षेत्र की अच्छी तरह सफाई की गयी और वहां वेमक्सीन तथा डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया। कुओं का पानी बन्द कर दिया गया और इस्तेमाल के लिए साफ पानी ट्रकों में भरकर पहुंचाया गया। साथ ही वहां पर एक अस्थायी औषधालय तथा हैजा-निरोधक केन्द्र खोल दिया गया।

२३ अगस्त, १९५८ से १/२ सितम्बर की रात तक अतिसार के ४६४ रोगियों को छूत रोग के अस्पताल में भरती किया गया और उनमें से ३७ मर गये। अस्पताल में भरती रोगियों में से १५३ का परीक्षण करने पर पता लगा कि उनमें से ६८ को हैजा था। इन में से ५० सराय खलील के हैं और १८ अन्य क्षेत्रों के। ठीक हो जाने के बाद अब तक २४८ रोगियों को अस्पताल से छुट्टी कर दी गयी है। अधिकांश रोगियों को हैजा नहीं था पर सावधानी बरतने के लिए उनको अस्पताल में भरती कर लिया गया था। ताकि यदि उन्हें हैजा हो तो उन्हें अलग रखा जा सके और उनका इलाज किया जा सके।

---

† मूल अंग्रेजी में

यद्यपि स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है पर इस रोग के आगे फैलने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी एक आध मामलों की खबर मिली है।

हैजा के टीका लगाने का कार्यक्रम खूब तेजी से चल रहा है। हैजा के टीके लगाने के १३९ दल दिल्ली निगम क्षेत्र में काम कर रहे हैं अतः १८ दल नई दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली निगम के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त लेडी हार्डिज मेडिकल कालेज, मौलाना आजाद मडिकल कालेज तथा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के विद्यार्थी भी टीका लगाने के काम में मदद कर रहे हैं ताकि जनता की हिफाजत की जा सके। इसके अलावा अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय भी सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवारों तथा सामान्य जनता को हैजे के टीके लगा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में ६१५,७२४ टीके लगाये जा चुके हैं और नई दिल्ली में ८९,७०२ टीके।

जनता को राय दी गयी है कि वह कुओं और हैण्ड पम्पों का पानी न पिये। कुओं में दिन में २ बार लाल दवा छोड़ी जा रही है और निगम ९ कुओं को बन्द करवा रहा है।

सावधानी बरतने के लिए चन्द्रावल के पानी के कारखाने में पानी में क्लोरीन की मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक रखी जाती है।

मक्खियों को नष्ट करने, गंदगी व कूड़ा उठाने आदि का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। गंदी खाद्य सामग्री नष्ट की जा रही है और होटलों तथा रेस्तराओं की सफाई पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जनता को राय देने के लिए, कि वह इस रोग से बचने में सावधानी बरते और कुओं तथा हैण्ड पम्प का पानी न पिये, रेडियो, अखबारों, लाउड स्पीकरों तथा ढिंढोरा पिटवा कर काफी प्रचार किया गया है। इस रोग का सामना करने के लिए दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली म्युनिस्पल कमेटी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भरपूर कोशिश की जा रही है और दैनिक स्थिति का अनुमान लगाने तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त उप महानिदेशक, दिल्ली क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा के उपनिदेशक तथा दिल्ली नगर निगम के हेल्थ अफसर की एक उच्चाधिकार युक्त प्रविधिक समिति बना दी गई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करेगी। इस पर ३८ मिनट तक और सामान्य चर्चा होगी। इसके बाद खंडशः विचार तथा तृतीय वाचन होगा जिसके लिए एक घंटा नियुक्त किया गया है। श्री रघुनाथ सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, १८९८ में हिन्दू कालेज की स्थापना हुई। उस के बाद १९१६ में उस को हिन्दू यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया। स्थापना के वक्त महात्मा गांधी ने वहां जो उपदेश दिया था, वह एक ऐतिहासिक उपदेश है। उन्हों ने हिन्दू यूनिवर्सिटी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि उस के तीन उद्देश्य होने चाहियें—भारतीय आदर्श, सादगी और भारतीय एकता। हमें यह कहना ही होगा कि हिन्दू यूनीवर्सिटी में इस के लिये हमेशा प्रयास होता

† मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

रहा और आप देखेंगे कि अगर वाइस-चांसलर नार्थ इंडिया का होता था, तो प्रो-वाइस-चांसलर साउथ इंडिया का होता था और अगर वाइस-चांसलर साउथ इंडिया का होता था, तो प्रो-वाइस-चांसलर नार्थ इंडिया का होता था । इस परम्परा का आज तक अक्षरशः पालन किया गया है । मैं आप को इस के उदाहरण देना चाहता हूं । सर सुन्दरलाल इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस-चांसलर थे और उस समय प्रो-वाइस चांसलर थे श्री आदित्य राम भट्टाचार्य । दूसरे वाइस-चांसलर थे सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और उस अवधि में मालवीय जी ने प्रो-वाइसःचांसलर का काम किया । केवल उन आठ महीनों को छोड़ कर, जबकि श्री अमरनाथ झा वाइस-चांसलर और पंडित गोविंद मालवीय प्रो-वाइस-चांसलर रहे, सदा इसी परम्परा का पालन होता रहा, इसलिये कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि हिन्दुस्तान की एकता कायम रखी जाय, हिन्दू धर्म का सुधार किया जाय ।

यह कहा जाता है कि कोर्ट के सदस्यों का नामीनेशन क्यों किया जाता है । हिन्दू यूनीवर्सिटी एक्ट में यह व्यवस्था है कि कोर्ट एग्जेक्टिव कौंसिल के लिये चुनाव करते समय यह बात सामने रखे कि पांच में से तीन आदमी यू० पी० के बाहर के और सिर्फ दो यू० पी० के होने चाहिये । लेकिन जो कोर्ट एबालिश की गई है, हटाई गई है, उस ने पांचों यू० पी० वालों को चुना, जिन के नाम मैं आप के सामने रखना चाहता हूं—पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री के० टी० तिवारी, श्री नन्द दुलारे वाजपेयी, श्री उदय सरोज साह और श्री रमाशंकर पांडे । आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त को सबसे कम वोट मिले । उन को भी नान-यू० पी० ट्रीट किया गया । क्योंकि उन का एड्रेस दिल्ली लिखा हुआ था । यह हमारा आदर्श नहीं था । हिन्दू यूनीवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य यह था कि सारे हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांधा जाय । सारे प्रान्त को एक सूत्र में बांधा जाय । इसीलिये यह व्यवस्था की गई थी कि यू० पी० से दो आदमी लिये जायें और बाहर से तीन आदमी लिये जायें । इस के माने क्या होते हैं । पांचों आदमी य० पी० से लिये जायें ? अगर कोर्ट को एबालिश किया गया है और उस के स्थान पर नामीनेशन किया गया है, तो ऐसा कर के हिन्दू यूनीवर्सिटी के आदर्श की रक्षा की गई है ।

इन पांचों आदमियों के स्थान पर और लोगों के नाम भी पेश थे । आज ईस्टर्न यू० पी० की बात कही जाती है । काशीराज भी एक कैंडीडेट थे । उन्हों ने १९४८ में मरजर के समय यूनिवर्सिटी को बारह लाख रुपये दिये थे । सारी ज़मीन काशीराज की थी । उस वक्त ईस्टर्न यू० पी० और यू० पी० का स्लोगन कहां गया था ? उन को नहीं चुना गया—उनको वोट नहीं दिये गये । डा० परीजा, यहां प्रो-वाइस-चांसलर थे, जोकि आज उत्कल यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर हैं, को भी वोट नहीं दिये गये । सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर, जोकि वाइस-चांसलर थे, वे भी एग्ज़ेक्टिव कौंसिल के लिये उम्मीदवार थे, लेकिन उन को भी वोट नहीं दिये गये । क्या आप हिन्दू यूनिवर्सिटी को केवल ईस्टर्न यू० पी० के स्लोगन पर एक प्रान्त की चीज़ बनाना चाहते हैं ? आज आप के सामने प्रश्न है —आज पार्लियामेंट को यह तय करना है क्या हिन्दू यूनिवर्सिटी का वह प्राचीन रूप कायम रखा जाय, जोकि उस के संस्थापकों की मंशा थी, जो महात्मा गांधी की मंशा थी, जो महामना मालवीय जी की मंशा थी । आज मैं इसलिये लड़ रहा हूं कि वह आदर्श कायम रहे ।

कल जब मैं बजट के बारे में कह रहा था, तो श्री ब्रजराज सिंह ने टोका । मैं आप को पूरी डीटेल देता हूं । १९५८-५९ में १,६८,००,००० रुपये का बजट है । इस में १,०७,००,००० रुपया सैंट्रल गवर्नमेंट का है । यह रेगुलर बजट है । ६० लाख रुपया डेवेलपमेंट फंड के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट देती है । यू० पी० गवर्नमेंट का हिस्सा सिर्फ २,६६,००० रुपया है । जिस रुपये से यूनिवर्सिटी चलती

है, उस में सिर्फ २,६६,००० रुपया प्राविंशियल गवर्नमेंट देती है। ३४,००,००० रुपया एस्टेट, फ़ीस और ग्रोल्ड एन्डाउमेंट्स से आता है। पब्लिक का चन्दा एक साल में सिर्फ पन्द्रह से बीस हज़ार रुपये तक आता है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का रुपया है। बजट हम पास करते हैं। रुपया हम ग्रान्ट करते हैं। तो फिर पार्लियामेंट को उस में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है और हम को पूरा अधिकार है कि हम देखें कि हमारे रुपये का उपयोग किस तरह होता है। जो रुपया हम देते हैं, उस का उपयोग ठीक तरह से होता है या नहीं। इस लिये पार्लियामेंट ने जो कदम उठाया है, वह बिल्कुल ठीक है।

जब यहां पर बिल आया, तो हम ने उस को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का अमेंडमेंट रखी सरकार ने उस को स्वीकार किया। इतने लोग यहां प्रचार करने के लिये आये, लेकिन सिवाय पंडित गोविन्द मालवीय के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह सिलेक्ट कमेटी के सामने एविडेंस देने के लिये आये। जब मैं काशी गया था तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि दिल्ली में सिलेक्ट कमेटी बनी थी। वह इतने दिनों तक चली, आप लोगों में से कोई व्यक्ति एविडेंस देने के लिये क्यों नहीं आया। मैं ने उन लोगों को कहा कि आप को कोई स्टेटमेंट लिख कर या कोई मेमोरेंडम लिख कर भेजना चाहिये था। उन्हों ने कहा कि हम को सिलेक्ट कमेटी का प्रोसीड्योर मालूम नहीं है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : क्या माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी ने एविडेंस इनवाइट नहीं किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी सदस्य कह सकता है कि मैं साक्ष्य देना चाहता हूं। तब प्रवर समिति उस की प्रार्थना पर विचार कर सकती है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जी, श्रीमान्। सिलेक्ट कमेटी के सामने जाने की हिम्मत इस लिए नहीं हुई कि अगर वे सिलेक्ट कमेटी के सामने जाते, तो पर्दाफ़ाश हो जाता। तीस मेम्बर वहां बैठे थे। वे उन से पूछ सकते थे।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : कई व्यक्तियों ने प्रवर समिति के सामने साक्ष्य देने के लिये कहा था, किन्तु समिति ने पंडित गोविन्द मालवीय के अतिरिक्त किसी का साक्ष्य नहीं लिया। इसलिये यह कहना ग़लत है कि किसी ने साक्ष्य देने के लिये नहीं कहा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा।

श्री रघुनाथ सिंह : आटोनोमी के बारे में बड़ा आक्षेप किया गया है। ठीक है डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन डेमोक्रेसी को बिगड़ने पर उन का स्थान माबोक्रेसी लेती है। माबोक्रेसी का स्थान डिक्टेटरशिप लेती है। यह अरिस्टाटल की साइकलिक थ्योरी आफ स्टेट्स है। हिन्दू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? वहां आटोनोमी थी। डेमोक्रेसी थी। पार्लियामेंट ने इस बारे में एक एक्ट बनाया था। लेकिन वह डेमोक्रेसी माबोक्रेसी के सामने फ़ेल हो गई। जब डेमोक्रेसी फ़ेल हो गई, तो वहां पर डिक्टेटरशिप न कायम हो, इसलिये अगर पार्लियामेंट ने हस्तक्षेप किया, तो डेमोक्रेसी की रक्षा की।

हिन्दू यूनीवर्सिटी की स्थापना हिन्दू धर्म के सुधार के लिये हुई थी। असहयोग नामक सत्याग्रह भारत छोड़ो आदि के आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने ही लोग हिन्दू यूनिवर्सिटी से जेल गये, कितने ही लोगों ने गोलियां खाईं। लेकिन जब वहां काशी विश्वनाथ मन्दिर के सम्बन्ध में अस्पृश्यता के विरुद्ध आन्दोलन चला, तो उस हिन्दू यूनीवर्सिटी से, जोकि सुधारवादी आन्दोलन के आधार पर स्थापित हुई थी, कोई आदमी, प्रोफ़ेसर क्लास से या स्टूडेंट क्लास से कोई भी नेता हरिज़नों पर हो रहे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिये सामने नहीं आया। हिन्दू यूनीवर्सिटी का जो आदर्श था, उस से लोग हट गये। और अगर हट गये, तो पार्लियामेंट ने जो हस्तक्षेप किया, तो वह अच्छा किया। हमारे कई भाइयों ने कहा है कि पार्लियामेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। अब मैं इस का उत्तर देना चाहता हूं। आप देखेंगे कि स्टूडेंटों का, विद्यार्थियों का जो आन्दोलन है, वह केवल बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है, केवल वहां के विद्यार्थीवर्ग पर किसी प्रकार का आक्षेप करना मेरे विचार में अनुचित होगा। अभी आप ने केरल में यही हाल देखा है, लखनऊ में देखा है। दूसरे स्थानों पर इस तरह की घटनायें होती देखी हैं। यह तो एक देश व्यापी आन्दोलन है। इस का हल भी देशव्यापी ही होना चाहिये। हमारे नौजवान, हमारे नौनिहाल गोलियों से न मरें इस का भी उपाय हमें करना है। इस का उपाय तभी हो सकता है जबकि जोकि यह बुद्धि विभ्रम पैदा हो गया है विद्यार्थियों में, उस को दूर करें। यह मानसिक रोग है, इस मानसिक रोग को दूर करने के लिये हमें औषधि देनी है और ठीक प्रकार की औषधि देनी है ताकि विद्यार्थियों पर उस का असर हो। यह सवाल केवल बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का नहीं है, यह देशव्यापी सवाल है। इस को हमें हल करना है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी अपना समय पढ़ाई में लगायें। विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? वे वहां पर पढ़ने के लिये अध्ययन करने के लिये जाते हैं। जब वे पढ़ने तथा अध्ययन करने के लिये जाते हैं, तो उन का राजनीति से क्या सम्बन्ध? कोई प्रोफसर आता है, कोई प्रोफसर जाता है, इस से उन की पालिटिक्स का क्या सम्बन्ध है? लेकिन कोई कहता है कि विद्यार्थी प्रोफसरों का प्रयोग करते हैं और कोई कहता है कि प्रोफसर विद्यार्थियों का प्रयोग करते हैं, यह सब, मैं समझता हूं, अनुचित है।

पंडित गोविन्द मालवीय (सुलतानपुर): कुछ ऐसे नेता हैं जो दोनों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह: आप भी, पंडित जी, जब वहां थे तो विद्यार्थी आन्दोलनों में हिस्सा लेने की वजह से चार पांच बार जेल गये थे। उस वक्त इस तरह के आन्दोलनों की आवश्यकता थी। आज हमें हिन्दुस्तान को बनाना है, हिन्दुस्तान की रचना करनी है। मैं आप से ही पूछता हूं कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी ने पिछले आठ दस वर्षों में कितने ऐसे स्कालर पैदा किये हैं, जिन्हों ने भारत का नाम ऊंचा किया हो?

श्री त्यागी (देहरादून): इंजीनियर पैदा किये हैं।

यूनिवर्सिटी सरस्वती का मन्दिर है। रणचंडी का मन्दिर नहीं। हमें यूनिवर्सिटीज़ को रणचंडी का मन्दिर नहीं बनाना चाहिये। आन्दोलनों का मन्दिर बनाने का जो समय था वह बीत चुका है। आज सरस्वती की उपासना करनी है। जो उपासक होता है उस में आन्दोलन करने की भावना नहीं होती है, उस में प्रतिहिंसा की भावना नहीं होती उस में क्रोध नहीं होता है, उस में गुरु शिष्य की भावना होती है। आज भी आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी और अध्यापक में गुरु शिष्य की परम्परा कायम की जाय जो हिन्दू यूनिवर्सिटी का एक समय आदर्श था।

सिलैक्शन कमेटी के बारे में हमारे कई भाइयों ने कई सवाल उठाये हैं। अभी कुछ देर हुई हम मास्को गये थे। वहां पर हम ने देखा प्रोफेसरों को कांट्रेक्ट पर रखा जाता है। और शुरू शुरू में पांच साल का कांट्रेक्ट किया जाता है। अगर पांच बरस तक वे अपना काम अच्छा करते हैं तो उन के कांट्रेक्ट को पांच बरस के लिये और बढ़ा दिया जाता है। इस के बाद भी अगर उन का काम अच्छा चला आता है तो उन को परमानेंटली रख लिया जाता है। मैं समझता हूं कि बहुत सी

हमारी जो समस्यायें हैं, वे इस स्कीम को लागू करने से हल हो सकती हैं । इस कांट्रैक्ट सिस्टम को प्रोफेसरों के केस में हमें हिन्दुस्तान में चालू करना चाहिये । अगर कोई प्रोफेसर पांच बरस तक या दस बरस तक, जो भी टाइम आप लिमिट करें, अच्छा काम करता है तो उस को मौका दें कि वह उस यूनिवर्सिटी की सेवा करता रहे । लेकिन अगर वह अच्छा काम नहीं करता है, तो उस को आप नमस्कार करें । कहें कि पांच या दस बरस का आप का जो कांट्रेक्ट था वह खत्म हो गया । आप दूसरी जगह पर जा कर स्थान लें और हम दूसरे आदमी को रखते हैं । इस तरह से सिलैक्शन कमेटी पर जो आरोप किया गया है, वह नहीं रहेगा । चूंकि और कोई रास्ता नहीं था उस वक्त जिस वक्त सिलैक्शन कमेटी को रखा गया था, इसलिये इस को रखा गया था । लेकिन मेरा विचार है कि अगर कांट्रेक्ट सिस्टम को हर यूनिवर्सिटी में चालू किया जाय तो अच्छा होगा ।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं और आप ने देखा भी होगा कि फ़िज़िक्स की बहुत अच्छी लेबोरेटरी है । साइंस के फील्ड में रिसर्च करने के बहुत अच्छे साधन हैं । मैं चाहता हूं कि उस को एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का रूप दिया जाय ताकि वहां पर एटौमिक और न्यूकलियर फिज़िक्स इत्यादि पर एक्स्पेरिमेंट हो सकें तथा हमारा देश तरक्की कर सके ।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं । हमें वहां के प्रोफेसरों के स्टैंडर्ड आफ वर्क और कांट्रीब्यूशन को भी देखना चाहिये । वहां के ही नहीं बल्कि तमाम यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों के काम को देखना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि उन का कांट्रीब्यूशन क्या रहा है । हम उन को सात सौ और आठ सौ रुपया तो देते हैं लेकिन हमें उन से यह भी आशा करनी चाहिये कि उन का काम अच्छा हो । वे यूनिवर्सिटी के उत्कर्ष में, उस के विकास में क्या कांट्रीब्यूट करते हैं । हर पांचवें वर्ष हर यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर के काम को हमें जांचना चाहिये । उस के काम को रिव्यू करना चाहिये । अगर आप ने ऐसा किया तो आप को किसी सिलेक्शन कमेटी की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी । काम भी तमाम यूनिवर्सिटियों का अच्छी तरह से चलेगा ।

इस यूनिवर्सिटी ने बहुत से स्कालरों को देखा है । बहुत सा अन्वेषण यहां हुआ है । जो स्कालर इस विश्वविद्यालय ने पैदा किये उन में दास गुप्ता, सरकार, डा० गणेश प्रसाद, आर० जी० बनर्जी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं । हमें चाहिये कि हम उनको याद रखें, उनका स्मरण करें और चेष्टा करें कि आगे भी यह यूनिवर्सिटी ऐसे स्कालरों का स्थान हो जिन से कि न केवल भारत को ही लाभ हो बल्कि सारे विश्व का लाभ हो ।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मैं यह आशा करता था और अब भी करता हूं कि हमें इस प्रश्न पर दलगत नीति से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये और चूंकि हम एक महान् विश्वविद्यालय के बारे में विचार कर रहे हैं, इसलिये इस चर्चा के लिये इस सभा का वातावरण भी कुछ कुछ विद्या संस्थाओं जैसा बनाने की कोशिश करें । मैं यह मानता हूं कि ऐसा करना आसान नहीं और मुझे यह देख कर खुशी हुई कि बहुत से माननीय सदस्यों ने दलगत नीति से ऊपर उठ कर इस विषय पर विचार किया है । मैं इस के लिये किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं । मैं जानता हूं कि इस सभा के सभी सदस्य यह भावना रखते हैं कि यह महान् विश्वविद्यालय भारत के लिये सुयोग्य व्यक्ति उत्पन्न करे और शिक्षा तथा संस्कृति का एक महान् केन्द्र सिद्ध हो । हमारे देश के अनेक लोगों की भी यही भावना है । हम में से प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि यह संस्था शिक्षा तथा विद्या का एक महान् केन्द्र हो और यहां भारत तथा सारे संसार की सेवा करने वाले महान् पुरुष पैदा हों ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस वाद विवाद में दो प्रकार की आलोचना की गई है जोकि काफ़ी हद तक परस्पर-विरोधी है। एक तरफ यह कहा गया है कि आप ने विश्वविद्यालय में क्यों दखल अन्दाज़ी की तथा यह अध्यादेश क्यों जारी किया। क्या आप दो महीने तक जबकि यह सभा समवेत होती, और इन्तज़ार नहीं कर सकते थे ? दूसरी ओर यह कहा गया है कि आप ने यह कदम उठाने में इतनी देर क्यों की ? जब आप को पता था, जैसाकि इस रिपोर्ट में कहा गया है तथा जैसाकि आप लोग अब कह रहे हैं, कि वहां पर काफी लम्बे अर्से से गड़बड़ी चल रही थी। वहां पर लगातार एक के बाद दूसरा उपकुलपति आ रहा था तब आप को अपने उत्तरदायित्व को तत्काल समझना चाहिये था और स्थिति को इतना नहीं बिगड़ने देना चाहिये था। यह कहा गया है कि हमें बहुत पहले कार्यवाही करनी चाहिये थी।

मैं यहां पर सरकार की कार्यवाही करने या न करने की नीति का समर्थन करने खड़ा नहीं हुआ हूं। सरकार विश्वविद्यालयों के मामलों में दखल देने में हमेशा हिचकिचाती है। कुछ लोगों ने यह कहा है कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में हमारी नीति "नौकरशाही" की नीति है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि और चाहे किसी मामले में हमारी नीति ऐसी रही हो किन्तु विश्वविद्यालयों के बारे में हम ने कभी भी ऐसा रुख नहीं अपनाया है। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हम विश्वविद्यालयों में कोई दखल न दें। और अगर हम ने किसी मौके पर दखल दिया भी है तो वह तभी जबकि बहुत आवश्यक होगा।

सचाई यह है कि हम ने विश्वविद्यालय के मामलों में कभी भी दखल नहीं दिया। हम ने हमेशा यही आशा की कि वहां पर जाने वाले विख्यात तथा कुशल उपकुलपति स्वयं वहां की स्थिति सुधार लेंगे। किन्तु अन्त में हमें वहां की स्थिति की जानकारी के लिये एक समिति नियुक्त करनी पड़ी। यह समिति विश्वविद्यालय के विज़िटर अर्थात् राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की गई थी। यह समिति एक उच्च स्तरीय समिति थी और उस ने हमें अपनी रिपोर्ट दी। यह सभा स्वयं विचार कर सकती है कि ऐसी रिपोर्ट के बाद क्या किया जा सकता था। हमारा यह ख्याल था और अब भी है कि हम ने जो समिति नियुक्त की थी वह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक शानदार समिति थी। इस समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट सभा के सामने है और सबको विदित है। हम उस रिपोर्ट की उपेक्षा नहीं कर सकते थे और विश्वविद्यालय के मामलों को यों ही नहीं चलने दे सकते थे। इस बात को हर कोई मानेगा। हमें इस पर जरूर कुछ न कुछ कार्यवाही करनी थी।

समिति ने बड़े अहम रद्दोबदल करने के सुझाव दिये हैं। हम ने इन पर आपस में बड़ा गौर किया। हम ने सरकारी क्षेत्र के बाहर के लोगों की सलाह भी ली। ये लोग शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। और इन की राय बहुत मूल्यवान समझी जाती है। जब हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब कोई कार्यवाही करना जरूरी है तभी हम ने यह कदम उठाया। यह कदम हम ने समिति की सिफारिशों के अनुकूल उठाया है।

हम ने सोचा कि ऐसा कोई क़दम उठाना, जिस से मामला ठीक तरह से न सुलझे खतरनाक होगा क्योंकि ऐसे मामलों में जब तक स्पष्ट नीति न अपनाई जाये और उचित कार्यवाही न की जाये, तब तक स्थिति ठीक नहीं रहती। हमारे सामने जो समस्या थी वह केवल एक सैद्धान्तिक समस्या नहीं थी। हमारे सामने एक प्रत्यक्ष समस्या थी। विश्वविद्यालय की सीमाओं में दिन प्रतिदिन अध्यापकों के क्षेत्र में और छात्रों के क्षेत्र में विषम परिस्थितियां पैदा होती जा रही थीं। मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों अथवा अध्यापकों को बुरा भला कहने का नहीं है। मैं वहां के हज़ारों अच्छे तथा सभ्य नौजवान लड़के तथा लड़कियों को बुरा नहीं समझता मगर वहां ऐसी चीजें हुई हैं जिन के कारण उस विश्वविद्यालय का सारा

वातावरण दूषित हो गया है । कुछ ऐसे लोग जिन का विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध न था आस पास चक्कर काटने लगे और विश्वविद्यालय पर अपना कब्ज़ा जमाने की ताक में रहने लगे ।

तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस रिपोर्ट को खटाई में नहीं डाला जा सकता है । हम ने सोचा कि इस पर जरूर कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये और कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिये, वरना यह झगड़ा बढ़ता ही जायेगा । किसी प्रकार की कमज़ोर कार्यवाही करने से हम न इधर के रहते न उधर के और हम इस मामले में और भी अधिक उलझन में पड़ जाते । इसलिये यह जरूरी था कि कुछ प्रभावशाली कदम उठाये जायें । यह कार्यवाही इस बीच के समय के लिये करना ज़रूरी था जब तक बनारस विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते और विश्वविद्यालय को दृढ़ आधार पर खड़ा नहीं कर दिया जाता ।

तब एक अध्यादेश जारी करने का प्रश्न उठा । हम ने इस बात को सोचा कि सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श समाप्त करने के एक मास बाद विश्वविद्यालय खुलने वाला था और उस के एक महीने बाद लोक-सभा समवेत होने वाली थी । इसलिये हमारे सामने यह सवाल पैदा हुआ कि क्या इस मामले को दो महीने तक मुलतवी करना उचित होगा । खास कर जबकि लोगों को पहले से यह मालूम हो चुका था कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। ज्यों ही लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में पता लगा वैसे ही विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों में इस समिति के विरुद्ध एक आन्दोलन उठने लगा । उन्होंने इस समिति के सदस्यों की निन्दा करनी शुरू कर दी, उस की रिपोर्ट का गलत कहना शुरू कर दिया और समिति के सदस्यों के विरुद्ध विद्वेष फैलाना शुरू कर दिया । ऐसा लगने लगा जैसे कि वे मानो किसी संग्राम की तैयारी कर रहे हों । उन्हों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उन के ऊपर ज़बरदस्ती दूसरे लोगों को थोपा जा रहा है और उन के मामलों में बाहर से हस्तक्षेप किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में हम दो महीने तक कैसे प्रतीक्षा कर सकते थे । हम विश्वविद्यालय को ऐसी स्थिति में कैसे खुलने दे सकते थे । क्योंकि उस से विश्वविद्यालय में संघर्ष की लहर दौड़ ज़ाती और लड़कों की पढ़ाई पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने का डर था । ऐसी दशा में विश्वविद्यालय की स्थिति और भी विषैली हो जाती तथा बदतर हो जाती । इसलिये हम दो महीने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । क्योंकि यह नामुमकिन था । यह किसी भी हालत में अच्छा नहीं समझा जाता इसलिये हम ने सोचा . . . .

†**पंडित गोविंद मालवीय** : श्रीमान्, मुझे बीच में बोलने के लिये क्षमा करें । किन्तु उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थीं । उस समय विश्वविद्यालय में कोई व्यक्ति नहीं था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं भी तो यही कह रहा हूं । मुझे सब हालात मालूम हैं । हां, तो उस समय छुट्टियां थीं । हम यह चाहते थे कि छुट्टियों के खत्म होने से पहले कुछ कार्यवाही करनी चाहिये । क्योंकि अगर हमारे कुछ करने से पहले छुट्टियां समाप्त हो जाती तो हम जो कुछ भी करने की तैयारी कर रहे थे वह सब कुछ धरा रह जाता । तब वातावरण और भी भयानक बन जाता और स्थिति को सम्भालना और दुस्तर हो जाता । यह कदम हम ने खूब सोच विचार कर और बहुत बड़े बड़े गण-मान्य शिक्षाविदों से परामर्श करने के बाद उठाया है । हम इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देख कर एक शिक्षा-समस्या के रूप में हल करना चाहते थे । हम इसे शिक्षा के स्तर पर ही हल करना चाहते थे । हमें यह परामर्श दिया गया बल्कि यों कहिये कि हम को जोर दिया गया कि हमें जरूर ही कोई कार्यवाही करनी चाहिये और जो कुछ भी करना हो वह गर्मियों की छुट्टियों की समाप्ति से पहले करना चाहिये हम से कहा गया कि हमें जो कुछ भी करना हो शीघ्र कर देना चाहिये । हम ने इस को मान लिया । तब हम ने सारी स्थिति को ठीक बनाये रखने के लिये यह अध्यादेश जारी किया । हमने यह अध्यादेश इसलिये जारी किया ताकि जब यह सभा सारी स्थिति पर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विचार करे तब मामला कुछ स्पष्ट हो जाये और सभा तथा विश्वविद्यालय दोनों कुछ ठोस कदम उठाने के लिये तैयार हो सकें।

मैं इस सभा को अध्यादेश जारी करने के कारण बता रहा हूं। मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि हमारे सामने कोई और चारा नहीं था। मगर मैं यह महसूस करता हूं कि अगर हम ऐसा कदम न उठाते तो हमें एक बड़े भारी जोखिम का सामना करना पड़ता और संभवतः स्थिति और भी बिगड़ जाती। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार ने "नौकरशाही" ढंग से विश्वविद्यालय पर अपनी बातें थोपने का एक बहाना ढूंढ़ निकाला है।

तो खैर हम यहां तक पहुंचे और हम ने एक अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश समिति की सिफारिशों से कुछ कम कठोर था। किन्तु अधिकांशतः यह अध्यादेश समिति के सुझावों के अनुकूल ही था। इस तरह अब यह मामला इस सभा के सामने आया है।

मैं समझता हूं समिति की नियुक्ति के पश्चात् तथा उस की रिपोर्ट के बाद सरकार ने जो कुछ किया है, उस से भिन्न और कोई अच्छा कदम वह नहीं उठा सकती थी। अब प्रवर समिति ने अध्यादेश में थोड़े बहुत संशोधन कर दिये हैं। इन को छोड़ दीजिये। मूल रूप से सरकार ने जो कुछ किया है उस के अलावा वह क्या कर सकती थी। समिति बना चुकने और उस की रिपोर्ट आ जाने के बाद इस के अलावा कुछ और कदम उठाना सरकार के लिये नामुमकिन था।

आप कह सकते हैं हमें यह समिति ही नहीं नियुक्त करनी चाहिये थी। हमें कोई और तरीका अपनाना चाहिये था। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि हम और कौन सा तरीका अख्तयार कर सकते थे जब कि इतने गणमान्य उपकुलपति बार बार प्रयत्न करने पर भी असफलता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं प्राप्त कर सके। इसलिये समिति के नियुक्त करने के बाद अगले कदम हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं रहे। हम समिति की सिफारिशों को खटाई में नहीं डाल सकते थे। क्योंकि इस से केवल बनारस विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि सारी विश्वविद्यालय शिक्षा को बड़ी हानि पहुंच सकती थी। इसलिये हमें मजबूर हो कर यह कदम उठाने पड़े। अब जब यह विषय सभा के सामने आया है तो क्या यहां यह कहा जा सकता है कि यह सब गलत किया गया है और हम इस को बिल्कुल पसन्द नहीं करते; इस अध्यादेश को खत्म कर दो आदि। लेकिन ऐसा करने के साथ आप हिन्दू विश्वविद्यालय को भी खत्म कर देंगे। आज हमारे सामने यह स्थिति है। हमारे मन में इस संस्था के प्रति बड़ा आदर सत्कार तथा सद्भावना है। हम इस संस्था के प्रति कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हम कभी यह खतरा मोल नहीं ले सकते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर पिछले कुछ वर्षों में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। इस के लिये आप चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी भी सरकार को दोषी ठहरायें। किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज जिस स्थिति का सामना हमें करना पड़ा उस स्थिति में हमारे लिये एक समिति या आयोग की नियुक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं था।

श्री अशोक मेहता ने विद्यार्थियों के किसी राजनीतिक दल अथवा आन्दोलन में सम्मिलित होने के बारे में कहा। मैं यह नहीं कहता कि विद्यार्थियों को राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक प्रश्नों पर बिल्कुल ही विचार नहीं करना चाहिये। ऐसा कहना मूर्खता होगी। मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता। किन्तु यह बात बहुत बुरी है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में दलगत आधार पर काम करें और इस प्रकार केवल अपने को ही नहीं बल्कि अपनी संस्था को भी नुकसान पहुंचायें।

कुछ वक्ताओं ने वर्तमान उपकुलपति की आलोचना की और यह कहा है चाहे उन्हों ने अच्छा काम किया हो अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये । मेरा उन सदस्यों से यह निवेदन है कि वे यह कल्पना करने का कष्ट करें कि वर्तमान उपकुलपति को किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है । उन्हें पिछले महीनों में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है जिन से निराश हो कर उन के अनेक पूर्ववर्ती उपकुलपति चले गये । किन्तु वर्तमान उपकुलपति ने उन सब का साहसपूर्वक सामना किया । उस के बदले में सब गालियां सहन कीं । मैं उन के इस साहस और धैर्य की प्रशंसा करता हूं ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्योंकि उन के पास और कोई कार्य नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि वह स्वयं भी वहां रहने के ज्यादा इच्छुक नहीं । वर्तमान स्थिति में कोई भी व्यक्ति वहां पर काम नहीं करना चाहता । जो भी कोई वहां जायेगा उसे कुछ समय के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । हमारे कहने पर ही वह वहां ठहरे हुए हैं । उन्हों ने हमें कई बार कहा है कि वह वहां पर पद के लालच से नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें वहां पर रहने में अनेक कठिनाइयां हैं । उन्हों ने यह भी कहा है कि उन की एकमात्र इच्छा यही है कि विश्वविद्यालय खब उन्नति करे तथा फले फूले । यदि उन के वहां रहने से विश्वविद्यालय की समुन्नति में किसी प्रकार का अन्तर पड़ता हो तब विश्वविद्यालय के हित तथा भविष्य का ही अधिक ध्यान रखा जाये । अगर उन के रहने से वातावरण के सुधरने की आशा हो तभी उन्हें वहां रखा जाये । उन्हों ने ये सब बातें बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने रखी हैं । हम ने उन को बताया है कि हम उन की भावनाओं की सराहना करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम जिस समय तक हम अर्थात् संसद् इस विधेयक आदि पर विचार करे तब तक वह अवश्य वहां बने रहें । हम यह भावना नहीं फैलने देना चाहते कि वह विश्वविद्यालय के कुछ गन्दे लोगों के दबाव के कारण मजबूर हो कर सेवानिवृत्त हुए हैं । हम ने उन को यह आश्वासन दिया है कि इस विधेयक आदि पर विचार कर लेने के पश्चात् हम उन की बातों पर विचार करेंगे । और अगर यह मुनासिब समझा गया तो आप तब सेवा निवृत्त हो सकते हैं । तो वर्तमान उपकुलपति के बारे में यह स्थिति है ।

एक माननीय सदस्य--शायद श्री अशोक मेहता ने यह सुझाव दिया है कि संसद् सदस्यों को विश्वविद्यालय का दौरा करना चाहिये । संसद् सदस्यों को कहीं भी जाने की स्वतन्त्रता है । किन्तु मैं समझता हूं उन्हें तभी वहां पर जाना चाहिये जब कि स्थिति कुछ सुधर जाये तथा वातावरण शान्त हो जाये अन्यथा वे वहां की आन्तरिक समस्याओं में उलझ जायेंगे और उन के दौरे से कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये उन्हें किसी उचित समय पर अर्थात् इस विधेयक के पास हो जाने के बाद ही वहां पर जाना चाहिये ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : मुझे यह बताया गया है कि वहां पर राजनीतिक कारणों से गड़बड़ी पदा हुई है और इस में कई राजनीतिक दलों का हाथ है । इसलिये मेरा विचार था कि यदि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों का एक शिष्टमंडल इस समय वहां पर जाता तो शायद स्थिति में कुछ सुधार हो जाता ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : खैर कुछ भी हो । माननीय सदस्य कभी भी वहां पर जा सकते हैं । उन के मार्ग में कोई बाधा नहीं है । मैं केवल यह सुझाव रख रहा था कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वे इस विधेयक के पास होने के बाद वहाँ जायें । केवल कुछ ही दिनों की बात है । इसके बाद वे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

वहां पर कभी भी जा सकते हैं। किन्तु अगर वे वहां पर अभी जाना चाहें तो मुझे इस में भी कुछ एतराज नहीं है।

श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य सिद्धान्तों को तथा इस मामले के इतिहास दोनों को देखते हुए, और विशेषकर पिछले कुछ समय की घटनाओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि हमारे सामने इस के अलावा कोई और मार्ग नहीं रह गया है कि हम स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करें ताकि हम इस विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा कर सकें। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति हम को कैसे यह सलाह दे सकता है कि हमें कोई और तरीका अपनाना चाहिये अथवा इस विधेयक का विरोध करना चाहिये।

†**डा० सुब्बरायन** (तिरूचेंगोड) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ के प्रधान ने मुझे बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में जो उल्लेख किया गया है उस से मामला बहुत बिगड़ गया है। वास्तव में समिति का इरादा इस सम्बन्ध में कोई अनुचित टिप्पणी करने का नहीं था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्थान पर "कुछ वर्गों" का प्रयोग किया जा सकता था। वास्तव में तात्पर्य यही था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो छात्र वर्ग को भड़काते रहते हैं। सारे विद्यार्थी समुदाय की निन्दा करने का हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं था। इस विश्वविद्यालय ने बहुत ही अच्छे अच्छे लोग पैदा किये हैं और लगभग १० हजार छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन में सभी तो बुरे नहीं हो सकते। बहुत से अच्छे विद्यार्थी भी हैं। हमारा इरादा सम्पूर्ण विद्यार्थी समुदाय को बुरा कहने का नहीं था। पर यह सच है कि वहां की स्थिति खराब थी। इस रोग का उपचार करने का सुझाव देते हुए यह तो कहना ही पड़ता है कि जो लोग इस के लिये जिम्मेदार हैं इन से विश्वविद्यालय को छुटकारा दिलाया जाये।

इस विचार से ही छानबीन समिति बनाने का सुझाव दिया गया और चूंकि यह नाम बहुत अच्छा नहीं था अतः उसे बदल कर पुनरीक्षण समिति कर दिया गया। इसमें ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस कार्य को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो विद्यार्थी मुझे मिला था उस ने मुझे यह भी बताया कि समिति के प्रतिवेदन को ले कर लोग आन्दोलन भड़का रहे हैं। उसने यह भी बताया कि केवल ५, ६ सौ छात्र ही ऐसे हैं, जिन्हें आन्दोलन का भूत सवार है अन्यथा बाकी लोग अपना मन अपनी शिक्षा में लगाना चाहते हैं। वहां शान्ति लाने का एक ही ढंग है कि पुनरीक्षण समिति पूरी छानबीन करके विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों को निकाले जो इस शरारत की जड़ हैं। इस मामले में शिक्षामंत्री के अतिरिक्त प्रधान मंत्री और श्री अशोक मेहता ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई है जिस के लिये हम उन के आभारी हैं

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि भारत भर में जितनी राष्ट्रीय सेवा इस विश्वविद्यालय ने की है उतनी किसी अन्य विश्वविद्यालय ने नहीं की है। इस से अच्छी व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिली। आज वहां के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? इस विश्वविद्यालय की स्थापना स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और १९२१, १९३१ और १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में इस के छात्रों ने बड़ा शानदार भाग लिया। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की सफलता का श्रेय इसी विश्वविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों को है। आज हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वे खतरनाक आदमी हैं और उन की छानबीन वे-लोग करेंगे जो कि ब्रिटिश सरकार की जूतियां चाटा करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, डा० राधाकृष्णन् और आचार्य नरेन्द्र देव जैसे लोग इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रह चुके

†मूल अंग्रेजी में

हैं। आज क्या स्थिति है ? आपने एक पुराने सरकारी कर्मचारी श्री झा को उपकुलपति बना दिया है। उपरोक्त महानुभावों से उन की क्या तुलना हो सकती है। उस की एक ही योग्यता है कि उन के पिता वर्तमान शिक्षा मंत्री के अध्यापक थे। कार्यकारिणी की इच्छाओं के विरुद्ध उन्हें विश्वविद्यालय पर थोपा गया है परिवार पोषण का इस से बड़ा उदाहरण भी कोई दिया जा सकता है। इन्हीं के भाई को गोरखपुर विश्वविद्यालय का उपकुलपति बना दिया गया है। वहां भी इन्हों ने तबाही मचा रखी है। वहां ३००० छात्रों ने उन के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रोग का उपचार यह विधेयक नहीं है बल्कि यह है कि वर्तमान उपकुलपति को वहां से तुरन्त हटा दिया जाये। उन के लि विश्व-विद्यालय की स्वतन्त्रता को नष्ट किया जा रहा है। पंडित मालवीय जी के समय विधान रद्द कर के, जिस के अन्तर्गत की बहुत ही सुन्दर व्यवस्था है, अध्यादेश लागू कर दिया गया। क्या इस से अधिक कोई और लज्जाजनक बात हो सकती है ? मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय किसी सुयोग्य व्यक्ति के हाथों में देना चाहिये। आखिर इस विधेयक में है क्या? उपकुलपति को विश्वविद्यालय का तानाशाह बना दिया गया है। छानबीन अथवा पुनरीक्षण समितियां बनाइ जा रही हैं, यह प्राध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश करेंगी। परन्तु मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि एक भी प्राध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई तो तमाम देहातों में आग लग जायेगी।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उसे हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हम शिक्षा मंत्री द्वारा परिवार-पोषण का रवैया बहुत अधिक समय तक सहन नहीं कर सकते। यदि सरकार ने मेरी चेतावनी की उपेक्षा की, तो उसे खतरों का सामना करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस अलोक-तन्त्रीय विधान को रद्द कर दे।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर के काफी अच्छा पग उठाया गया था।

प्रवर समिति के आने के बाद विधेयक में काफी सुधार हो गया है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्टों में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है जिस से सरकार के पक्ष का समर्थन होता है। बड़े बड़े लोगों के अतिरिक्त बनारस की जनता ने भी यही कहा है कि छात्र जो कुछ कर रहे हैं, वह उचित नहीं, और इस से अन्तिम रूप में उन्हीं के हितों को हानि पहुंच सकती है। इन सब से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुदालियर समिति की सिफारिशें ठीक ही हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की उच्च स्थिति से कोई भी भारतीय इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु देखना तो यह है कि आज वहां क्या अवस्था उत्पन्न हो गयी है, और उस के लिये कौन उत्तरदायी है ? मेरा मत यह है कि सात आठ वर्षों से वहां जो कुछ चल रहा है, उस के लिये अध्यापक तथा प्राध्यापक ही उत्तरदायी हैं। विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है। क्या स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि गड़बड़ और अव्यवस्था। सरकार को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उस ने ठीक समय पर अपेक्षित कार्यवाही करने का निर्णय किया। विश्वविद्यालय के बहुत से दोष हैं, और उन्हें दूर करने के लिये कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। नर्म कार्यवाही से तो मामला हल नहीं हो सकता। यह भी अच्छा है कि विधेयक में समुचित परिवर्तन कर दिये गये हैं और आशा की जा सकती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का समुचित अवसर दिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

श्री अशोक मेहता का यह सुझाव ठीक ही है कि वहां संसद् सदस्यों का शिष्ट मंडल जाना चाहिये, परन्तु उस में कठिनाई यह है कि विश्वविद्यालय के मामले में अवांछनीय रूप से राजनीति घुस आयेगी जो कि इस अवसर पर ठीक बात नहीं होगी। मेरा सुझाव यह है कि प्रधान मंत्री को इस संसद् के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के अध्यापकों प्राध्यापकों तथा छात्रों से यह अपील करनी चाहिये कि वे कार्यकारिणी समिति, कोर्ट तथा पुनरीक्षण समिति से सहयोग करें ताकि स्थिति का कोई हल ढूंढ़ा जा सके। साथ ही छानबीन के कार्य के समय उन्हें अपना व्यवहार भी ठीक रखना चाहिये। अन्त में मेरा यह सुझाव भी है कि विश्वविद्यालय कोर्ट में संसद् सदस्यों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जानी चाहिये। यह संख्या दोगुणी होनी चाहिये और सदस्यों का चुनाव होना चाहिये।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : प्रधान मंत्री ने वाद विवाद में भाग ले कर अपने विचार प्रकट किये हैं। उस से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो विधेयक स्वीकार करो अथवा हिन्दू विश्वविद्यालय को समाप्त कर दो। मेरी राय तो यही है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोनों को समाप्त कर दिया जाये तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आज कल साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विरुद्ध बहुत ही गम्भीर शिकायतें सुनने में आई हैं। क्या उस के मामलों में जांच करने का साहस शिक्षा मंत्री कर सकते हैं? मैं तो साम्प्रदायिक विश्वविद्यालयों के ही विरुद्ध हूं।

मैं चाहता हूं कि वहां के हालात सुधरें और वहां स्थिति सामान्य हो जाये। परन्तु इस विधेयक में वह तत्व नहीं है, जिस से वहां की स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसी कारण हम ने अपनी विमति टिप्पण प्रस्तुत की थी। ऐसे मामलों में मतभेद होना बड़ा स्वाभाविक है, परन्तु शिक्षा मंत्री इस का और ही अर्थ निकाल कर हम पर दलबन्दी का आरोप लगा रहे हैं। मेरे विचार से विश्वविद्यालय में जो खिचाव पाया जाता है, वह इस विधेयक से दूर नहीं होगा। आज तो वहां छात्रों की संख्या भी १० हजार के लगभग हो गयी है। इस से समस्यायें भी बढ़ गयी हैं। आज के आन्दोलन का वास्तविक कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की गरीबी है, जिस से कई एक योग्य विद्यार्थियों को समुचित स्थान नहीं मिलता। परिणामस्वरूप वे राजनीतिक आन्दोलनों का शिकार हो जाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि वे ऐसे आन्दोलन करें ताकि उन की मौलिक समस्याओं को हल करने के लिये आप को बाध्य किया जा सके। सरकार को यह निर्णय करना होगा कि इस विश्वविद्यालय को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना है अथवा नहीं।

मेरा मत है कि पुनरीक्षण समिति को तानाशाही अधिकार दे देने से मामला हल नहीं होगा। आन्दोलन में भाग लेने वाले छात्रों और प्राध्यापकों को किसी प्रकार भी तंग अथवा परेशान नहीं किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय से यह अपील है कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिस से इस विधेयक की अवधि एक साल से अधिक न रहे।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं और इस पर मुझे बड़ा नाज है। मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को भारत मां की दो आंखें मानता हूं। इन दोनों को खतरों से बचाना हमारा कर्तव्य है। हमें पता है कि कुछ समय से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हालात ठीक नहीं हैं। अच्छा ही है कि सरकार ने समय पर अपेक्षित कार्यवाही कर दी है और इस के लिये उन्हें मुबारकबाद दी जानी चाहिये। यद्यपि मैं यह अनुभव करता हूं कि यह कार्यवाही बहुत पहले होनी चाहिये थी। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धक्का न लगे।

†मूल अंग्रेजी में

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरा सुझाव है कि सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। परन्तु मेरा मत है कि कुछ गरीब अध्यापकों अथवा प्राध्यापकों को निकालने मात्र से यह काम नहीं हो सकेगा। हमें सारे विश्वविद्यालय के प्रशासन में ही परिवर्तन करना चाहिये। मुदालियर समिति के प्रतिवेदन में भी वर्तमान प्राधिकार को भंग करने की सिफारिश की गयी थी। उपकुलपति तथा अन्य बड़े प्राधिकारियों को भी हटा दिया जाना चाहिये।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** : प्रधान मन्त्री की बातों से यही प्रकट होता है कि इस विधेयक के अतिरिक्त इस रोग का और कोई इलाज नहीं है। शिक्षा मंत्री महोदय और श्री माथुर ने मेरे सम्बन्ध में कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं जो कि निराधार हैं और उनमें सविस्तार जाने का समय नहीं है। इस समय हमें यह सोचना चाहिए हम इस संस्था का किस प्रकार कल्याण कर सकते हैं।

समिति के प्रतिवेदन में जो भी आरोप लगाये हैं, उन सब को गलत सिद्ध किया जा सकता है। गलत तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

जहां तक दलबन्दी का प्रश्न है, आज कोई ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां पर दलबन्दी न हो? वहां दो नहीं चार दल हैं, और मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से उस दलबन्दी को दूर नहीं किया जा सकेगा। यदि सरकार चाहती कि यह रोग दूर हो तो उसे उचित कदम उठाना होगा। अनुशासनहीनता भी इस विश्वविद्यालय के लिए कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि सभी ओर देश भर की शिक्षा संस्थाओं में यह अनुशासनहीनता आज दिखाई दे रही है। मैं इसका समर्थन नहीं करता और इसे दूर करने के लिए उठाए गये सरकार के कदमों का समर्थन करूंगा, परन्तु मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं के आधार पर आप सारी संस्थाओं को तो बदनाम नहीं कर सकते और न यह उचित ही है। आप छात्रों की अनुशासनहीनता की बात करते हैं, आज तो सारे समाज में ही अनुशासनहीनता का बोल-बाला है। राजनीतिज्ञ, वकील, डाक्टर, उद्योगपति, नौकर और व्यापारी कोई भी तो इससे बचा नहीं है। मेरा मत है कि इसे दबा कर नहीं रोका जा सकता। इसके लिये अन्य साधन निकाले जाने चाहिएं।

मेरे पत्र का उल्लेख किया गया है, मैंने अपने किसी भी पत्र में हस्तक्षेप करने की बात का उल्लेख नहीं किया है। विश्वविद्यालय के कोर्ट ने मुझे पुनः उपकुलपति चुना परन्तु सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी। मैंने शिकायत नहीं की। परन्तु सरकारी हस्तक्षेप के पश्चात् मामला दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही गया। आचार्य नरेन्द्र देव ने भी कहा था कि यदि सरकारी प्रतिनिधियों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन न किया तो वह उपकुलपति के पद से त्यागपत्र दे देंगे। और बड़े बड़े लोगों ने भी इसी प्रकार के मत व्यक्त किये थे।

छात्रों ने आन्दोलन इसलिये नहीं किया कि वे अधिक स्थान चाहते थे, परन्तु बात यह है कि उनके स्थान कम किये जा रहे थे। इन सारे मामलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थायें बड़ी पवित्र वस्तु हैं। ब्रिटिश सरकार के समय में भी दो बार इस विश्वविद्यालय को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था। एक बार तो मामला ऐसे ही समाप्त हो गया था केवल उच्च उपकुलपति को बदल दिया गया था। परन्तु १९४२ में जब स्वतन्त्रता आन्दोलन में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो प्रधान सेनापति इस संस्था का समूल नाश कर देना चाहते थे, परन्तु बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह ने भारत के सम्राट् जार्ज को लिख कर इसे रुकवाया। वाइसराय का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं समझी गयी थी। यह है इस संस्था की परम्परा।

---

† मूल अंग्रेजी में

[पंडित गोविन्द मालवीय]

मैं यह नहीं कहता कि खराबी नहीं है, परन्तु जिस ढंग से शिक्षा संस्थाओं में हस्तक्षेप किया गया उससे अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। प्रधान मन्त्री, शिक्षा मंत्री और सरकार को ठंडे दिल से इस पर विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरी अपील पर कुछ ध्यान दिया जायेगा और इस महान् संस्था को समाप्त होने से बचाया जायेगा।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : श्रीमान् प्रधान मन्त्री द्वारा अपने विचार प्रकट किये जाने के पश्चात्, मैं अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता हूं। उन्होंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। इसलिए प्रधान मन्त्री द्वारा बताई गई बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सभा का आभारी हूं कि उसने विधेयक का सामान्यतः समर्थन किया है। इसको सभी सदस्यों ने माना है कि विश्वविद्यालय की हालत कुछ समय से अच्छी नहीं रही है और कई वर्षों से वहां पर ऐसा वातावरण बना रहा है जो अध्ययन के लिए बहुत दूषित है।

मेरी यही इच्छा है तथा मैं आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में अपना एक स्थान बना लेगा। मेरी यह भी इच्छा है कि यह विश्वविद्यालय नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के समान हमारी पुरातन मर्यादा को अक्षुण बनायेगा। इसीलिये मुझे इसकी वर्तमान दशा को देख कर खेद होता है।

मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने जो सुझाव दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि यदि सभी राजनीतिक दलों के नेता आपस में एक समझौता कर लें कि विद्यार्थियों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं भड़कायेंगे तो शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में होने वाली यह सभी गड़बड़ें समाप्त हो जायें। मैं यह नहीं कहता कि विद्यार्थियों को राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। अध्यापकों तथा नेताओं का कर्त्तव्य है कि वह इसका ध्यान रखें कि विद्यार्थी किसी के हाथ की कठपुतली न बनें। भूतकाल में राजनीतिक दल उनको भड़काते रहे हैं जिसके फलस्वरूप हमारे बहुत से विश्वविद्यालयों में आज अध्ययन को कोई महत्व ही नहीं रहा है। मैं अपने मित्र श्री अशोक मेहता तथा अन्य सदस्यों से जो विश्वविद्यालयों के कल्याण में रुचि रखते हों, बातचीत करने को तैयार हूं। यदि आप ऐसी कोई योजना बना सकें जिससे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा सभी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए उचित वातावरण उत्पन्न हो सके तो मुझ को बड़ी प्रसन्नता होगी। परन्तु हमारे भूतकाल के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। कुछ समय पूर्व प्रयत्न किए गए थे कि विद्यार्थियों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया जाये तथा सभी राजनीतिक नेताओं, प्रतिष्ठित नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया था कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन की राजनीति से दूर रहना चाहिए। यह आशा की गई थी कि इस संगठन के द्वारा हम सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रीय पुनरुत्थान में लगा सकेंगे।

सभा जानती है कि राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ का क्या हुआ। यद्यपि मुझे आशा नहीं है कि हमारे प्रयत्न सफल हो जायेंगे लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों को अपना पूर्ण सहयोग देने को तैयार हूं जो इस प्रश्न को इस नई भावना से हल करने का प्रयत्न कर सकते हों यदि हम विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रख सकें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर जो संकट आया हुआ है वह टल जायेगा।

कुछ सदस्यों ने संसद् सदस्यों के कोर्ट में नाम निर्देशन पर आपत्ति उठाई। मैं कल बता चुका हूं कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि सभा सदस्यों का चुनाव करे। परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति ने उन्हीं सदस्यों का

---

†मूल अंग्रेजी में

नाम निर्देशन किया है जिनका यह दोनों सभायें चुनाव करतीं। प्रवर समिति ने इस पर विचार किया था और यह निर्णय किया था कि क्योंकि यह सभी सदस्य कोर्ट तथा कार्यपालिका परिषद् के लिए नाम-निर्देशित किये गये हैं इसलिए इन सबको कोर्ट से ही रखा जाये। परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि यह अस्थायी विधेयक है और सभा पुनरीक्षित तथा विशाल विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के समय जो प्रक्रिया चाहें उसमें निहित कर दें। इसलिये मेरा अनुरोध है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ही विधेयक को पारित कर दिया जाये।

कोर्ट में संसद् सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि उपकुलपति तथा सहायक कुलपति समेत ५२ सदस्यों में इस समय १० सदस्य संसद् सदस्य ही हैं, मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त संख्या है क्योंकि हमें अन्य प्रतिनिधि भी इसमें रखने हैं।

मेरे मित्र श्री प्रभातकार ने सुझाव दिया कि मैं इसको स्पष्टतया बता दूं कि अध्यापकों का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा विधेयक में इन बातों के बारे में इतना उपबन्ध करने के बाद भी यह बात कही गई इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले भारत सरकार के महाअभ्यर्थी (सॉलिसिटर जनरल) इन मामलों की जांच करेंगे। उनके सन्तुष्ट हो जाने पर मामला पुनरीक्षण समिति को भेज दिया जायेगा। पुनरीक्षण समिति के सभापति कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे पुनरीक्षण समिति द्वारा मामले की जांच हो जाने के पश्चात् इसको कार्यपालिका समिति को भेज दिया जायेगा। कार्यपालिका समिति में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति तथा कुछ संसद् सदस्य होंगे। मैं नहीं समझता कि और कितनी सुरक्षा रखी जानी चाहिये। अभी तक अध्यापकों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया गया है। अध्यापकों को डरना नहीं चाहिए। हमें उन पर विश्वास है यह सभी विद्वान् हैं और इनको विजिटर ने नियुक्त किया है। और यदि हम इन लोगों से जिनको मैंने बताया है, न्याय की आशा नहीं करते तो विश्व में किसी से भी न्याय की आशा नहीं की जा सकती।

माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि हमें इस समस्या पर मनोवैज्ञानिक आधार पर विचार करना चाहिए। जहां तक मनोवैज्ञानिक आधार का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे प्रयत्न करें जिससे हमारे विद्यार्थियों में विधि तथा प्राधिकार के प्रति आदर भाव उत्पन्न हो यदि विद्यार्थी अपने अध्यापकों का और अध्यापक विश्वविद्यालय अथवा कालिज के प्राधिकारियों का आदर नहीं करेंगे तो समाज में स्थिरता नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिये तथा अध्यापकों को जानना चाहिए कि हम एक प्रजातन्त्रात्मक समाज में रह रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये जूझते समय अनशन, हड़ताल तथा जलूसों का कोई मूल्य हो सकता है। लेकिन मेरा यह निवेदन है और राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वे इसी समय उसका निर्णय करें कि अब शिक्षा संस्थाओं में हड़तालें नहीं होंगी, अनशन नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि समाज में तभी स्थिरता आयेगी तथा अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में उपयुक्त वातावरण तैयार होगा। विद्यार्थियों को अपनी मांगें उचित प्रकार से प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार होगा। परन्तु जिस प्रकार उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं मैं समझता हूं कि यह उचित पद्धति नहीं है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इस प्रकार की बातों पर रोक नहीं लगायेंगे तब तक हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा और हमारे विश्वविद्यालय छिन्न भिन्न हो जायेंगे।

अन्त में, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह तो केवल आरंभ है। हमारे सामने बड़ा कठिन काम है क्योंकि हमने अपने इस पुराने विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान करने की जिम्मेदारी ली है। इसकी महान् प्रतिष्ठा है। इसकी नींव देश के एक महान सपूत ने रखी थी। इसके बड़े ऊंचे आदर्श हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको अध्ययन का सर्वोत्तम केन्द्र बनायें और विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

इसको स्थान दिलायें। परन्तु इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, और मर्यादा बनाये रखने के लिये हमें सरकार को सभासदों, तथा जनता के सहयोग की आवश्यकता है। इसी भावना को लेकर मैंने इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम १९१५, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

खंड २ (धारा ९ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना)

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की धारा ९ के अनुसार विश्वविद्यालय के कोर्ट को पर्याप्त शक्तियां दी गई थीं लेकिन इस संशोधन विधेयक के पश्चात् कोर्ट केवल परामर्शदाता के रूप में रह जायेगा। खण्ड ७ के उपबन्धों के अनुसार उसमें केवल नाम निर्देशित व्यक्ति होंगें। वस्तुतः इससे तो यही अच्छा है कि कोर्ट को समाप्त कर दिया जाय। मेरे विचार से इससे स्थिति में सुधार होगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं अपने प्रारम्भ के भाषण में यह बता चुका हूं कि कोर्ट के कुछ विशेष कार्य हैं। वह कुलपति और वित्त समिति के सदस्यों का निर्वाचन करेगी। इस प्रकार यह केवल परामर्शदाता संस्था ही बन कर नहीं रह जायगी। यद्यपि मुदालियर समिति ने सिफारिश की है कि यह सारा अधिनियम ही रद्द कर दिया जाय तथापि कोर्ट ऐसी कठोर कार्यवाही नहीं करना चाहता है। वस्तुतः हमने किसी भी ऐसी शक्षणिक संस्था को समाप्त नहीं किया है। हमने उनकी कुछ शक्तियां और अधिकार अवश्य ले लिये हैं। कोर्ट के सभी सदस्य नाम निर्देशित होंगे अतः गुटबन्दी का कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा। अतः मैं संशोधन अस्वीकार करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन को मतदान के लिय रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ७ (संविधियों का संशोधन)

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्रभात कार** : मैं संशोधन संख्या ७, ८, ९, ११ और १९ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : मैं संशोधन संख्या १०, १२, १३, १६ और १७ प्रस्तुत करता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं अपने इन संशोधनों को पेश करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति से वापस आने के बाद इस बिल में सब से ज्यादा महत्व सिर्फ़ क्लाज़ ७ का रह जाता है। मेरी आशा थी कि आप की योग्य चेयरमैनशिप में प्रवर समिति ने जो कुछ काम किया, उस के बाद सदन में उन पुरानी बातों को नहीं दोहराया जायेगा, जो कि पहले मेरे प्रस्ताव पर और एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा पेश किए गए बिल पर वाद-विवाद के समय कही गई थीं, लेकिन मुझे दुख है कि उन पुरानी बातों को फिर लाया गया और उस का शुभारम्भ हमारे शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा किया गया और इसीलिए दूसरे माननीय सदस्यों को भी उन का उल्लेख करना पड़ा। मुझ इस बात का भी दुख है कि माननीय प्रधान मंत्री ने जब इस पर चर्चा की, तो उन्होंनें वह पुरानी बातें कहीं, जो उन्होंने पहले अपने भाषण में कही थीं । यदि हम विश्वविद्यालय के वातावरण को सही बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं---जैसा कि इस सदन में बार बार कहा गया है---कि विश्वविद्यालय अच्छी लाइन पर चलें, तो फिर उन पुरानी बातों को भुला दिया जाना चाहिए जो कि कमेटी की रिपोर्ट में कही गई हैं और जिन का उल्लेख कई माननीय सदस्यों ने किया था। मुझे अधिक अफ़सोस इसलिए है कि कुछ माननीय मित्रों ने फिर उत्तर प्रदेश और बाकी हिन्दुस्तान और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कही, जो कि नहीं कही जानी चाहिए थी। पहले ही यहां आंकड़े देकर बताया जा चुका है कि वे बातें सही नहीं थीं, इसलिए मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहूंगा कि ये बातें न कही जातीं, तो अच्छा था।

अब मैं अपने संशोधनों के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहिले मैं संशोधन संख्या ८ को लेता हूं ।

शिक्षा मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कहा है कि दस मेम्बर पहले से पार्लियामेंट के मौजूद हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट मेम्बर्ज़ (प्रिवेंशन आफ़ डिस्क्वालिफ़िकेशन्ज़) बिल जिस ज्वायंट कमेटी के सुपुर्द किया गया था, उस की राय थी कि पार्लियामेंट के किसी मेम्बर को स्पीकर या चेयरमैन भले ही मनोनीत कर दें, परन्तु सरकार का कोई आदमी उसे मनोनीत नहीं करेगा और अगर चुनाव किया जायेगा, तो वह सदन के ज़रिये होगा। यह होते हुए भी सरकार बराबर कहती चली जा रही है कि दस मेम्बर मौजूद हैं। दस मेम्बर मोजूद हैं, लेकिन उन में से सात ऐसे हैं, जिन को सरकार ने मनोनीत किया है। मेरे कहने की यह मंशा नहीं है कि अगर सरकार किसी मेम्बर को मनोनीत करती है, तो उस की निष्पक्षता नष्ट हो जाती है और वह सरकार के पक्ष का आदमी हो जाता है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के युग में हम इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी सदन में एक बिल आने वाला है, जिस में यह व्यवस्था की जायेगी कि कोई भी माननीय सदस्य सरकार द्वारा किसी बाडी में मनोनीत न किया जाय और अगर वह किया जाता है, तो उस को डिस्क्वालिफ़ाई किया जायेगा, तो फिर सरकार का यह कहना कि सात आठ मेम्बर पहले से मौजूद हैं, ठीक नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट के दस सदस्य पहले ही मौजूद हैं, उन की संख्या बढ़ा कर बारह कर दी जाय और उन में आठ सदस्य लोक-सभा के हों और चार सदस्य राज्य सभा के हों और उन लोगों का चुनाव यहां के माननीय सदस्य करें और वे किसी के द्वारा मनोनीत न हों। मैं किसी भी सूरत में यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उन को विज़िटर मनोनीत करे।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

विज़िटर के मायने हैं शिक्षा मंत्रालय, जिस ने कि यूनिवर्सिटी के मामले में इतना गड़बड़ घोटाला किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के मामलों को खराब करने की पूरी ज़िम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है।

हमारा शिक्षा मंत्रालय यह चाहे कि जिन आदमियों को वह नामिनेट करके भेजे उन्हीं पर विश्वास किया जाए तथा दूसरों पर न किया जाए तो यह मेरी समझ में बात नहीं आती है। वह कोई कितना ही बड़ा आदमी है या एक्स-चीफ जस्टिस है या जज है जिस पर विश्वास करने या विश्वास न करने की बात उठ सकती है ? इस तरह की दलीलें दे कर मैं समझता हूं मामले को और गड़बड़ाने की कोशिश की जा रही है। किसी पर आक्षेप करने के इरादे से मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। वहां जो वाइस-चांसलर हैं, उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अकेले विश्वाश से काम चलने वाला नहीं है। हमें देखना यह है कि जो कार्रवाई होती है उसका क्या परिणाम निकलता है। अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसका परिणाम गलत निकलता है तो उस सूरत में यह नहीं देखा जायेगा कि आपकी क्या नियत थी, बल्कि जो परिणाम निकला है, उसको देखा जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जितनी भी अब तक कार्रवाइयां की हैं उन सब के गलत परिणाम निकले हैं और निकल रहे हैं और आगे भी इसी तरह से गलत परिणाम निकलते रहेंगे। हम इस तरह के चक्कर में फंस रहे हैं, इस तरह के गड़बड़घोटालें में घुस रहे हैं, जिससे अच्छे परिणामों की आशा ही नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि आप मामले को सही तरीके से हल करना नहीं चाहते हैं। यह बात मैंने सिलैक्ट कमेटी में भी कही थी और अब फिर कहता हूं। अशोक मेहता साहब ने भी यही कहा कि हम चाहते हैं कि जो गड़बड़ी फैली हुई है, जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसका अन्त हो और उसका अन्त करने के लिए सिलैक्ट कमेटी के मैम्बरान अपने असर व रसूख से काम लें और वहां जा करके उसको दूर करें। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा मंत्री जी के विरोध के कारण ही तथा उनके यह कहने के कारण कि इससे हालत और खराब हो सकती है, इसको अमल में नहीं लाया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे अशोक मेहता साहब के साथ बैठ करके यह तय कर सकते थे कि कौन लोग वहां जायें तथा क्या क्या करें। लेकिन जिन लोगों की इच्छा ही यह हो कि सीधे सादे मामले को उलझा दिया जाए तथा दूसरे लोगों की नियत पर शक किया जाए तो मामला कैसे सीधा हो सकता है। जब आप दूसरों की नियत पर शक करते हैं तो आपकी नियत पर कौन शक नहीं करेगा ? आप यूनिवर्सिटी के मामले को सही नहीं करना चाहते हैं। आप बार बार यहां पर लोगों पर आक्षेप करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के नाम बतलायें जिन्होंने कोई अनुचित कार्य किया है। जब से सिलैक्ट कमेटी बनी थी उस वक्त से मेरे पास कोई ५० के करीब तार आये थे, बनारस से, विद्यार्थियों की तरफ से तथा दूसरे लोगों की तरफ से जिनमें मुझ से कहा गया था कि मैं वहां पर जाऊं लेकिन मैंने वहां जाने से इंकार कर दिया और यही सोच कर इंकार किया कि मामला कहीं खराब न हो जाए। हम चाहते हैं कि बनारस विश्वविद्यालय में कोई इस तरह की बातें न हों जिससे उस यूनिवर्सिटी के हितों को नुकसान पहुंचे। फिर भी बार बार आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि कुछ लोगों ने गलत कार्य किये हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों का इसमें हिस्सा है। और इस सम्बन्ध में कभी आप सोशलिस्ट पार्टी का नाम ले देते हैं, कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का तथा कभी कम्युनिस्ट पार्टी का। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं ? इसके क्या माइने हैं ? मैं चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री महोदय बतलायें कि कौन वे लोग हैं जिन्होंने कोई अनुचित कार्य किये हैं तथा कौनसी वे पार्टियां हैं जिन्होंने इस तरह की कार्यवाहियों में हिस्सा लिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब से आर्डिनेंस पास हुआ है और खास तौर पर जब से यह बिल सिलैक्ट कमेटी के पास गया है किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी महत्वपूर्ण नेता ने जाकर यूनिवर्सिटी कैम्पस में विद्यार्थियों को

नहीं भड़काया है। इतना होने पर भी यह कहा जाय कि विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा लेते हैं दूसरे लोगों को बदनाम किया जाय या कहा जाय कि विद्यार्थियों के फलां फलां चाचा ने फलां फलां बाबा ने यह यह कार्य किये हैं विद्यार्थियों का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं शोभा नहीं देता है। इस तरह की बातें करना मुल्क के निर्माण में शिक्षा संस्थाओं को निष्पक्ष रखने में, नवयुवकों को चरित्रवान् बनाने में बाधक ही हो सकता है। आप कहते हैं कि दृष्टिकोण में पिरिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि अगर किसी के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये तो आपका ही वह दृष्टिकोण है जिसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते थे कि जो दूसरे सदस्यों ने हवाला दिया है, उन्होंने वैसा करके गलत किया है। वही गलती अब माननीय सदस्य कर रहे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं यह बातें कहने पर मजबूर हो गया क्योंकि बार बार यहां पर इस तरह की बातें कही गई हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय उन व्यक्तियों तथा उन संस्थाओं के नाम बतलायें जो इससे नाजायज़ फायदा उठाना चाहते हैं।

यहां पर यह रखा गया है कि दस मैम्बर पार्लियामेंट के होंगे। मैं चाहता हूं कि दस के बजाय बारह कर दिया जाये और इन का चुनाव हो और वह यह सदन करे। यह उचित नहीं है कि सात मैम्बरान पार्लियामेंट को शिक्षा मंत्री महोदय विज़िटर के नाम पर नामिनेट करें। इस में नियम की बात नहीं है, यह एक परम्परा की बात है। अगर इन को यह सदन नहीं चुनता है तो एक अच्छी परम्परा नहीं पड़ सकती है। आप जानते ही हैं कि सिलैक्ट कमेटी में बैठ कर इस पर चर्चा हो चुकी है और वहां पर भी कहा जा चुका है कि इन को सरकार द्वारा मनोनीत न कर के पार्लियामेंट को मौका दिया जाये कि वह इन का चुनाव करे।

सफा ३, लाइन २३ में विज़िटर महोदय को अधिकार दिया गया है कि वह इस क्लाज़ के अन्तर्गत २९ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इस के बजाय मैं चाहता हूं कि वह केवल २० सदस्य ही नामिनेट करें। इस का उद्देश्य मेरा यह है कि पार्लियामेंट के मैम्बरों को विज़िटर द्वारा मनोनीत न किया जाये। जब हम यह चाहते हैं कि सदन द्वारा उन का चुनाव हो तो यह उचित ही है कि कहीं उन की संख्या न बढ़ जाये, इसलिये २९ के बजाय मैं ने चाहा है कि इस संख्या को २० कर दिया जाये।

इस के बाद मैं ने अपनी अमेंडमेंट नम्बर १० में यह चाहा है कि जो २९ मैम्बर नामिनेट करने का अधिकार विज़िटर को दिया जाये और जिस के बजाय मैं ने २० मैम्बर मनोनीत करने का सुझाव दिया है, उन में भी कोई ऐसा व्यक्ति नामिनेट न हो जो पार्लियामेंट का मैम्बर हो। मेरी मंशा यह है कि पार्लियामेंट के मैम्बरों को अधिक प्रतिनिधित्व न मिले क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई इस तरह की भावना नहीं फैलनी चाहिये कि पार्लियामेंट के मैम्बर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इन २० मैम्बरों में से कोई भी मैम्बर पार्लियामेंट न हो।

सफा ३ की लाइन २८ में मेरी जो अमेंडमेंट है वह कंसिक्वैंशल है। इस में मैं ने चाहा है कि अगर कोरम की ज़रूरत पड़े तो १७ की बजाय १८ कर दिया जाये।

सफा ५ और सफा ६ में मैं यह चाहता हूं कि लाइंस ८ से ३९ और १ से २० तक बिल्कुल हटा दी जायें। आप देखेंगे कि यह सम्बन्ध रखता है तथाकथित स्क्रीनिंग कमेटी से जिस का नाम अब शिक्षा मंत्री महोदय ने बदल कर रिव्यूइंग कमेटी रख दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी नाम उन्होंने सोचा

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि कुछ खराब होगा इस वास्ते उस का नाम रिव्यूइंग कमेटी रख दिया है । मैं प्रारम्भ में ही कह देना चाहता हूं कि नाम से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, चाहे नाम आप हिटलर रखें, मसोलीनी रखें या तोजो रखें, मैं तो इस कमेटी को जिस तरह से यह काम करेगी उस से जांचना चाहता हूं । नाम से मेरा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । नाम चाहे हिन्दुस्तान का हो या बाहर का, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता है । मैं स्वीकार करता हूं कि यह व्यवस्था कर के कि अध्यापकों के मामले पहले सोलिसिटर जनरल आफ इंडिया के सामने जायें और अगर वह सोचें कि इन को रिव्यूइंग कमेटी के पास जाना चाहिये तभी वे इस कमेटी के पास जायेंगे अन्यथा नहीं, अच्छा किया गया है । यह उचित ही किया गया है । लेकिन इस सम्बन्ध में हमें यह भी सोचना चाहिये कि इसी सदन में प्रधान मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि छः से आठ महीने के बीच में यहां पर एक स्थायी बिल आने वाला है और यह जो व्यवस्था है यह अस्थायी ही है और इसी अर्से के लिये है । जब इतने थोड़े अर्से के लिये यह एक्ट बन रहा है तो मैं समझता हूं कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिस से वातावरण खराब हो । अगर प्रधान मंत्री के आश्वासन को आप अमली रूप देना चाहते हैं तो इस छः आठ महीने के दौरान में आप यह चाहते हों कि लोग एक दूसरे के खिलाफ शंक करें, खुफियापन करें या यह कहें कि इस ने गड़बड़ी की है और इस के खिलाफ यह कार्रवाई की जानी चाहिये, तो यह उचित नहीं है । इस से विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंच सकता है । मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जिस से मनमुटाव पैदा हो । इस से मेरा यह आशय नहीं है कि जो आदमी गलती करता है, उस के खिलाफ कार्रवाई न हो । अगर कोई गलत आदमी है जिस के कारण यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा है तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । मैं वर्तमान वाइस-चांसलर के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता । मुझे कभी उन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है । बहुत से लोगों को उन्होंने दर्शन दिये हैं और यहां पर आ कर दिये हैं । लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उन के दर्शन करने का मौका नहीं मिला है । मैं उन के सम्बन्ध में कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता । अगर यूनिवर्सिटी के भले में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस होती हो तो वह की जानी चाहिये लेकिन उस के लिये छः महीने बाद या आठ महीने बाद मौका आ सकता है । आप स्थायी बिल लाने जा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई को आप इस समय स्थगित कर सकते हैं । अगर आप समझते हैं कि किसी आदमी को वहां से निकाले बगैर काम नहीं चल सकता है तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि १४ जून को आप ने आर्डिनेंस निकाला और आज २ सितम्बर है और ढाई महीने गुज़र चुके हैं आप बतायें कि इस बीच में किसी टीचर ने किसी प्रोफेसर ने क्या यूनिवर्सिटी के हितों को नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने की कोशिश की है ? अगर दो ढाई महीने के बीच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है तो छः महीने में भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है । इस बीच में कोई बला टूटने वाली नहीं है, कोई आसमान गिरने वाला नहीं है । बनारस विश्वविद्यालय बिल इस उच्च सत्ता प्राप्त पालियामेंट के सामने आया और यहां पर उस के बारे में चर्चा हुई और वहां सब को पता चल गया कि अब किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है । अब किसी की हिम्मत नहीं कि वह गड़बड़ी करे । इस कमेटी को रखने का जो आप का उद्देश्य है वह अच्छा नहीं है । आप चाहते हैं कि कुछ लोगों को जो वहां पर कुछ आदमियों को पसन्द नहीं हैं, निकाल बाहर किया जाय और इसलिये आप इन छः महीनों में ही सब कुछ कर देना चाहते हैं । बाद में वाकई अगर कुछ लोग रहते हों जिन के वहां रहने से यूनिवर्सिटी का अहित होता हो तो आप उन के खिलाफ कार्रवाई करें लेकिन तब जब परमानेंट बिल पास हो जाये । इस के आगे अगर किसी तरह से सदन को यह मान्य न हो तो मैं नहीं जानता कि मुझे कानून के द्वारा यह कहने का अधिकार है या नहीं, लेकिन मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि जो रिव्यूइंग कमेटी रहेगी उस में तीन सदस्य रहेंगे, उन में से कम से कम दो ऐसे होने चाहियें जिन का हाई

कोर्ट का अनुभव हो। मेरे संशोधन संख्या १६ की यही मंशा है कि उन में से दो ऐसे सदस्य हों जोकि हाई कोर्ट जज हों। मैं यह चाहूंगा कि अगर रिव्यूइंग कमेटी को नहीं हटाया जा सकता तो इस तरह से किया जाये। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हो उन को विश्वास रहे कि उन के खिलाफ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है। सभी की भावना यह है कि उन के खिलाफ कोई अन्याय न हो। इस भावना के साथ मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं।

इसी के साथ साथ मेरा संशोधन नं० १७ है जोकि कांसिक्वेंशल अर्थात् परिणामस्वरूप है। उस में सिर्फ यह है कि 'टू पर्सन्स' के बजाय 'वन पर्सन' कर दिया जाय। इस के लिये मुझे कुछ नहीं कहना है।

अन्त में मैं अपने शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस आखिरी स्टेज पर भी वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। वे यह न समझें कि हिन्दुस्तान को बनाने की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही ले रक्खी है। दूसरों पर भी इस की कुछ जिम्मेदारी है। मुझे उन के इस कहने से बड़ा अफसोस होता है कि जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं था उस समय विद्यार्थियों द्वारा स्ट्राइक किये जाने की कुछ अहमियत थी, उस समय वे स्ट्राइक कर सकते थे। मैं कहता हूं कि सिर्फ कुछ अहमियत नहीं थी, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज हिन्दुस्तान के लिये कोई चारा नहीं है। जिस समय वे 'क्विट इंडिया' रेजौल्यूशन पेश कर रहे थे उन्होंने कहा था कि आज हिन्दुस्तान के सामने सिर्फ देश को आजाद करने की समस्या है। हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े नेता ने उस समय यह कहा था कि जैसे भी हो अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से बाहर निकालना है और इस के लिये कोई भी स्ट्राइक कर सकता है। आज भी जब तक सामाजिक परिस्थितियां ठीक नहीं होतीं, आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं होतीं, तब तक हम लोगों में से ऐसी बातों को दूर नहीं कर सकेंगे। मेरी भी इच्छा यही है कि आज विद्यार्थी किसी राजनीति में न आयें, वे यहां की राजनीति का हिस्सा न बनें, इस के लिये हमें जल्दी से जल्दी कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये; सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने से ही सारे आर्डर ठीक हो सकते हैं जिस में कि लोगों को असन्तोष न हो। जब तक ऐसा नहीं होगा हम कामयाब नहीं होंगे। आज जो वातावरण है अगर उस को ठीक नहीं किया जायेगा और वह उसी तरह से चलता रहा और उस में यदि विद्यार्थी कोई गड़बड़ करते हैं तो उस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं सरकार के ऊपर होगी।

†**श्री प्रभात कार** : मेरे संशोधन ७ का आशय उपखंड (घ), (ङ) और (च) को हटा देना है। मेरे विचार से इस अस्थायी अवधि के लिये अध्यापक वर्ग, प्रोफेसरों और भूतपूर्व विद्यार्थियों में से प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं होगा। मेरे दूसरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि संसद् सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये जिस से देश को यह ज्ञात हो कि संसद् इस मामले में दिलचस्पी रखती है। संशोधन संख्या १९ से मेरा आशय यह है कि चुनाव समिति में कार्यकारी परिषद् का कोई सदस्य न रहे। उस में ५ विशेषज्ञ रहने चाहियें जो विजिटर द्वारा नामनिर्देशित हों। संशोधन ११ का लक्ष्य यह है कि कोर्ट को प्रान्तीयता के आरोप से बचाने के लिये उस में सभी प्रान्तों की विधान सभाओं में से एक एक सदस्य होना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कुछ और विचार करने के लिये सदस्यों को अधिक समय मिलना चाहिये। अभी समय एक घंटे के लिये बढ़ाया गया। जैसा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि सदस्यों को थर्ड रीडिंग पर भी बोलने का मौका दिया जाय, मैं भी प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी थर्ड रीडिंग के समय बोलने का मौका दिया जाय क्योंकि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत चर्चा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : थर्ड रीडिंग तो बाद में आयेगी, इस समय सेकेन्ड रीडिंग पर बोलिये।

श्री सिंहासन सिंह : उस समय भी मुझे मौका दिया जाय, यह प्रार्थना है।

अब मैं उस संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिसे कि श्री ब्रजराज सिंह ने पेश किया है। यहां पर कुछ सद्भावनाओं की बातें कही गई हैं। मैं उन की सद्भावनाओं के विचार के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मेरा संशोधन है कि रिव्यूइंग कमेटी को निकाल दिया जाय। उस भावना को अगर वाकई लाना है तो ६, ८ या १० महीने बाद जब नया विधेयक लाना है तो यह जरूरी है कि आज जो विष का वातावरण है उसे हम दूर करें और वह तभी दूर हो सकता है जब कि हम उचित कदम उठावें। रिव्यूइंग कमेटी का जो नया रूप विशिष्ट समिति से बन कर आया है उस में वाइस-चांसलर भी आ सकता है, और अधिकारी भी आ सकते हैं, प्रोफेसर भी आ सकते हैं और वहां पर एक दूसरे के खिलाफ विष वातावरण बना रहेगा और वैसे वातावरण में हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। आज हर तरफ से अपील की जा रही है, प्रधान मंत्री ने भी अपील की है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में अच्छा वातावरण बनाना है तो जरूरी है कि उस में सुन्दर और सहयोग का वातावरण लाया जाय। यह जरूरी है कि उस में एक दूसरे के सामने मुल्जिम की तरह से खड़े होने की नौबत न आये क्योंकि जहां एक दूसरे के सामने मुल्जिम की तरह से खड़े होने की नौबत आयेगी तो उससे वातावरण दूषित होगा, कड़वाहट बढ़ेगी और जो भावना हम लाना चाहते हैं वह नहीं आयेगी। यहां पर हम देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लड़के स्ट्राइक करते हैं, लड़के कहेंगे फलां चीज़ का यह रूप हो, फलां चीज का यह रूप हो, अमुख अध्यापक पर अमुख बात रक्खी जायेगी। इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र डा० सुब्बारायन ने कहा कि यह अनफार्चुनेट है कि इस रिपोर्ट में स्क्रीनिंग कमेटी का नाम आ गया। हमारे मंत्री महोदय ने भी कहा कि यह अनफार्चूनेट है कि इस में स्क्रीनिंग कमेटी का नाम आ गया। लेकिन इस रिपोर्ट में कई जगह पर 'ईस्टर्न ग्रुप' का नाम आया। कहा गया कि ईस्टर्न ग्रुप डामिनेट करता है। कल यह भावना हो सकती है कि दूसरा ग्रुप डामिनेट करे। जहां यह भावना होगी, वहां यह भी सोचा जा सकता है कि वाइस-चांसलर डामिनेट करता है। सी० पी० रामास्वामी अय्यर कहते हैं कि वहां पर तीन ग्रुप काम कर रहे हैं। इसलिये मैं अपील करूंगा, और मेरा अमेंडमेंट भी इस बारे में हैं, कि विधेयक के क्लाज़ ७ में से सेक्शन ३० को निकाल दिया जाये। इस से वातावरण अच्छा बनेगा।

अभी अशोक मेहता साहब ने और प्रधान मंत्री ने जोर दिया कि जरूर वहां पर पार्लियामेंट के मेम्बर जायें, लेकिन अभी न जायें, विधेयक के पास होने के बाद जायें। एक कमेटी बनाई जाये, कैसे बनाई जाये, इस के बारे में भी संशोधन है कि वह १२ आदमियों की बनाई जाये। ८ आदमी लोक-सभा के और ४ राज्य-सभा के। अगर यह १२ आदमी चुन लिये जाते हैं, जो लोग कोर्ट के सदस्य होंगे। अगर उन में पार्लियामेंट के मेम्बर कुछ अधिक हो जाते हैं, कम से कम १२ हो जाते हैं, तीन के बजाय, तो वह लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और वहां जिस वातावरण की आवश्यकता है उस को लाना ज्यादा आसान हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : इस के बारे में कोई अमेंडमेंट भी है ?

श्री सिंहासन सिंह : जी हां, है।

एक माननीय सदस्य : गुडविल मिशन के बारे में ?

श्री सिंहासन सिंह : जो पार्लियामेंट के मेम्बरों का गुडविल मिशन बन रहा है उस को अगर गवर्नमेंट मान ले, और वह १२ सदस्य गुडविल मिशन के कोर्ट के सदस्य हों तो उन को राय देने का

अधिकार होगा। जब वे पार्लियामेंट की तरफ से चुन कर जायेंगे तो वे वहां जा कर अधिकारियों से ज्यादा अधिकारी रूप में बातें कर सकेंगे, बजाय इस के वहां और कोई जायें हम में से और उन को वह सुविधायें न मिलें जो कोर्ट के सदस्यों को मिलती हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने वातावरण को ठीक करने के लिये स्क्रीनिंग कमेटी की बजाय रिव्यूइंग कमेटी कर दिया उसी तरह से वह इस संशोधन को मान कर पार्लियामेंट के मेम्बरों की संख्या को ३ के बजाय १२ कर दें तो कोई बात बिगड़ती नहीं है। अनुपात जो आप ने रक्खा दोनों सदनों का वह वही है। उन्होंने २ और १ रक्खा है और संशोधन में ८ और ४ रक्खा गया है। जैसी उन से अपील की गई, अगर पार्लियामेंट के मेम्बरों को अवसर दिया जाय तो वे वहां जा कर वातावरण को ठीक कर सकते हैं।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को सुधारने के लिये यह बिल पेश किया तो लोगों को लगा कि जो यह तरीका अख्त्यार किया गया है, वह अच्छा नहीं है। हम को इस में जरा भी सन्देह नहीं है कि हमारे शिक्षा मंत्री की भावना बड़ी ही उच्च और शुद्ध है। उस शुद्ध भावना से उन्होंने जल्दी से जल्दी उस कार्यवाही से काम लिया जिस से कि उन्होंने समझा कि यूनिवर्सिटी की हालत सुधर सकती है। इस के लिये मैं उन को बधाई देता हूं। उन की भावना में कोई त्रुटि नहीं है, परन्तु जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस से लोगों को लगता है, उनको सन्देह है, कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का सुधार नहीं हो सकेगा। हां यह सुधार जरूर होगा कि हमेशा के लिये यह युनिवर्सिटी राजनीतिक झगड़े की जड़ बन जायेगी। इस का कारण यह है कि जब तक स्क्रीनिंग कमेटी, जिस का नाम अब आपने रिव्यूइंग कमेटी कर दिया है, बनी रहेगी, लोगों के अन्दर राजनीतिक भावना बनी रहेगी और इस से यूनिवर्सिटी में सुधार नहीं हो सकेगा। यह मेरी निजी राय है। वैसे मेरी यह प्रार्थना है कि जिस भावना से हमारे शिक्षा मंत्री ने यह काम किया है उस में उन को कामयाबी मिले, वह सफल हों। मैं जो कह रहा हूं कि इस काम के करने से वह सफल नहीं होंगे, अगर यह बात झूठ निकले तो इस से मुझे कोई दुःख नहीं होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि उन को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जो बिल वह लाये हैं उस का लाना कहां तक ठीक है।

बनारस में यह देखा जाता है कि किसी ने क्या बदमाशी की। तरह तरह के पैम्फ़लेट्स आदि निकलते हैं, हमारे पास भी बहुत से पैम्फ़लेट्स आये और उन को देख कर दिल दुखी होता है। जो आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं उन को सुनने तक की इच्छा नहीं होती और हमारी बहिन श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा था कि जब वे उस मुदालियर कमेटी में बैठी थीं तो उन्होंने कहा था कि वे वहां से उठ कर चली जाती हैं। मुदालियर कमेटी की बात ठीक है या नहीं मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता और मैं इस से भी इन्कार नहीं करता कि उसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं परन्तु यह बात तो सभी ने मंजूर की है कि आज के दिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कमियां हैं और वहां पर त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को हमें दूर करना चाहिये, यह सभी ने मंजूर कर किया है परन्तु एक बात लोगों ने कही है और जिस के कि ऊपर लोगों को बहुत दुःख है और वह यह कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ही क्यों इस बात के लिये सब से पहले पकड़ी गई ? उसी ऊपर यह नश्तर क्यों लगाया जाता है ? बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को ही इस का टार्गेट क्यों बनाया गया ? मैं समझता हूं कि जो त्रुटियां बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में हैं उन से भी अधिक बुरी चीज़ें और त्रुटियां दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। हम को इस की व्यक्तिगत नौलेज है। मैं यद्यपि शिक्षा में इतना समय नहीं लगाता और न उस में इतना इंटरेस्ट लेता हूं लेकिन तो भी लोगों में बैठता हूं और बातें सुनता हूं और मैं कह सकता हूं कि ऐसी ऐसी भयानक कुरीतियां दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं जोकि मेरी समझ में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भी न होंगी।

[श्री झुनझुनवाला]

यहां पर पार्टियों और पार्टीबन्दी का आरोप लगाया गया है कि यहां पर ३–३, ४–४, और ५–५ पार्टियां और ग्रुप्स हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे और यूनिवर्सिटियों को भी देखें कि वहां पर कितनी पार्टियां और ग्रुप्स होते हैं। यहां पर प्रान्तीयता का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि यहां पर प्रान्तीयता ही रूल कर रही है परन्तु दूसरे विश्वविद्यालयों में भी आप देखें, मैं इस सम्बन्ध में किसी विशेष जगह का नाम नहीं लेना चाहता परन्तु आप देखेंगे कि यह सब त्रुटियां क़रीब क़रीब सब जगह पाई जाती हैं। अब चूंकि सब से पहले नश्तर इस बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लगाया जा रहा है तो लोगों को दुःख होता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि हिन्दू यूनिविसटी जिस की कि स्थापना हमारे देश के एक महान् आदरणीय नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, मैं तो यह चाहूंगा कि सब से पहले बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो त्रुटियां हैं उन को हम जल्दी से जल्दी निकाल कर बाहर करें और यह दिखला दें कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सब में श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है और उस में अब कोई त्रुटियां बाक़ी नहीं रह गई हैं। मैं ने देखा है कि यह तो सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि उस में त्रुटियां हैं।

अब मैं जो एक क्लाज़ है और उस क्लाज़ के बारे में जैसे मैं ने शुरू में ही कहा कि जब तक यह रहेगा तब तक लोगों में एक दूसरे पर आरोप लगाने की भावना बराबर बनी रहेगी। आप चाहे कितनी ही चेष्टा क्यों न करें इस क्लाज़ के रहने से यह भावना बनी रहेगी। हमारे शिक्षा मंत्री ने जो कहा वह बात ज़रा हम को कम समझ में आई। उन्होंने यह कहा कि जब हम अपनी गवर्नमेंट में ऊंचे से ऊंचे अफ़सरों के ऊपर चार्ज लगा कर एनक्वायरी बिठा देते हैं और उस पर हम लोग ऐक्शन लेते हैं तो अगर यूनिवर्सिटी के लिये यही किया जा रहा है तो क्या हर्ज है। मैं अपने शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग को आप उसी स्थान पर न रक्खें जिस पर कि आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफ़सरान को रखते हैं। उनको आप ज़रा दूसरी दृष्टि से देखें। वहां पर जो हमारे प्रोफ़ेसर्स और अध्यापक हैं उन के प्रति हमारे विद्यार्थियों की एक आदर की भावना रहनी चाहिये और जिस से उनको यह न मालूम हो कि हमारे जो शिक्षक और अध्यापक हैं उनमें कोई भी बुराइयां हैं। यदि विद्यार्थियों के मन में यह भाव आजायेगा कि हमारे शिक्षकों में त्रुटियां और बुराइयां हैं तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा।

अब मैं इस क्लाज़ के सम्बन्ध में जो मैं ने अमेंडमेंट दिया है उस के बारे में कहना चाहता हूं। एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल तो नौ आदमियों की बनी हुई है और उन नौ आदमियों को जब ज़रूरत मालूम होगी तब किस के ऊपर ऐक्शन लिया जायेगा और किसी को भी कुछ कहने का यदि किसी के बारे में है तो यहां पर कोई भी प्राविज़न नहीं है। तो उन का बेसिस क्या होगी, उन का आधार क्या होगा कि जिस से वह एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल किसी के ऊपर ऐक्शन लेने के लिये कोई चार्ज फ्रेम कर के सालिसिटर जनरल के पास भेजे। हम ने दो, तीन बार उस क्लाज़ को पढ़ा हम को इस का कोई आधार नहीं मालूम होता। यह समझ में नहीं आता है कि उन के पास जा कर कोई शिकायत करेगा कि फ़लाने आदमी ने यह ग़लती की है और उस के ऊपर मेरा यह आरोप है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि "हैज़ रीज़न टु बिलीव" का आख़िर आधार क्या होगा? इसलिये मैं ने यह संशोधन दिया है कि कोई भी आदमी जो कोई एक क़ानूनी कार्यवाही करना चाहता है तो उस का एक तरीका होना चाहिये और उसके लिये एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के पास कोई आधार होना चाहिये और उस आधार के लिये मैं ने यह १५ नम्बर का संशोधन दिया है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अमेंडमेंट नम्बर १५ तो आपने मूव ही नहीं किया था। आपने तो ख़ाली १४ नम्बर का अमेंडमेंट मूव किया था।

श्री झुनझुनवाला : १४ और १५ दोनों अमेंडमेंट मैंने मूव किये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं आप ने १५ नम्बर का अमेंडमेंट मूव नहीं किया था।

श्री झुनझुनवाला । हो सकता है कि मुझ से ग़लती हो गई हो और यदि ऐसा हो तो मुझे उस के लिये क्षमा किया जाये। मैं चाहता हूं कि १५ नम्बर का अमेंडमेंट भी मूव्ड समझा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब उस को मूव कर दें और वह शामिल कर लिया जायेगा।

श्री झुनझुनवाला : मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के लिये बिलीव करने के लिये कोई आधार होना चाहिये लेकिन यदि वे अपने मन में पहले से ही यह जंचाये बैठे हैं कि नहीं फलाने आदमी को हमको निकालना है और उनको अपने आप रीज़न टु बिलीव है कि यह ख़राब आदमी है तो मेरी समझ में यह न्याय की बात नहीं होगी। इसलिये मेरा यह कहना है कि अगर आप इस क्लाज़ को इसी रूप में रखना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा। आप इस क्लाज़ को हटा दें तो अच्छा है परन्तु यदि आप इस को रखना चाहते हैं तो आप उसका आधार बतलाइये कि किस आधार पर वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल ऐक्शन लेने के लिये उतारू होगी और वह उसके लिये सोलिसिटर जनरल के पास भेजेगी। अब यह भी प्रश्न उठ सकता है कि यदि आप इस क्लाज़ को हटा देना चाहते हैं तो क्या आप यह चाहते हैं कि जिन आदमियों का रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, उनको आप बने रहने देना ही चाहते हैं ? मैं इसे साफ़ कर दूं कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आपके यहां जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि हालांकि मुदालियर कमेटी ने यह कहा था कि कोर्ट वगैरह सब को सस्पेंड कर दें लेकिन हमने कोर्ट भी रक्खा है और एक्जीक्यूटिव कौंसिल आदि भी रक्खी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनको अधिकार है। विजिटर ने उनको यह भी अधिकार दिया है कि जब भी वाइस-चांसलर चाहे कोई भी काम के लिये कोर्ट से कह सकता है कि इसकी इन्क्वायरी करो और जो भी काम कराना हो करा सकता है। तो ठीक तरीक़ा यह होगा कि कोर्ट और एक्जीक्युटिव काउंसिल में पार्टीबाज़ी को खत्म किया जाये और उन लोगों को बुलाकर शान्ति से पूछा जाये कि आखिर बात क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। कमेटी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जो भी खराबियां शुरू हुई हैं वे कोर्ट से शुरू हुई हैं। आप लोगों को उनको बुलाकर कहना चाहिये कि यह यह बात है और यह यह चीज़ है, आपको और हम सब को मिल कर ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि यूनीवर्सिटीज का भला हो और जो इसमें बुराइयां हैं वे दूर हों। मैं तो समझता हूं कि चाहे कोई ईस्टर्न यू० पी० का हो चाहे वैस्टर्न यू० पी० का हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो वास्तव में खराबी है उसको खराबी न माने। इस बात में सब कोई कोर्ट और एक्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ होंगे कि जो खराबियां हैं वे दूर होनी चाहिये। पर यदि एक्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट अपने मन में यह स्थिर किये हुये हैं कि फलां फलां आदमी को निकालना है तो उसके ऊपर उनको रीज़न हो जायगा बिलीव करने का और वह सालिसिटर जनरल के पास उस केस को भेजेंगे। अगर यह क्लाज इसी तरह रहा तो बजाये इसके कि बुराइयां दूर हों वे बराबर कायम रहेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : आपने यह फैसला किया है कि अमेंडमेंट के वक्त कोई ऐसी बात न कही जाये जो कि अमेंडमेंट को रेलेवेंट न हो, इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि आया मुझे थर्ड रीडिंग के वक्त बोलने का मौका मिलेगा। अगर उस वक्त मौका मिले तो मैं इस वक्त सिर्फ अमेंडमेंट पर ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय सदस्यों पर निर्भर है कि वे कितना वक्त लेते हैं। अगर वे चाहेंगे तो वक्त दिया जा सकेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं अपने अमेंडमेंट पर ही अर्ज करूंगा।

यहां बहुत बहस हुई कि रिव्यूइंग कमेटी बैठे या न बैठे। लेकिन मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वह मामला हल तलब है और उस पर मुख्तलिफ़ राय हैं। मैं तो यह एस्यूम करता हूं कि रिव्यूइंग कमेटी की ज़रूरत होगी और उसके बिना कोई काम होता नज़र नहीं आता। मुझको तो यह नज़र आता है कि इस कमेटी का काम बहुत मुश्किल होगा और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वह किस तरह से काम करेगी क्योंकि सेक्शन ३० में पेज ८ पर इसके बारे में साफ इंडीकेशन नहीं है। चुनांचे जनाब मुलाहिज़ा फरमायें। अव्वल तो यह स्पेसिफिक तौर से नहीं बतलाया गया है कि इस कमेटी के क्या अख्तियारात होंगे। जो लिखा है यह निहायत ही वेग है। समझ में नहीं आया कि क्या ऐक्शन लेगी अब सारी एक्जीक्यूटिव काउंसिल तो ऐक्ट के पास होने से खत्म हो जायेगी और जो नई एक्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रावीज़न है उसमें ९ मेम्बरों का प्रवीज़न है। तो यह जो नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी यह गालिबन केसेज़ भेजेंगे सालिसिटर जनरल के पास और फिर बाद में रिव्यूइंग कमेटी के पास। जो नई कमेटी मुक़र्रर होगी मैं नहीं जानता कि उसको क्या पता होगा। उसके दिमाग़ में यह कैसे आयेगा कि किस शख्स का कंटीन्यूएंस यूनीवर्सिटी के लिये डेटरीमेंटल (हानिकर) होगा। इस कमेटी में चूंकि पुराने आदमी एक भी नहीं होंगे तो नये आदमियों को सुनी सुनाई बातें ही मालूम होंगी। उनको कालिज का कोई तजुर्बा नहीं होगा। तो वे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही अमल करेंगे। मुझे इस बात पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ये जो ९ मेम्बर होंगे उनके पास सही नतायज पर पहूंचने के लिये क्या जराये होंगे। मैं यह पाता हूं कि यहां पर जो एक कंसीडरेशन रखा गया है वह यह है :

"व्यक्ति के अपने पद पर रहने से विश्वविद्यालय के हितों पर आघात होता हो"

जितना पास्ट कंडक्ट किसी प्रोफेसर या लेक्चरर या प्रिंसिपल का है जिसकी तफ़सील मुफस्सिल में इस किताब में दी हुई है उनको देखने से तो यह मालूम होता है कि इन उस्तादों ने अपने फ़र्ज़ मंसबी को छोड़ कर लड़कों को इनडिसिप्लिन सिखाया। यह देख कर शर्म आती है। जो चीज़ें लिखी हैं उनसे मालूम होता है कि जिन अशखास ने इस यूनीवर्सिटी का सत्यानाश कर दिया वे सख्त सजा के मस्तूजिब हैं। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यह समझती है कि उसका रहना डेटरीमेंटल नहीं है तो उसको रखा जा सकता है। यह तो पास्ट ऐक्शन की कोई सज़ा नहीं हुई। इसमें आइडिया तो रह रखा गया है कि आया उसका कंटीन्यूएंस यूनीवर्सिटी के लिये डेटरीमेंटल है या नहीं। अगर वह शख्स आज प्रायश्चित कर लेता है और दस आदमी उसको मंजूर कर लेते हैं तो कहा जायेगा कि उसका कंटीन्यूएंस डेटरीमेंटल नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इतनी सीरियस बिना के वास्ते सिर्फ इतना रखना कि उसका रखना डेटरीमेंटल है या नहीं काफी नहीं है, और वह भी किस तरह, "यदि कार्यकारिणी परिषद् को विश्वास करने का कारण हो" मैं पूछना चाहता हूं कि यह रीजन टू बिलीव (विश्वास करने का कारण) क्या है ? इसके मानी कुछ नहीं हैं। एक मामूली दफा ३२५ के केस में जो कि कागनिजेबिल है, जैसा कि जनाबवाला को बखूबी मालूम है, शहादत इकट्ठी करनी होती है। उसके बाद जो चार्ज बनता है वह उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर होता है जो कि लिये गये होते हैं और फिर उस शख्स से कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ़ यह चार्ज है तुम क्या कहना चाहते हो। इस बिल के अन्दर कोई इस तरह का इन्दराज नहीं है कि किस तरह से उन लोगों को बुला के शहादत इकट्ठी की जायेगी। अगर उनको कुछ नहीं बतलाया जायेगा और उनको मौक़ा नहीं दिया जायेगा तो वे क्या प्लीड करेंगे। इसके अन्दर यह इन्दराज़ नहीं है कि वह स्टेटमेंट्स कहां से आयेंगे, क्या वे स्टेटमेंट ओथ पर होंगे या बग़ैर ओथ के होंगे। यह सिर्फ उन ९ आदमियों के रीज़न टू बिलीव होने से ही होगा या उसके

बैंक पर कोई शहादत भी होगी यह इसमें दर्ज नहीं है। क्या उन ९ आदमियों का सिर्फ यह लिख देना काफी होगा कि उनको रीज़न टू बिलीव है।

अभी मेरे एक दोस्त ने पीछे से कहा है कि वाइस-चांसलर साहब जो चाहेंगे वह करेंगे, लेकिन मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई भी वाइस-चांसलर साहब ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि कोई भी वाइस-चांसलर अपने आपको इतना डिमीन नहीं करेगा जो मुखालिफ़ पार्टी वाले हैं उनसे बदला ले। मैं समझता हूं कि उसकी यही एटीट्यूड होगी कि जो चीज़ यूनीवर्सिटी के फायदे में हैं उसे किया जाये। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यूनीवर्सिटी के बारे में फ़रमाया है मैं उसकी दाद देता हूं। मेरा फीलिंग यह है कि यूनीवर्सिटी में तीन चार पार्टीज़ हैं। मैं हरगिज़ यह मानने को तैयार नहीं हूं कि एक हाथ से ताली बज सकती है।

इन तीनों चारों पार्टियों के अपने अपने अफ़आल होंगे, जो कि एक दूसरे के खिलाफ़ होंगे। हर पार्टी में अच्छे आदमी भी होंगे और निकम्मे आदमी भी होंगे। वहां पर जिस को डामीनेंट पार्टी कहा जाता है, जो उसकी मुख़ालिफ़ तीन चार पार्टियां हैं, उन के जो खराब आदमी होंगे, कौन उन के बारे में "रीज़न टु बिलीव" लायगा, कौन शिकायत करेगा? आज हम यूनिवर्सिटी को विद्रतों से पाक करना चाहते हैं। इसलिये यह निहायत ज़रूरी है कि चाहे जिस पार्टी का आदमी आये, उस को कुछ न कुछ सज़ा दी जाये, या उस के साथ ठीक सलूक किया जाये। जिस तरह का कास्टीट्यूशन है, जिस में एक भी ओल्ड एग्ज़ेक्टिव कौंसिल का कौंसलर नहीं रहेगा, उस मे यह कैसे मुमकिन है कि दूसरी पार्टियों के आदमियों के खिलाफ़ कार्यवाही हो सके।

यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारे वाइस-चांसलर पर इतने हमले किये जाते हैं। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब की मैन्टेलिटी को समझता हूं। वह नहीं चाहते कि एक ऐसे आदमी को, जो कि अच्छा काम करने वाला है, सिर्फ लोगों के कहने से या कीचड़ उछालने से बेजा तौर पर सज़ा दी जाय। मैं उन के इस ख़्याल को पूरी तरह एप्रिशिएट करता हूं। लेकिन उस के साथ ही साथ मैं यह भी अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो सख्श इतनी पोज़ीशन का मालिक है, उस को खुद चाहिए कि, अपनी खाल बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस नीयत से कि यह मामला खुश-उसलूबी से तय हो जाय, वह इस्तीफा दे दे और इस्तीफे पर इनसिस्ट करे और कम से कम उस जगह से हट जाय। मैं ने कल आनरेबल मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी। उन्होंने फ़रमाया कि इस में यह भी प्राविज़न है कि वाइस-चांसलर, प्रो-वाइस-चांसलर, किसी भी शख्स के बरखिलाफ़ स्क्रीनिंग कमेटी में मामला जा सकता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वाइस-चांसलर को, जिस को कि वह बेकुसूर समझते हैं और जिस की उन्होंने दुरुस्त तौर पर इतनी तारीफ़ की है, इस बात के लिए मजबूर किया जाय कि वह दूसरे लोगों की तरह स्क्रीनिंग कमेटी के सामने खड़ा हो और उस के खिलाफ एविडेंस आये। ज़रूरत इस बात की है कि पेश्तर इस के कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठे, हमारे वाइस-चांसलर को पीस के इन्ट्रेस्ट में, यूनिवर्सिटी के इन्ट्रेस्ट में, फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उस कमेटी के काम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वर्ना हर वह शख्स, जिस के खिलाफ़ एलीगेशन्ज़ होंगी, जिस के खिलाफ़ गवाही होगी, यह समझेगा कि वाइस-चांसलर की आवाज़ बोल रही है और वह मेरे खिलाफ़ है। इस तरह का एट्मास्फ़ियर इस कमेटी में, या और किसी कमेटी में हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उस में एक ऐसा आबजेक्टिव एट्मास्फियर होना चाहिए, जिस में पर्सनल प्रिक या पर्सनल ग्रीवस न रहे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस कमेटी में तीनों आदमी इस किस्म के होते, जिन पर पूरा विश्वास होता। वे लोग काम कैसे करेंगे? यह बात अभी तक मेरे दिमाग़ में नहीं आई है। जब तक आप इस को दुरुस्त नहीं कर देते, "रिज़न टु बिलीव" को न समझायें, यह न बतायें कि किस तरह से एविडेंस आयगा, तब तक मैं इस को समझने से मजबूर हूं कि किस तरह वह मतलब पूरा हो सकता है,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जिस को कि हम चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को सर्टिफिकेट दिया जाय कि तुम्हारा रहना "डेट्रिमेंटल टु इन्ट्रेस्ट" हितों पर आघात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने इतने नौजवानों को गुमराह किया है और पूरी तरह से अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया है, उन के खिलाफ़ इस से भी ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स लिये जाते। डा० श्रीमाली ने जो स्टेप्स लिए हैं, उन के लिए मैं उन की दाद देता हूं। उन्होंने वह हिम्मत दिखाई है, जो कि किसी मिनिस्टर ने नहीं दिखाई थी।

जहां तक आर्डिनेंस जारी करने का ताल्लुक है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कांस्टीच्यूशन का आर्टिकल १२३ यह नहीं कहता कि सिर्फ़ इमरजेंसी के वक्त आर्डिनेंस जारी किया जाय। अगर आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ा, कोई ग़ज़ब नहीं आ गया। मैं आर्डिनेंस के खिबाफ नदीं हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी ख़राब हालत को दुरुस्त करने के लिए स्टेप लिया जाये, तो हर राइट-माइंडिड आदमी को उस को स्वरूव करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्राविज़न से वह मतलब पूरा हो सकेगा या नहीं, जिस आनरेबल मिनिस्टर साहब दिल से चाहते हैं। मैं देखता हुं कि इस में किसी तरह की सज़ा का प्राविज़न नहीं है कि आईन्दा तुम को नौकरी नहीं देंगे, किसी तरह का नुक्सान पहुंचायेंगे, यह पबलिसाइज़ करेंगे कि तुम्हारा यह कुसूर है। इस किस्म की कोई सज़ा इस में दर्ज नहीं है।

इस के अलावा मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन के नाम दर्ज हैं, वे सरवेंट्स हैं— चाहे वे एडमिनिस्ट्रेटिव हों या यूनिवर्सिटी के हों, लेकिन उन लड़कों का ज़िक्र नहीं है, जिन के बारे में कमेटी की रिपोर्ट में इतना कुछ कहा गया है। मैं लड़कों के खिलाफ़ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कालेज के दस हज़ार तालिब-इल्म हिन्दुस्तान के नौजवान हैं। लेकिन उन लड़कों की उस रिपोर्ट में इतनी तारीफ़ की गई है। कहा गया है कि पैंतीस बरस का एक लड़का इतने अरसे से वहां रहता है। अगर एक ही होता, तो मैं माइंड न करता और समझता कि वह एक्सेप्शन है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ऐसे बहुत से लड़के वहां हैं। वे क्या करते हैं? ये छोटे लड़कों पर डामीनेट (रुआब डालते) करते हैं। मैं इस के मायने समझता हूं। इस के बहुत सिमिस्टर (कलुषित) मायने हैं। किस तरह की उन की हालत होगी? जिन लड़कों के बरखिलाफ़ बहुत से इल्ज़ामात हैं, जिन को निकाल दिया जाना चाहिए था, उन के लिए इस में कोई प्राविज़न नहीं है। जिस ड्रास्टिक एक्शन (कठोर कार्यवाही) की इतनी बुराई की गई है, उस का नतीजा यह होगा कि चन्द उस्तादों, चन्द लैक्चरार्ज़ को वहां से हटा दिया जायगा, या अगर प्रोफ़ेसर रंगा की तजवीज़ को माना जाय, तो बड़ों बड़ों को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जगह दे दी जायगी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दूसरी यूनिवर्सिटी में जा कर वे इस से भी ज्यादा खराबी करेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : वह प्लेग का कीड़ा होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बड़े मुलायम दिल से मेरे दोस्त कहते हैं कि इस तरह अमल करने से वहां बिटरनेस बढ़ जायगी। मैं बड़े ज़ोर से कहना चाहता हूं कि अगर उन लोगों को सज़ा भी दी जाय और उन को कैद की सज़ा दी जाय, तो मुझे निहायत खुशी होती। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में जिन अफ़आल का ज़िक्र किया गया है, वे हमारे डूब मरने के लिए काफी हैं। मैं इस को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यह गवर्नमेंट ३ करोड़ रुपये पांच वर्षों में लड़कों में इनडिसिप्लिन (अनुशासन-हीनता) फैलाने के लिए, उन का मारेल कैरेक्टर (नैतिक चरित्र) गिराने के लिए खर्च करे और उन के अच्छे खाने-पीने का मुनासिब इन्तज़ाम न किया जाय, जिस से उन के जिस्म बन सकें, और वे पढ़ सकें। इस रिपोर्ट से तो यह ज़ाहिर है कि वहां पर एनार्की (अराजकता) फैली हुई है। मालवीय जी ने कहा कि ये आइसोलेटिड केसिज़ (इक्के-दुक्के) हैं, वहां इतनी ख़राबी नहीं है। अगर यह ठीक है, तो पोज़ीशन तसल्लीबख़्श है, लेकिन अगर रिपोर्ट के अलफ़ाज़ और उन के

मायनों को देखा जाय, तो, जैसा कि कल बहन श्रीमती उमा नेहरू ने कहा, बेहतर है कि यूनिवर्सिटी खत्म हो जाय, बन्द हो जाय, लड़के अनपढ़ रह जायें—यह लाख दर्जे बेहतर है बमुकाबले इस के कि लड़कों को इस तरह का सबक दिया जाय कि देश में एनार्की फैल जाय।

पंडित गोविन्द मालवीय (सुलतानपुर) : मेरी अर्ज़ है कि और कोई न जाये, आप मेरे साथ चलें और देखें कि वहां क्या हो रहा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह जो प्राविज़न है, वह काफ़ी नहीं है। इस में कजी मालूम होती है। इस प्राविज़न को बेहतर बनाया जाय या गवर्नमेंट अपने पास आईन्दा रूल बनाने की पावर रखे, ताकि यह प्राविज़न सक्सेसफुल हो सके। मैं यह नहीं कहता कि यह प्राविज़न न हो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस से बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिया जाना चाहिए था, बमुकाबल उस के जो कि श्रीमाली साहब ने लिया है। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, उस के लिए हम मशकूर हैं। आखिर सात बरस में इस मिनिस्ट्री में एक शख्स तो निकला, जिस ने अपने फ़र्ज़ को सम्भाला, वर्ना गवर्नमेंट के एजूकेशन मिनिस्ट्री की जो कार्यवाहियां हैं, वे इस कद्र नाकिस और सख्त हैं, कि हम जितने भी शरमिन्दा हों, उतना थोड़ा है। जिस डिपार्टमेंट को हम देखते हैं, उस में यही पोल पड़ी है। शुक्र है कि एक एक्सेप्शन नज़र आई। यह एक्शन बनारस यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ नहीं है, लड़कों में इनडिसिप्लिन के बरखिलाफ़ है, देश में चल रही एनार्की की मूवमेंट के खिलाफ़ है। इस एक्शन को ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस एक्शन को पुरमानी होना चाहिए, इस एक्शन से रिज़ल्ट निकलने चाहिए। इस तरह के प्राविज़न से कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेंगे। मालूम होता है कि यह महज़ आई-वाश है और उस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : आज सब हिन्दुस्तानी बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी हिन्दुस्तानी में कुछ अल्फाज़ कहूंगा। मेरा हिन्दू यूनिवर्सिटी से बहुत पुराना सम्बन्ध है और जब पंडित मदन मोहन मालवीय इस यूनिवर्सिटी को बनाना चाहते थे, तो वह मुझे नीले नीले नक्शे दिखाया करते थे। कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी मैं ने पेश किया था। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि हमारे मित्र ख्वामख्वाह एक कुटुम्ब के मामलों में—यह हिन्दू यूनिवर्सिटी एक कुटुम्ब है—दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं अगर कोई किसी मियां-बीवी के झगड़े में दखल-अंदाज़ी करे, तो लड़ाई और ज्यादा होती है। आप देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में चार ताकतें—चार शक्तियां—होती हैं। एक तो वह ताकत है, जिन्होंने पैसा दिया, जिन को डानर्ज़ कहा जाता है। एक उन की ताकत है, जो वहां के प्रोफ़ेसर्ज़ हैं, टीचर्ज़ हैं, जो वहां पढ़ाते हैं। एक उनकी ताकत है जो कि वहां पर रहते हैं, स्टुडेंट पढ़ते हैं और उनके गार्डियन हैं। मेरा यह कहना है कि बजाय इसके कि हम उनके लिए कोई कानून बनायें, कायदे कानून बनायें और दखल अंदाजी करें, ज्यादा अच्छा होगा कि हम यूनिवर्स्टी को स्वयं मौका दें कि वह अपना इंतिज़ाम आप करे। मैं समझता हूं कि आपमें से बहुत से लोग यह मानेंगे कि वहां जो बड़े बड़े प्रोफ़ेसर हैं, वहां पर जो बड़े बड़े लोग पढ़ाने वाले हैं उनसे शायद ज्यादा हमारे यहां इस हाउस में प्रोफेसर नहीं होंगे। हम उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं और उनको मौका नहीं देना चाहते कि वे अपना रास्ता आप निकालें। श्रीमाली साहब बहुत समझदार और होशियार होंगे, मगर शायद वह प्रोफेसरों से कुछ कम ही होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि हमको चारों शक्तियों को समझ कर उनको मौका देना चाहिये कि प्रोफेसर्स के प्रतिनिधि, गार्डियंस के प्रतिनिधि, डोनर्स के प्रतिनिधि.......

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह जो विषय विचाराधीन है, उससे बहुत दूर जा रहे हैं। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं।

राजा महेन्द्र प्रताप : असल में बात यह है कि सभी बातों को मैंने सुना है और मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यूनिवर्स्टी के कार्य में हस्तक्षेप

[राजा महेन्द्र प्रताप]

करने का आपको अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि स्थानीय विषयों में स्वतंत्रता होने पर भी संघ में एकता होनी चाहिए, यह हमारा प्रिंसिपल है, यह हमारा सिद्धान्त है। आप लोगों को मालूम है कि मेरा भी एक छोटा सा कालेज है। मैं वहां यह देखता हूं कि सरकार जितना हस्तक्षेप करती है उतना ही हमारा इंतिज़ाम खराब होता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके यूनिवर्सिटी के बिल को वापस ले लें और यूनिवर्सिटी को अधिकार दें कि वह अपना बिल आप बना ले और जिस तरह वह मुनासिब समझे यूनिवर्सिटी को चलाये।

†**श्री सूपकार** : मेरा पहिला संशोधन संसद् सदस्यों को विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिये निर्वाचन करने के सम्बन्ध में है। मैं चाहता हूं कि लोक-सभा से २ और राज्य सभा से १ प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिये चुना जाय। यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हीं व्यक्तियों का नाम निर्देश किया है जो पहिले लोक-सभा द्वारा निर्वाचित थे और यह विधेयक भी अस्थायी रूप से पारित किया जा रहा है। तथापि मेरा कथन यह है कि लोक-सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि अस्थायी अवधि के लिये भी सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

मेरे दूसरे संशोधन का आशय यह है कि २९ नाम निर्देशित व्यक्तियों में से कम से कम ४ व्यक्ति दान दाताओं में से और ५ व्यक्ति हिन्दू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से होने चाहिये। वस्तुत: इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ही यह था कि हमारी प्राचीन परम्परा, दर्शन, ज्योतिशविज्ञान इत्यादि के सम्बन्ध में नवीन गवेषणा कर संस्कृति के विभिन्न तत्वों का समायोजन किया जाय।

मैं आशा करता हूं कि सभा मेरे संशोधनों को स्वीकार करेगी।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में बहुत बहस हो रही है। इस हाउस में भी हो रही है और बाहर भी। बिल का प्रकार ऐसा है कि इस में लोगों को बहुत दिलचस्पी है। मुझे ऐसा लगता है कि सब के दिल में यह बात है कि अगर यह बिल, जिस प्रकार में वह है, यहां न आया होता तो ठीक होता। लेकिन जब हम जानते हैं कि परिस्थितिवश सरकार को इस प्रकार के बिल को लाने का फर्ज पूरा करना पड़ रहा है तब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इतनी लम्बी चौड़ी बात चीत करने की कोई जरूरत नहीं है। जब स्थायी बिल यहां पर आयेगा उस समय हम ज्यादा ग़ौर करेंगे और जो कुछ हमें कहना है वह कहेंगे।

कितने ही लोगों ने यहां पर कहा है कि युनिवर्सिटी की अटानमी और डिमाक्रेसी को छीना जा रहा है। मुझे भी इस पर एतराज है। मगर अटानमी और डिमाक्रेसी के माने क्या हैं? भले ही कोई चीज़ जनकल्याण के लिये हो लेकिन अगर उस से जब कोई लाभ नहीं होता तो सिर्फ अटानमी और डिमाक्रेसी को हाथ में ले कर बैठने से क्या फायदा? आज हमारे देश में ऐसी हालत है, ऐसी परिस्थिति है तो भी हम अटानमी और डिमाक्रेसी के नाम पर अपनी आंखें बन्द कर के बैठे रहें और जो कुछ चलता है उसे देखते रहें, तो मैं समझती हूं कि वह हमारे देश को बड़ा नुकसान पहुंचायेगा।

कितने ही मेम्बरों ने यह भी शिकायत की है कि आज जो हाल बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी का है वह बहुत सी दूसरी जगहों पर भी है। मैं उन के साथ सहमत हूं। मैं ने भी कभी कभी ऐसा हाल

†मूल अंग्रेजी में

सुना है। लेकिन मैं समझती हूं कि ऐसी हालत में गवर्नमेंट को इंटरफिअर करने का अधिकार और उस का जस्टिफिकेशन ज्यादा रहता है। आज हमारी सारी की सारी शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उस का कैसा परिणाम होगा, उस का प्रत्यक्ष नग्न दर्शन हमें यहां मिलता है। जिन उच्च उद्देश्यों और भारतीय संस्कारों को साथ में ले कर इस युनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, उस का यह हाल है तो हमारी आंखें ज्यादा खुलनी चाहियें और जहां ऐसी परिस्थिति विद्यमान है उस की ओर देखना हमारा फर्ज हो जाता है क्योंकि हम लोगों की ओर से यहां बैठे हैं और गवर्नमेंट भी लोगों की ओर से काम करती है। इसलिये गवर्नमेंट जो कुछ करती है उस के बारे में हम शिकायत करें तो वह मुनासिब नहीं है। आज गवर्नमेंट ने जो कदम उठाये हैं वे बहुत भारी हैं। मगर मैं समझती हूं कि आज की हालत में उस से कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। जो कुछ भी बिगड़ने वाला था वह पहले ही बिगड़ चुका है। दूसरी युनिवर्सिटी वालों को इस से सबक लेना चाहिये। यहां पर कहा गया कि आखिर अलीगढ़ युनिवर्सिटी में भी ऐसा चलता है, वैसा चलता है। मुझे वहां की हालत मालूम नहीं है, लेकिन अगर वहां भी ऐसा ही चलता है तो हम देखेंगे कि जो हालत बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की हुई वही वहां भी हो सकती है। अगर इस को देखते हुए हम अटानमी के नाम पर, डिमाक्रेसी के नाम पर चुपके बैठे रहेंगे तो वह हमारा धर्म नहीं होगा।

यहां पर जब यह बिल आया है और हम यहां बातें कर रहे हैं तो ज्यादातर हम अपने देश की हायर एजुकेशन की परम्परा को सामने रख रहे हैं। हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली हमारी गवर्नमेंट चलाती है उस में हायर एजुकेशन की हमारी शिक्षा संस्थाओं का ढांचा आज कल कारखानों जैसा बन गया है। इस पर हमें ज्यादा ग़ौर करने की जरूरत है। जिस प्रकार आज कल कारखानों में मजदूरों की यूनियन्स होती हैं वैसे ही आज कल हमारी शिक्षा संस्थाओं में हो रहा है। चाहे शिक्षक हों, चाहे प्रोफेसर हों वह भी अपनी यूनियन्स बनाते हैं। उन को कोई रिकग्नाइज करे या न करे, मगर उन के संगठन बनते जाते हैं। मजदूरों की यूनियन्स की ही तरह वे लोग अपनी डिमान्ड्स पेश करते हैं, इसलिये जो विद्यार्थी उन के साथ हैं, उन के माइन्ड्स (दिमाग) भी उसी तरह के बन गये हैं। हम सब को शिक्षा पाने का अधिकार है, हम ने यह मान भी लिया है कि हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिये, लेकिन विद्यार्थी इस से भी आगे बढ़ कर कहते हैं कि हम फीस देते हैं और इसलिये शिक्षा संस्था पर पूरा पूरा हमारा अधिकार है। शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं सब लोग अपने अधिकारों पर बल देते रहते हैं। जब वह मिलते जुलते हैं और उन की बातें होती हैं तो इस प्रकार की ही बातें होती हैं। उस में शिक्षा की बातें कम होती हैं कारखाने के मजदूरों की तरह बहसें होती हैं, वहां पर विद्यार्थिओं की यूनियन्स हैं, शिक्षकों की यूनियन्स हैं, आज कल शिक्षा संस्थाओं में यह हाल है। इसलिये मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर से यह प्रार्थना करूंगी कि अगर हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो जो हाल बनारस युनिवर्सिटी का हुआ वही जो देश की सारी की सारी युनिवर्सिटियां हैं उन में भी होगा, थोड़ा बहुत तो आज भी है ही, मगर आगे और ज्यादा परिमाण में होगा। हम लोग ऐसा मानते हैं कि शिक्षा पाने से, विद्या के पाने से मनुष्य ज्यादा नम्र, ज्यादा विनयशील, ज्यादा चरित्रवान् और ज्यादा देशप्रेमी और कर्तव्यपालक बनता है और बनना चाहिये। अच्छी शिक्षा में ऐसी बातें होनी चाहियें। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज हमारे विद्यार्थियों के मन दूसरी दिशा में चलते हैं और इसलिये मैं फिर अपने शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के ऊपर विचार करने का जो मौका आया है उस से हमारी अपनी आंखें भी खुलनी चाहियें। अगर ऐसी ही शिक्षा हम देते रहेंगे, ऐसे ही कल कारखानों की तरह से हमारे शिक्षा केन्द्र चलते रहेंगे तो हिन्दुस्तान का कोई भी कल्याण नहीं होगा। इस से जो हमारे यूथ्स हैं, जो युवक हैं उन के दिल में कोई देश प्रेम नहीं बढ़ेगा, इस से तो नुकसान ही होगा। वी मस्ट अन्डरस्टैन्ड बिफोर इट इज टू लेट (रोग के असाध्य होने के पूर्व ही हमें इसका इलाज कर लेना चाहिये)।

[श्रीमती जयाबेन शाह]

मैं समझती हूं कि इस बिल के लाने में सरकार को कोई खुशी नहीं है। परिस्थिति के वश होकर उन्हें लेनी पड़ी है। मैं भी किसी भी युनिवर्सिटी की ग्राटोनमी को लेने के बिलकुल खिलाफ़ हूं। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी को हम बहुत रेस्पैक्ट करते हैं और जो उसका पुराना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसको देखकर हम गर्व अनुभव करते हैं और हम सब लोग दिल से यह चाहते हैं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की जो पुरानी हालत थी उसे हम फिर वापिस ले आयें। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो यह बिल पेश किया है मैं उसका पूरा समर्थन करते हुए यह प्रार्थना करती हूं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी हटा कर इसकी जगह एक परमानेन्ट बिल शीघ्रातिशीघ्र लाया जाये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं विमति टिप्पण की बातों को दुहराकर सभा को उकताना नहीं चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि नया विधेयक प्रस्तुत करने का समय निश्चित होना चाहिए। यद्यपि हम यथाशीघ्र व्यापक विधेयक लाने का प्रयत्न करेंगे तथापि मैं इस सम्बन्ध में निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता हूं। इसमें ६ महीने या साल भर लग सकते हैं। हमें विभिन्न विश्वविद्यालयों या शिक्षा संस्थाओं से सलाह लेनी होगी। राज्य सरकारों से भी परामर्श करना होगा। बिना उक्त बातों को पूरा किये व्यापक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

श्री कार ने कहा है कि चुनाव समिति में अध्यापन कर्मचारियों को शामिल नहीं करना चाहिए। हम विभिन्न निकायों में कम से कम परिवर्तन कर रहे हैं। प्रवर समिति ने भी चुनाव समिति के सम्बन्ध में अल्पाधिक वही प्रक्रिया विहित की थी जो अध्यादेश के प्रख्यापित होने के पहिले थी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापकों और प्रोफेसरों की नियुक्त करने वाली चुनाव को अध्यापकों और प्रोफेसरों से रहित नहीं होना चाहिये। हम ऐसा विश्वास नहीं करते हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति हमारा पथप्रदर्शन नहीं कर सकता है। विजिटर ने कार्यकारी समिति नियुक्त कर दी है। यह कहना कि कार्यकारी समिति के सदस्य चुनाव समिति में शामिल नहीं हो सकते हैं उन सदस्यों की सद्भावना पर सन्देह करना है।

वस्तुत: स्वयं एक अध्यापक होने के कारण और सारी जिन्दगी विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ बिताने के कारण मैं विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों के चरित्र की जांच करने वाली समिति नियुक्त करने से प्रसन्न नहीं हूं। इस कार्य का उत्तरदायित्व अपने सर पर होने के कारण ही मुझे यह कार्य करना पड़ा है। विश्वविद्यालय में एक विशेष प्रकार की स्थिति पैदा हो गई। और वर्षों तक विश्वविद्यालय में एक ऐसे गुट का हस्तक्षेप होता रहा जो समाज द्वारा प्रदत्त दायित्व को लेने को तैयार नहीं थे। एक के बाद उप कुलपति विक्षुब्ध होकर चले गये। दूसरा विकल्प यही था कि सरकार स्थिति को बिगड़ने देती और उसके पुनर्निर्माण का कोई प्रयत्न न करती। माननीय सदस्यों ने सभा में कई बार कहा है कि सरकार ने शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिये कोई कार्य नहीं किया है। भले ही यह कार्य दुखदायी हो यह विश्वविद्यालय के हित में किया गया है। स्थिति का सामना करने का अन्य कोई रास्ता नहीं था।

जहां तक संसद् के सदस्यों के निर्वाचन का प्रश्न है। यद्यपि मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है तथापि मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में आग्रह न करें क्योंकि लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-सभा के सभापति ने यह सावधानी बरती है कि उन्हीं व्यक्तियों का नामनिर्देशित किया जाय जिन्हें लोक सभा निर्वाचित करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले कई वर्षों से और अब भी कुछ लोग, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं वहां जा कर उत्तेजिक भाषण देते रहे हैं और विद्यार्थियों को भड़काते रहे हैं। मैं ने सभा में इस आशय का निवेदन किया है श्री अशोक मेहता ने भी यह प्रस्ताव रखा है कि राजनैतिक दलों को विश्वविद्यालयों से पृथक रहना चाहिये। और सहयोग की भावना से कार्य करते हुए विश्वविद्यालय के नैतिक स्तर को ऊंचा रखना चाहिये। हमारे देश का भविष्य विश्वविद्यालयों के भविष्य पर निर्भर है और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में प्रमाण माना जा सकता है। यदि हम इस विश्वविद्यालय का पुर्निर्माण करेंगे तो इस का अन्य विश्वविद्यालयों पर बहुत अच्छा प्रभाव होगा। अतः मैं माननीयसदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधनों पर आग्रह न करें। यह एक आपातकालीन विधेयक। मैं शीघ्र सभा में इस विषय पर एक व्यापक विधेयक पेश करूंगा तब उन्हें उस के सम्बन्ध में राय जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं। क्या कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन को अलग से रखवाना चाहते हैं ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : जी हां। संशोधन संख्या १३।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८ और ९ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड १ (संक्षिप्त नाम)

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना है। सिर्फ मैं आपके द्वारा सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि जब प्रधान मंत्री महोदय ने पहली मर्तबा यहां इस विषय में भाषण दिया था तो यह आश्वासन दिया था कि हम जो स्थायी कानून बनायेंगे उस में छः से आठ महीने लग सकते हैं। उन्हों ने बड़ी से बड़ी तादाद आठ महीने की बतायी थी। मैं चाहता हूं कि यह चीज कानून की शक्ल ले ले। यह कानून केवल आठ महीने तक ही रहे। अगर आठ महीने के अन्दर सरकार दूसरा कानून नहीं बनाती तो यह कानून न रहे। जब नया कानून बनने जा ही रहा है और जब कि इस तरह का आश्वासन है प्रधान मंत्री महोदय का और शिक्षा मंत्री महोदय भी कहते हैं कि यह काम छः या आठ महीने में हो सकता है तो यह अवधि निश्चित हो जानी चाहिये क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि चार महीने और ज्यादा लग सकते हैं, १२ महीने हो सकते हैं, इधर से कहा गया कि ६ साल हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर से यह तै कर दिया जाय कि यह नया कानून आठ महीने से आगे जाने वाला नहीं है, आठ महीने के अन्दर ही बन जायेगा। यदि शिक्षा मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि ८ महीने में इस काम को पूरा कर सकेंगे तो मैं यह सोचूंगा कि इस अमेंडमेंट को ज्यादा प्रैस न किया जाये। लेकिन मैं समझता हूं कि वह इस के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हों ने फरमाया है कि यह मुश्किल मामला है,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

पता नहीं कि क्या क्या कठिनाई सामने आये, और यह काम आठ महीने में न हो सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार किया जाये। अगर आप सीमा निश्चित कर देंगे तो सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इस समय के अन्दर इस काम को कर डालेगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्री महोदय प्रधान मंत्री महोदय के आश्वासन को पूरा करने के लिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें।

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रधान मंत्री न आश्वासन दिया था। मैं उन का वक्तव्य पढ़ कर सुनाऊंगा। उन्हों ने कहा था :

"जो कुछ किया गया हैं वह अस्थायी है ताकि सभा बाद में इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार कर सके और फिर पुराने अधिनियम को जैसा वह चाहे संशोधित कर सके। मैं यह नहीं कह सकता कि कब तक चलेगा—हो सकता है कि साल भर तक रहे या छः मास तक। जब नया विधेयक बन जायेगा तो यह खत्म हो जायेगा"।

हमारी यह इच्छा है कि यथासंभव शीघ्र व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें। अब इस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : मैं पंडित गोबिन्द मालवीय के हार्दिक दुःख की अनुभूति करता हूं किन्तु उन का यह मत कि सारी दुनिया ही गलत चल रही है विश्वविद्यालय भी चल सकता है गलत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। उन के तर्क प्राचीन एवं प्रतिक्रियात्मक हैं।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भेड़िया भी अपने बच्चे नहीं खाता और वह अध्यापक तो भेड़िये से भी बदतर हैं जो बच्चों को बिगाड़ता है।

पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय को इस कारण बनाया था कि यहां विद्यार्थियों की आत्मिक उन्नति हो सके अतः यह कार्यवाही भी उस सुधार के लिये पर्याप्त नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि विश्वविद्यालय क्षेत्र से संस्कृत तथा आयुर्वेदिक विभाग अलग कर के दूसरे स्थान पर खोल दिये जायें और अन्य विभागों में प्रतिष्ठित विदेशी अध्यापक नियुक्त किये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अध्यापक पांच वर्ष के लिये रखे जायें फिर उन के गवेषणा कार्य को देख कर ५ साल की और अवधि के लिये उन्हें रखा जाना चाहिये। गवेषणा कार्य बढ़ाया जाय। आजकल यह विश्वविद्यालय ज्यादा गवेषणा कार्य नहीं कर रहा है। इस के लिये सरकार को पूर्ण सहायता देनी चाहिये। मैं विश्वविद्यालय के भविष्य के बारे में निराशायुक्त नहीं हूं।

†डा० का० ला० श्रीमाली : हमारे राष्ट्रीय जीवन में इस विश्वविद्यालय ने महान योग देना है। हमारी समस्त योजनाओं की सफलता हमारे लोगों पर ही निर्भर है और विश्वविद्यालयों से ही हमें योग नेतागण उपलब्ध हो सकते हैं। पहले हमारे देश में बड़े महान व्यक्ति हुए और हमें आशा है कि भविष्य में भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा। इसी भावना को ले कर मैं सभा के सम्मुख आया हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधयक

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

समुद्र सीमा शुल्क के इस संशोधन से सीमा शुल्क कार्यालयों में प्रचलित प्रथा को औपचारिक विधि का रूप दिया जायेगा ताकि वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के लिये विधि द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों को पूरा करने के लिये आयात तथा निर्यात करने वालों से बन्ध स्वीकार किये जा सकें। चाय अधिनियम की धारा १७ के अनुसार चाय का निर्यात तब तक नहीं हो सकता जब तक चाय बोर्ड भी अनुज्ञप्ति न दे दे। धारा १८ के अनुसार चाय या चाय के बीज का कोई पेटी तब तक न भेजी जायेगी जब तक कि निर्यात करने वाला नियंत्रक को मान्य अनुज्ञप्ति न दिखा दे। इस का अर्थ यह हुआ कि यदि निर्यातक उस समय मान्य अनुज्ञप्ति न दिखा सके जैसा कि साधारणतया होता है तब उस का माल भेजा नहीं जायेगा। विलम्ब बचाने तथा व्यापार को हानि न पहुंचाने के लिये सीमा शुल्क वाले इस प्रथा अनुसार चलते रहे हैं। कि वे निर्यातक से एक बन्ध भरवा लेते हैं और उस में उल्लिखित समय पर उसे अनुज्ञप्ति दिखानी पड़ती है। इसी प्रकार आयात करने वाले के पास यदि आयात अनुज्ञप्ति हो किन्तु वह उसे उस अवसर पर पेश न कर सके तो सीमा-शुल्क वाले माल उसे दे देते हैं किन्तु उसी बन्ध के तरीके से और उसे बन्ध में निर्दिष्ट तिथि को वह अनुज्ञप्ति दिखानी पड़ती है। औपचारिक रूप से अधिनियम में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह ठीक है कि कहा जा सकता है कि यह कार्यवाही प्रशासन कर सकता है ताकि किसी को असुविधा न हो किन्तु यह कार्यवाही वैध तो नहीं है। इस कारण एतदर्थ विधेयक में ही इस का उपबन्ध करने का विचार है ताकि यह बन्ध वाला तरीका वैध हो जाये।

व्यापार में इस प्रकार की प्रथा का जारी रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उस के बारे में ज्यादा कहा भी क्या जा सकता है। यदि माल वहां रोक लिया जाये सबही को बड़ी भारी असुविधा होगी। यदि आयात माल लोग ले जाते रहें इस से घाटों पर भी इकट्ठा नहीं होता। अन्यथा हमें अन्य प्रकार की

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० गोपाल रेड्डी]

कठिनाइयां आती हैं। यदि निर्यात होन वाले माल को रोका जाये तो हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। मेरा विचार है कि सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वें० प० नायर** : (क्विलोन): जब मैं ने इस विधेयक को पढ़ा तो मुझे तो लगा कि यह विधेयक बड़ा ही खतरनाक है। माननीय मंत्री प्रथा को विधेयक का अंग बना कर उपयुक्त कार्यवाही नहीं कर रहे। वास्तव में यदि यह काम किसी परन्तुक के द्वारा किया जाता तो ठीक रहता। मेरे विचारानुसार माननीय मंत्री ने वैध दृष्टि से इसे नहीं देखा। इस प्रकार खंड बना कर तो नियंत्रकों को इस प्रकार की पूर्ण शक्ति सी मिल जायेंगी। वे फिर तो कानून के आधार पर ही यह कार्य करेंगे अब प्रथा के आधार पर करते हैं। इस संशोधन के द्वारा पदाधिकारियों को स्वविवेक कार्य करने का अधिकार मिल जायेगा और उस से बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री पहले सारी बुराई भलाई सोचें।

हम सब जानते हैं कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन आयात अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं। और लोग उन्हें लाभ प्राप्त कर के बेच देते हैं। लोग इस प्रकार बन्ध भर कर आयात कर सकते हैं और बहुत से लोगों ने तो चोरी छिपे विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यदि यह संशोधन पारित हुआ फिर तो सीमा शुल्क पदाधिकारी खुले तौर से ही आयात अनुज्ञप्तियों को देखने का कष्ट न करेंगे। यदि व्यक्ति बन्ध में निर्दिष्ट समय पर अनुज्ञप्ति न दिखाये तो ज्यादा से ज्यादा उस पर अभियोग ही तो चलाया जा सकता है।

कल्पना कीजिये कि एक व्यापारी बाहर से प्रबन्ध कर के कुछ वस्तुओं का आयात करता है और चीजें बम्बई पहुंच जाती हैं। उन की कीमत ५०,००० है। इन की आपात अनुज्ञप्ति भारत में तीन गुना लाभ पर बिक जायेगी। अब यह आयात करने वाला बन्ध भर कर इन चीजों को भारत में दो लाख में बेच डालेगा। यह ठीक है कि व्यापार के मामले में विलम्ब तो नहीं होना चाहिये किन्तु सारी बातों पर हमें विचार कर लेना चाहिये।

मेरे पास इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसी है। उस में दी गई अनुज्ञप्तियों के पढ़ने से यह पता लगेगा कि बहुत से लोगों को तो झूठी जानकारी देने से ही अनुज्ञप्तियां मिल सकती हैं। अच्छे रेशमी धागों का आयात हाथ से बनी रेशमी वस्तुओं के निर्यात पर करने की आज्ञा दी जाती है। इस प्रकार बम्बई के अनेक लोगों को ऐसी आज्ञा मिली है किन्तु मद्रास के लोगों को नहीं। हां मद्रास की एक बड़ी फर्म को रूमालों के निर्यात पर आयात करने की अनुज्ञप्ति दी गयी है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कितना लाभ उठा जायेंगे। अब ऐसे व्यक्तियों को यदि बन्ध की राशि भी जब्ती में देना पड़े तो बड़े चाव से वे इसे भर जायेंगे।

यह बात केवल आयात पर ही लागू नहीं होती। निर्यात पर भी लागू होती है। मेरे विचार में सरकार को इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिये।

श्रीमान् इस खण्ड की भाषा भी अस्पष्ट है और न्यायालय इस का दूसरा अर्थ भी लगा सकते हैं। पदाधिकारियों को इस प्रकार का अधिकार मिल जाने से उन का दुरुपयोग भी हो सकता है। हम फिर किसी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते।

†मूल अंग्रेजी में

हां, यदि बन्ध वस्तुओं की कीमत से दस गुना भरवाया जाये तो यह संशोधन ठीक है। पहले तो यह भी पता नहीं कि बन्ध कितने का भरवाया जायेगा। जब एकबार हम सारी प्रक्रिया को ढीला कर देंगे तब सरकार इन समस्त खराबियों को दूर नहीं कर सकती। लोग बहुत बहुत खराबियां करते हैं उन तमाम खराबियों को दूर तो किया ही नहीं जा सकेगा। इस संशोधन से समस्त वैध उपबन्ध करे कराये रह जायेंगे।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : माननीय मंत्री ने बताया कि इस संशोधन से चिरकालीन प्रथा को विधि का रूप दिया जा रहा है। इस से तो यही पता चलता है कि संशोधन बड़ा सरल सा ही है। किन्तु इस का दूसरा पहलू भी हो सकता है।

श्री नायर ने बताया कि जिन वस्तुओं के आयात से अत्याधिक लाभ कमाया जा सकता हो उन के आयात से लोग नहीं घबरायेंगे तथा बिना अनुज्ञप्ति बन्ध भर दिया करेंगे। मैं भी आप के सामने एक उदाहरण रखता हूं। आज सुपारी के अन्दर भी ४००/५०० प्रतिशत लाभ है। इस के आयात से इतने लाभ से बन्ध की रकम अच्छी तरह से भरी जा सकती है। यदि व्यापारी खराबियां करने पर उतर ही आयें तब वे तुरन्त ही इस विधेयक के उद्देश्य को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सरकार तथा राष्ट्र को बड़ी भारी हानि पहुंच सकती है।

व्यापारी तो बड़े खुश होते हैं जब सरकार पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां देती है। इस का क्या कारण है इसे आप भली भांति समझ सकते हैं।

मंत्रालय को इन सारी बातों की ओर बड़े सतर्क भाव से ध्यान देना चाहिये। हमारे देश में कर अपवंचन तथा भ्रष्टाचार ही तो सब से बड़ी दो समस्यायें हैं। खैर मैं माननीय मंत्री से यही प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें कि कहीं शक्ति-प्राप्त पदाधिकारी तथा तस्कर आयातक आपस में गठजोड़ न कर लें।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : श्रीमान् मैं नई धारा १६५(ख) के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में केवल माल को छुड़ाने के बारे में बताया गया है। समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम आदि में कुछ शर्तों का उपबन्ध किया गया है जिस के आधार पर सीमाशुल्क अधिकारी व्यापारी को माल आयात अथवा निर्यात के लिये दे सकते हैं। विधेयक में आयात और निर्यात के सवाल नहीं लिये गये हैं। इस में तो माल छुड़ाने के लिये किये जाने वाले कामों की चर्चा है। यदि इस पर ध्यान रख कर हम खण्ड की शब्दावली को देखें तो पता लगता है कि खण्ड में उचित शब्द नहीं रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि केवल 'किसी वस्तु अथवा मुद्रा का अयात अथवा निर्यात' शब्द निकाल देने से उद्देश्य पूरा हो जाता है। और माल को अधिकारियों से ले लेने की कठिनाइयां समाप्त हो जातीं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाव के अनुसार माननीय मंत्री इन शब्दों को इस में से निकाल देंगे।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : भारत सरकार की अप्रैल से सितम्बर १६५८ तक आयात व्यापार नियंत्रण नीति में बताया गया है कि सामान्यत: अनुज्ञप्तियां १ जनवरी १६५८ को या उस के बाद किये जाने वाले वास्तविक निर्यात के आधार पर दी जायेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह अनुज्ञप्तियां किस आधार पर दी गई हैं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तिका के परिशिष्ट ७ में प्रतिबन्ध लगे हुए माल को ले जाने के बारे में बन्ध का नमूना दिया गया है। यह बन्ध सिर्फ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

माल को छुड़ाने के लिये है। परन्तु जैसा कि श्री आचार और श्री नायर ने बताया इस खण्ड की शब्दावलि ठीक नहीं रखी गई है। मेरा भी यही कथन है कि आयात अथवा निर्यात शब्द हटा दिये जाने चाहियें।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं ने यह समझा था कि वह विधेयक बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया जायेगा क्योंकि इस में केवल प्रशासन सम्बन्धी मामले का उपबन्ध किया गया है। इस का आयात निर्यात नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। सीमा शुल्क कलक्टर अनुज्ञप्तियां नहीं देते हैं। हम तो केवल उसी चीज़ का विनियमन कर रहे हैं जो इतने दिनों से किया जा रहा है क्योंकि किसी ने इस सम्बन्ध में शंका प्रकट की थी क्या उन को बन्ध लेने का अधिकार है।

कभी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्यात करना चाहता है और वह कहता है कि इस वस्तु पर सीमा शुल्क नहीं लगता है परन्तु सीमा शुल्क कलक्टर का यह मत हो सकता है कि उस वस्तु पर सीमा शुल्क लगना चाहिये, क्योंकि ऊनी कपड़े की कुछ किस्में ऐसी हैं जिन पर सीमा शुल्क लगता है तथा कुछ ऐसी हैं जिन पर सीमा शुल्क नहीं लगता। इसीलिये सन्देहात्मक मामले में वह बन्ध ले लेता है और निर्यात की अनुमति दे देता है। बाद में जांच किये जाने पर यदि पता लगता है कि वस्तु पर शुल्क नहीं लगना चाहिए था तो उस को छोड़ दिया जाता है अन्यथा जुर्माना देना पड़ता है अथवा कुछ मामलों में वस्तुओं को ज़ब्त भी कर लिया जाता है।

हम समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अधिनियम में उपबन्धित सभी दण्ड उसी प्रकार रहेंगे। कुछ मामलों में जहाज को ही जब्त कर लिया जाता है। कुछ मामलों में माल जब्त कर लिया जाता है और वस्तुओं के मूल्य का तीन गुना जुर्माना कर दिया जाता है। यह सभी दण्ड उस में हैं। अपराधियों के विरुद्ध इन को लागू किया जायगा। अब केवल इतनी शक्ति और ली गई है कि सन्देहात्मक मामलों में वह बन्ध दे सकते हैं और हम वस्तु ले जाने देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि माल जमा होता चला जाय। जांच होने पर यदि पता लगता है कि उन्हें शुल्क देना चाहिये तो शुल्क लिया जाता है। यदि वह ठीक समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो जुर्माना लगाया जाता है।

इस प्रकार यह पता लग जाता है कि यह केवल प्रक्रिया का विनियमन करने के सम्बन्ध में हैं। हम किसी के साथ पक्षपात करने नहीं जा रहे हैं। यदि अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है तो उन्हें अनुज्ञप्ति दिखानी ही होगी। यदि शुल्क देना है तो शुल्क देना ही होगा। हम तो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिस से माल बहुत दिनों तक सीमा शुल्क कार्यालय में न पड़ा रहे और व्यापारी द्वारा बन्ध भर दिये जाने पर कार्यालय में उस का माल छोड़ दिया जाये।

चाय अधिनियम में भी निर्यात अनुज्ञप्ति के बारे में इसी प्रकार की व्यवस्था है। इसीलिये जब तक कलक्टर संतुष्ट नहीं होता है तब तक बन्ध के आधार पर वस्तु ले जायी जाने दी जाती है। यह तो व्यापारी वर्ग के लिये एक रियायत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के द्वारा वह उस प्रथा के संबंध में उपबन्ध करना चाहते हैं जो अब तक प्रचलित है । परन्तु ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इन प्रतिवेदनों से सरकार ने सीमा शुल्क कलक्टर को अपने स्वविवेक से काम करने दिया तो अब इस विनियमन की क्या आवश्यकता पड़ गई ।

उन्हों ने बताया कि इस को समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७ से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मेरा विचार है कि 'इस अधिनियम में और कुछ होते हुए भी' शब्दों के रख देने से सीमा शुल्क अधिनियम भी आ जाता है । मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में स्पष्ट तथा विशिष्ट उपबन्ध रखे जाने चाहियें अन्यथा स्वविवेक के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय यह निर्णय नहीं कर पायेगा कि पदाधिकारी ने ठीक काम किया है या गलत । मुझे खेद है कि माननीय मंत्री हमारी बात नहीं समझ पाये हैं । मैं एक बार फिर उन से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करे और एक और संशोधन प्रस्तुत कर दें ।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : इस समय समुद्र सीमा शुल्क में बन्ध ले कर, माल ले जाने का कोई उपबन्ध नहीं है । परन्तु कलक्टर अपने स्वविवेक से इस प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहे हैं । अन्यथा जैसा कि मैं ने बताया कठिनाई आ सकती है और व्यापार बन्द हो सकता है । महान्यायवादी ने यह शंका प्रकट की थी कि क्या उन को ऐसा करने का अधिकार है । कलक्टर यह समझते थे कि उन को अधिकार है क्योंकि माल को ले जाने देना आदि एक व्यवस्था मात्र है । उन की इसी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिये यह अधिनियम बनाया जा रहा है ।

श्री नायर ने जो अन्य बातें कही हैं उन को मैं नहीं समझ सका हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित कुछ विधियों के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

जैसा कि इस विधेयक के नाम से स्पष्ट है, हमारा विचार इस समय प्रचलित तीन अधिनियमों को निरसित करने तथा तीन अन्य कानूनों को इन के स्थान पर रखने का है। ये हैं :

(१) मनीपुर सहकारी समितियां अधिनियम, १६४७, (२) त्रिपुरा सहकारी समितियां अधिनियम, १३५८ टी० ई० (हिन्दू कैलेन्डर वर्ष) और (३) त्रिपुरा कुशीय नियामक विधि, १३१३ टी० ई० (त्रिपुरा कैलेन्डर)। इन तीनों अधिनियमों के स्थान पर (१) आसाम सहकारी समितियां अधिनियम १६४६ (२) बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम, १६२५ तथा (३) बम्बई साहुकार अधिनियम १६४६ लागू किये जायेंगे।

ये दोनों सरकारें हम से कह रही थीं कि ये अधिनियम अपर्याप्त और दोषपूर्ण हैं और सहकारी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिय इनका निरसन कर दिया जाय और जो अधिनियम मैंने बताये हैं, उन को इन के स्थान पर लागू कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इन की खराबियां बताने की आवश्यकता नहीं है परन्तु फिर भी उदाहरण के तौर पर सभा के समक्ष रखता हूं। मनीपुर सहकारी समितियां अधिनियम, १६४७ में समितियों के विभाजन और एकीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। हम इन में से बहुत सी समितियों का पुनर्गठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिस के फलस्वरूप कुछ का विभाजन होगा। और कुछ का एकीकरण किया जायेगा। परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसा करना असम्भव होगा।

दूसरे मनीपुर सहकारी समितियां अधिनियम १६४७ के अधीन ऐसा भी है कि एक व्यक्ति के जितने अंश हों उतने ही उसके वोट भी हो सकते हैं। यह चीज़ सहकारी सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अंशों की संख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो वोट तो उस का एक ही होना चाहिये।

अधिनियम की धारा १६ में ऋण की वसूली के सम्बन्ध में समिति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि सहकारी समिति को देय ऋण की उचित प्राथमिकता क्या होगी। अब हम सहकारी समिति की सहायता के लिये आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे वसूली के सम्बन्ध में प्राथमिकता निर्धारित कर दी जाये।

मनीपुर अधिनियम के अनुसार दीवानी न्यायालयों का इन समितियों पर क्षेत्राधिकार है। परन्तु सहकारी समितियों के ऋण की वसूली के मामले आम तौर से न्याय निर्णयन द्वारा हल होते हैं। दीवानी न्यायालयों की बड़ी लम्बी प्रक्रिया है और यह व्यवस्था सहकारी समितियों के लिये सहायक नहीं है।

इस के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा समितियों को वित्तीय सहायता देने के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है।

त्रिपुरा सहकारी समितियां अधिनियम भी पुराना, दोषपूर्ण और अपर्याप्त माना गया है। उदाहरणतः इस का प्रारूप ठीक तरह से नहीं बनाया गया है और न्याय निर्णयन के द्वारा विवाद सुलझाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं हैं। अधिनियम में व्यवस्था है कि समिति के पंजीयन के लिये १० रुपये की फीस देनी होगी, जो उचित नहीं है। अधिनियम में यह भी नहीं माना गया है कि एक सदस्य एक ही वोट का अधिकारी है।

त्रिपुरा कुशीय नियामक विधि अधिनियम भी बहुत पुराना है। यह ऋण देने के बारे में है। इस में अनुज्ञप्ति का तो उपबन्ध है परन्तु ऋण देने के धंधे को ठीक प्रकार से नियमित नहीं किया गया है ।

इन्हीं कारणों से तथा मनीपुर और त्रिपुरा सरकार की प्रार्थना पर इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है । उन का विचार था कि एक अधिसूचना से ही काम हो जायगा परन्तु हम ने कानूनी उपबन्धों की जांच कराई जिस से पता चला कि एक निरसक अधिनियम बनाना आवश्यक है । इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ले० अचौ० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : श्रीमान्, मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन विधेयक, १९५८, मनीपुर और त्रिपुरा में सहकारी समितियों के कार्य संचालन के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियां देने के बारे में एक छोटा सा विधेयक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	१९८३-२००६
तारांकित प्रश्न संख्या		
७९४	स्थानीय सड़क योजना . .	१९८३-८४
७९५	जहाज़ों की मरम्मत की सुविधायें	१९८४-८६
७९६	पंजाब में नयी रेलवे लाइनें . . .	१९८६-८७
७९७	गुडीवाड़ा—भीमावरम लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	१९८७-८९
७९८	भारतीय रेलवे में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	१९९०-९२
७९९	कृषि-स्नातक . .	१९९२-९४
८००	परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक गहन बनाना .	१९९४-९५
८०१	हीराकुड परियोजना से बिजली . .	१९९५-९६
८०३	चेवरा को क्विलोन—एरणाकुलम् से मिलाने वाली रेलवे लाइन .	१९९६-९७
८०४	भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुयें	१९९८-२०००
८०५	वनों को काटना . .	२०००-०१
८०६	रेल गाड़ियों का ठीक समय पर चलना . .	२००२-०५
८०७	गैर-सरकारी कम्पनियों से जहाज़ किराये पर लेना . .	२००५-०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	२००६-२०६८
तारांकित प्रश्न संख्या		
७९१	बर्मा से चावल का आयात	२००६-०७
८०२	पटसन की खेती . .	२००७
८०८	लाहौल घाटी के साथ सम्पर्क .	२००७-०८
८०९	मैसूर सम्बन्धी बुलेटिन	२००८
८१०	पुरी में रथ महोत्सव . .	२००८
८११	हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधालय . .	२००९
८१२	अस्पतालों में आहार रसोई गृह . .	२००९
८१३	पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिजली से रेल चलाना	२००९-१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

८१४	प्रतिकर अनुसूची	२०१०
८१५	खाद्य समस्या .	२०१०
८१७	विस्फोटक पदार्थ वाले पैकेट . . .	२०१०–११
८१८	अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था में नियोजित पाकिस्तानी	२०११
८१९	इम्फाल में सिविल अस्पताल	२०११
८२०	उत्तरी-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में खाद्य पदार्थों का गिराया जाना . .	२०११–१२
८२१	एंग्लो-इण्डियन स्कूल . . .	२०१२
८२२	३७ अप प्रयाग फास्ट पैसेंजर का पटरी से उतर जाना	२०१२–१३
८२३	केन्द्रीय गोदाम . . .	२०१३
८२४	पूर्वी उत्तर प्रदेश में सस्ते अनाज की दुकानें	२०१३
८२५	चीनी का निर्यात . .	२०१३–१४
८२६	जहाजों के लिये जापान का प्रस्ताव	२०१४
८२७	गुना—उज्जैन रेल सम्पर्क .	२०१५
८२८	लाहोरी गेट पर रेल का ऊपरी पुल	२०१५
८२९	जहाजों की खरीद . . .	२०१५–१६
८३०	तारघरों में 'टेप रिले एक्सचेंज' . .	२०१६
८३१	दो सीट वाले मोटर रिक्शे	२०१६
८३२	उत्तर प्रदेश से सहकारी चीनी की फैक्टरियों का खोला जाना	२०१७
८३३	कलकत्ता में जल संभरण और सफाई व्यवस्था	२०१७
८३४	ईंधन उपभोग समिति . .	२०१७–१८
८३५	नई दिल्ली में नया मैडिकल कालेज .	२०१८
८३६	चीनी के कारखाने . . .	२०१८
८३७	अखिल भारतीय मनःस्वास्थ्य संस्था, बंगलौर	२०१९
८३८	रेलों का विद्युतीकरण . .	२०१९
८३९	मऊ जंक्शन पर विद्यार्थियों का हमला .	२०२०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२७०	आसाम सैक्शन में इंजन . .	२०२०
१२७१	बम्बई सरकार से प्राप्त गवेषणा योजनायें .	२०२०–२१
१२७२	डाकखाने . . .	२०२१
१२७३	राष्ट्रीय राजपथों पर डाक बंगले .	२०२१
१२७४	मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना . .	२०२१–२२
१२७५	रेल के डिब्बे का पटरी से उतर जाना .	२०२२

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१२७६	जूट की कीमतें	२०२२-२३
१२७७	तेज चलने वाली बंगलौर--सिकन्द्राबाद रेलगाड़ी	२०२३
१२७८	रायदुर्ग--बेल्लारी रेल मार्ग . . .	२०२४
१२७९	आल इंडिया रेलवे स्टाल एंड एलाइड एम्पलाइज़ यूनियन	२०२४-२५
१२८०	रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना	२०२५-२६
१२८१	आन्ध्र में भू-संरक्षण . . .	२०२६-२७
१२८२	ठेकेदार द्वारा संचालित इरुगुर हाल्ट स्टेशन	२०२७
१२८३	रेलगाड़ियों की रफ्तार .	२०२७
१२८४	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर . . .	२०२८
१२८५	डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति .	२०२८
१२८६	कोटा (राजस्थान) में डाक तथा तार घर . .	२०२८
१२८७	राजस्थान के डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी	२०२९
१२८८	राजस्थान राज्य में गोशालायें . .	२०२९
१२८९	राजस्थान में वन रोपण	२०२९
१२९०	राजस्थान में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड योजनायें	२०२९
१२९१	टिकिट चैक करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	२०३०
१२९२	तुगलकाबाद--साहिबाबाद लाइन का सर्वेक्षण	२०३०
१२९३	कुओं का निर्माण . .	२०३०
१२९४	ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना	२०३१
१२९५	चारखी-दादरी स्टेशन पर पानी की कमी	२०३१
१२९६	कालका मेल . .	२०३२
१२९७	चावल की मिलें . . .	२०३२
१२९८	बरेली एक्सचेंज दफ्तर में बुक किये गये ट्रंक काल	२०३२-३३
१२९९	उत्तर रेलवे के पुल . . .	२०३३-३४
१३००	राष्ट्रमंडल समुद्री तार सम्मेलन	२०३४
१३०१	पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाना .	२०३५
१३०२	मछली पकड़ने वालों की सहकारी समितियां	२०३५-३६
१३०३	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना	२०३६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३०४	खाद्यान्नों का आयात .	२०३६–३७
१३०५	यात्रा-अभिकर्ताओं पर रेलवे की बकाया	२०३७–३८
१३०७	साफ्ट-वुड के स्लीपर . .	२०३८
१३०७	पश्चिम रेलवे में भोजन व्यवस्था का कुप्रबन्ध	२०३८–३९
१३०८	चीनी की मिलें .	२०३९–४०
१३०९	चीनी का निर्यात	२०४०
१३१०	त्रिपुरा में हाथी .	२०४०–४१
१३११	मद्रास--पेकिंग विमान सर्विस .	२०४१
१३१२	रेलवे में शिकायत-पुस्तकें	२०४१
१३१३	माल-डिब्बे	२०४२–४३
१३१४	उत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण योजनायें	२०४३
१३१५	शिक्षित बेरोज़गारों के लिये बस्तियां	२०४३–४४
१३१६	टेलीफोन	२०४४
१३१७	नकली दवायें . .	२०४४
१३१८	चावल और धान	२०४४–४५
१३१९	कृषि .	२०४६
१३२०	चावल के भाव .	२०४६
१३२१	मसाले और काजू	२०४६–४७
१३२२	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२०४७
१३२३	जौधरी जांच प्रतिवेदन . . .	२०४७
१३२४	हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति .	२०४७
१३२५	द्रोणाचलम्--सिकन्दराबाद रेलवे लाइन को सुदृढ़ बनाना	२०४८
१३२६	रेलवे कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह	२०४८
१३२७	चीनी का निर्यात . . .	२०४८
१३२८	उत्तर रेलवे में सिगनलर .	२०४९
१३२९	बिना टिकट यात्रा . . .	२०४९
१३३०	मेमारी स्टेशन (हावड़ा डिवीज़न) पर ऊपरी पुल .	२०४९
१३३१	रेलवे में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी .	२०५०
१३३२	कुरढिया सिंचाई परियोजना, उड़ीसा . . .	२०५०
१३३३	भटिण्डा और हिन्दूमल कोट लाइन के यात्री . .	२०५०–५१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३३४	सेलम--बंगलौर रेल सम्पर्क .	२०५१
१३३५	पूर्वोत्तर रेलवे पर देवहा पुल	२०५१-५२
१३३६	वर्षा . . .	२०५२
१३३७	संसार में सब से अधिक बर्षा वाला स्थान	२०५२-५३
१३३८	खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति .	२०५३
१३३९	लौकाट का उत्पादन . . .	२०५३-५४
१३४०	बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियां .	२०५४
१३४१	फीरोजपुर ज़िले में किराये की इमारतों में डाक-घर	२०५४-५५
१३४२	उत्तर प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्र	२०५५
१३४३	वनों का उपयोग . .	२०५५-५६
१३४४	उड़ीसा में काजू की खेती .	२०५६
१३४५	त्रिपुरा में सहकारी समितियों . .	२०५६-५७
१३४६	पूर्वोत्तर रेलवे पर मैलानी जंक्शन . .	२०५७
१३४७	आदरा रेलवे स्टेशन . .	२०५७
१३४८	ट्यूब क्लीनर्स एण्ड आउट जमादार .	२०५८
१३४९	हरपालपुर के लिये आउट एजंसी .	२०५८
१३५०	तातापानी में पर्यटन विकास	२०५८-५९
१३५१	जले हुये कोयले और कोयले की राख की बिक्री .	२०५९
१३५२	गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा .	२०५९-६०
१३५३	भेटागुडी स्टेशन पर यात्री--सुविधाय .	२०६०
१३५४	साक वेक्सीन . . .	२०६०-६१
१३५५	गाजियाबाद टेलीफोन कार्यालय	२०६२-६३
१३५६	रेलवे मंत्रालय	२०६३
१३५७	द्विभाषी प्रपत्र	२०६३
१३५८	हिन्दी के कार्य के लिये गजेटेड पदाधिकारी .	२०६३-६४
१३५९	हिन्दी शार्टहैंड और टाइपराइटिंग प्रशिक्षण	२०६४
१३६०	चक्षु बैंक . .	२०६४
१३६१	रेलवे के स्लीपर . .	२०६४
१३६२	कुक्कुटादि पालन उद्योग का विकास	२०६५
१३६३	मोहरी रेल दुर्घटना . .	२०६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६४	उत्तर रेलवे की उकलाना मंडी . . .	२०६५–६६
१३६५	कतरनियाघाट और लखीमपुर के बीच रेल सम्पर्क . .	२०६६
१३६६	गोंडा—नेपालगंज और नानपाड़ा—कतरनियाघाट सेक्शनों पर बिजली के पंखों की व्यवस्था . .	२०६७
१३६७	अमीन गांव फास्ट पैसेंजर का पटरी से उतर जाना .	२०६७
१३६८	पंजाब में केन्द्रीय गोदाम . .	२०६७
१३६९	उत्तर प्रदेश में छात्रों की हड़ताल . .	२०६७
१३७०	टाटानगर जाने वाली पैसेंजर गाड़ी का लूटा जाना	२०६८
१३७१	इंदौर—दिल्ली और इंदौर —बम्बई गाड़िया . .	२०६८
१३७२	रेलवे भोजन व्यवस्था	२०६८–६९
१३७३	पश्चिमी रेलवे पर तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सुरक्षण (रिजर्वेशन)	२०६९
१३७४	रेलवे सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी के स्थानों पर भर्ती	२०६९–७०
१३७५	जापान में सहकारी आन्दोलन . . .	२०७०
१३७६	मानसिक रोग चिकित्सालय, दिल्ली . . .	२०७१
१३७७	मऊ और इन्दरा जंक्शनों के बीच गाड़ियां .	२०७१
१३७८	जालना रेलवे स्टेशन पर बिजली . . .	२०७१–७२
१३७९	पारतूर और रंजनी स्टेशनों के बीच एक स्टेशन खोला जाना	२०७२
१३८०	विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का संभरण .	२०७२
१३८२	रेलवे संहिता	२०७२–७३
१३८३	रेलवे कर्मचारी	२०७३
१३८४	रेलवे पर दावे .	२०७३
१३८५	छोटी सिंचाई योजनाय	२०७३–७४
१३८६	बीज फार्म . .	२०७४

स्थगन प्रस्ताव २०७४–७७

अध्यक्ष ने निम्नलिखित दो स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके आगे दिखाये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(एक) आन्ध्र के आदिलाबाद ज़िले में कड्डम बांध का टूट जाना जिससे काजीपेट—नागपुर सैक्शन में रेल यातायात बन्द हो गया और सम्पत्ति की हानि हुई।	सूचना सर्वश्री नारायण, गणेश, गोरे और राजेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी।
(दो) बरेली (उत्तर प्रदेश) में बेरोज़गारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्महत्या।	सूचना सर्वश्री राम सेवक यादव और अर्जुन सिंह भदौरिया द्वारा दी गयी।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२०७७
निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—	
(१) गंगा बांध परियोजना के बारे में वक्तव्य की एक प्रति	
(२) तेल शोधक कारखाना स्थान निर्धारण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन— उपस्थापित—	
आठवां प्रतिवेदन	२०७८
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	२०७८–७९
(१) रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) ने लकड़ी के स्लीपरों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४८ पर श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा १६ अगस्त, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये वक्तव्य दिया।	
(२) स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने दिल्ली में हैज़े तथा अतिसार के बारे में एक वक्तव्य दिया।	
विधेयक पारित	२०७९–२११७
(१) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया गया।	
(२) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) ने समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।	
विधेयक विचाराधीन	२११७–२११९
सहकार मंत्री (डा०पं०शा० देशमुख) ने मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—	
मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा और उसका पारित किया जाना, राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना और रेलवे भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों पर भी चर्चा।	